

ISSN-0971-8397



योजना



जून 2021

विकास को समर्पित मासिक

स्वास्थ्य एवं पर्यावरण

प्रमुख आलेख

बदलनी होगी जीवन-शैली
सुनीता नारायण

फोकस

प्रकृति और मानवता के बीच संबंध
बाल्मीकि प्रसाद सिंह

विशेष आलेख

चिरंतन आरोग्य
ऋजुता दिवेकर

नीति और व्यवहार
डॉ सुभाष शर्मा



वन धन योजना: जनजातीय लोगों को आजीविका



“सं

कल्प से सिद्धि” – ग्रामीण और डिजिटल जुड़ाव अभियान से जुड़ी टीम (टीआरआईएफईडी-ट्राइफेड के अधिकारी और राज्य स्तर पर संबंधित एजेंसियां) नियमित तौर पर गांवों का दौरा कर रही है, ताकि वन धन विकास केन्द्रों पर तेजी से काम हो सके और निगरानी रखी जा सके। टीम द्वारा देशभर में दौरा किया जा रहा है और इससे ट्राइफेड को जमीनी स्तर पर वन धन विकास योजना केन्द्रों को लेकर हो रहे कार्यों के बारे में समझने में मदद मिली है।

ओडिशा एक ऐसा राज्य है जहां वन धन योजना को काफी तेजी से लागू किया जा रहा है। राज्य में वन धन विकास के कुल 660 केन्द्रों के आधार पर वन धन विकास के कुल 22 क्लस्टर तैयार किए गए हैं और यहां जनजातीय समुदाय के 6,300 से भी ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिला है। इन क्लस्टरों में पिछले कुछ महीनों से प्रशिक्षण का काम चल रहा है। साथ ही, प्रसंस्करण, पैकेजिंग आदि के लिए जरूरी मशीन की खरीद भी की जा रही है। ये क्लस्टर मयूरभंज, क्योङ्गर, रायगढ़, सुंदरगढ़ और कोरापुट जिलों में हैं। हाल ही में जनजातीय समुदाय के लोगों द्वारा कच्चे माल का उत्पादन और प्रसंस्करण भी शुरू कर दिया गया है।

मयूरभंज जिले के तीन क्लस्टरों- लुगुबुरु वीडिवीकेसी, माधारित्री वीडिवीकेसी और भीमकुंड वीडिवीकेसी में जनजातीय समुदाय के लोग शाल के पत्ते, शाल के बीज, कुसुम बीज, जंगली शहद जैसे कच्चे माल से प्लेट, कप, कुसुम बीज और शहद तैयार करेंगे। क्योङ्गर

जिले में अंचलिका खंडाधार वीडिवीकेसी में जनजातीय समुदाय के लोग कच्चे आम, सरसों और हल्दी से आम का पापड़, आम का अचार, हल्दी पाउडर और सरसों तेल तैयार करेंगे। बन दुर्गा क्लस्टर वीडिवीकेसी क्लस्टर में इमली, शाल के बीज आदि से शाल शैंपू, इमली वाले अलग-अलग उत्पाद तैयार किए जाएंगे। कोरापुट, रायगढ़ और सुंदरगढ़ जिलों के वीडिवीके क्लस्टरों में भी प्रसंस्करण के जरिये कई तरह के उत्पाद तैयार किए जाएंगे, जैसे कि इमली से जुड़े उत्पाद, महुआ का तेल, जैविक चावल, नीम का तेल, नीम केक, गूदे वाली चिरोँजी और हल्दी पाउडर।

जनजातीय लोगों के लिए रोजगार और आय बढ़ाने के मकसद से ट्राइफेड, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने कई तरह की पहल की है, मसलन वन धन जनजाति स्टार्टअप कार्यक्रम। इसका मकसद जंगलों में रहने वाले जनजातीय लोगों के लिए वन धन केंद्र स्थापित कर जंगल से जुड़े छोटे-छोटे उत्पादों को बेहतर बनाकर उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करना है। इससे इन लोगों के लिए आजीविका का इंतजाम हो सकेगा। पिछले 18 महीनों में वन धन विकास योजना पर तेजी से काम हुआ है और इसमें राज्यों की एजेंसियों ने भी अहम भूमिका निभाई है। वीडिवीकेसी के रफ्तार पकड़ने और ओडिशा के इन क्लस्टरों में उत्पादन शुरू होने के साथ ही, इस कार्यक्रम का फायदा राज्य के जनजातीय समुदाय को मिलेगा और उन्हें आजीविका का साधन मुहैया कराकर उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।





वरिष्ठ संपादक : कुलश्रेष्ठ कमल
संपादक : डॉ ममता रानी

संपादकीय कार्यालय

648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003

उत्पादन अधिकारी : के रामालिंगम
आवरण : गजानन पी धोपे

योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।

योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने और व्यक्तिगत हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

योजना में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं है।

योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं हैं, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

योजना लेखकों द्वारा आलेखों के साथ अपने विश्वसनीय स्रोतों से एकत्र कर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों/तालिकाओं/इन्फोग्राफिक्स के संबंध में उत्तरदायी नहीं है।

योजना घर मंगाने, शुल्क में छूट के साथ दरों व प्लान की विस्तृत जानकारी के लिए **पृष्ठ-49** पर देखें।

योजना की सदस्यता का शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद ही योजना प्राप्त न होने की शिकायत करें।

योजना न मिलने की शिकायत या पुराने अंक मंगाने के लिए नीचे दिए गए ई-मेल पर लिखें -

pdjucir@gmail.com

या संपर्क करें- **दूरभाष: 011-24367453**
(सोमवार से शुरुवार सभी कार्य दिवस पर
प्रातः 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक)

योजना की सदस्यता की जानकारी लेने तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें-

गौरव शर्मा, संपादक, पत्रिका एकांश
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातवां तल,
सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003

इस अंक में

प्रमुख आलेख

बदलनी होगी जीवन-शैली
सुनीता नारायण..... 6



फोकस

प्रकृति और मानवता के बीच संबंध
बालमीकि प्रसाद सिंह..... 8



नीति और व्यवहार
डॉ सुभाष शर्मा..... 12

प्रेरक प्रसंग
नितीन सप्रे..... 16

महामारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
डॉ गौरी शंकर नाग, आयुष मजूमदार..... 17

महामारी और गांधीवादी परिप्रेक्ष्य
डॉ सुचिता कृष्णप्रसाद..... 22

विशेष आलेख

चिरंतन आरोग्य
ऋजुता दिवेकर..... 32



कोविड-19 और मनोस्वास्थ्य
डॉ कृष्ण चन्द्र चौधरी..... 28

ई-कबाड़ प्रबंधन
ऋचा रश्मि..... 36

प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल को प्रोत्साहन
डॉ दीपक कोहली..... 44

योजना - सही विकल्प..... 48

हल्के/बिना लक्षण वाले कोविड-19 के मरीजों के होम आइसोलेशन के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश..... कवर-3

नियमित स्तंभ

विकास पथ
वन धन योजना: जनजातीय लोगों को आजीविका कवर-2

क्या आप जानते हैं?
घरेलू अगारबत्ती उद्योग को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन का एमआईएस मॉड्यूल..... 21

पुस्तक चर्चा - योग (सचित्र) 46

प्रकाशन विभाग के देश भर में स्थित विक्रय केंद्रों की सूची के लिए देखें पृ.सं. 20

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, ओडिया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित।



आपकी राय



जल है तो कल है

योजना अप्रैल 2021 'जल जीवन मिशन- हर घर जल' में पानी के महत्व पर अच्छा विश्लेषण किया गया है। विश्व की समस्त सभ्यताएं पानी के किनारे ही फली-फूली है। पानी एक मूलभूत आवश्यकता है। सभी नागरिकों को शुद्ध जल मिलना ही चाहिए। शुद्ध जल का संबंध नागरिकों के स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। यह दुर्भाग्य की बात है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा शुद्ध पेय जल से वंचित है। यह सौभाग्य की बात है कि अब इस ओर तेजी से कार्य हो रहा है। अधिक से अधिक लोगों की पहुंच शुद्ध नल के जल तक हो रही है।

सरकार ने अपनी नीतियों और फैसलों में जल प्रशासन को महत्व दिया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी अभियान, प्रति बूंद अधिक फसल अभियान, नमामि गंगे मिशन, जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना, महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। इन योजनाओं की सफलता पर ही देश का आर्थिक सामाजिक विकास निर्भर करता है।

इन योजनाओं में स्थानीय समुदाय को अधिक से अधिक जोड़ा जाए ताकि इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर और इन पर हो रहे व्यय पर निगरानी रहे और लोगों को विकास की अनुभूति हो।

भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने अपने आलेख में सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जाने वाले प्लास्टिक की मात्रा में कमी लाने की बात की है। सिर्फ एक बार इस्तेमाल किये जाने वाले प्लास्टिक के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया ही जाना चाहिए।

– विश्वनाथ सिंहानिया
जयपुर, राजस्थान

संग्रहणीय अंक

योजना का 'हर घर जल' विशेषांक में स्वच्छ पेय जल, भूजल का अंधाधुंध दोहन, जैव अपघटनशील ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अवजल प्रबंधन जैसे ज्वलंत मुद्दों पर विचार किया गया है, इससे यह संग्रहणीय और दुर्लभ अंक बन गया है।

सम्पादकीय में जल से संबंधित सभी मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। आज पूरी दुनिया में पानी की भारी किल्लत है, अतः जरूरी है कि प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ जल सहज रूप से उपलब्ध हो। देश के महानगरों में बोटल बंद पानी का जो रिवाज चल पड़ा है, हमें इसे रोकना होगा। प्रधानमंत्री ने सभी घरों को स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है, इस संबंध में उन्होंने कई योजनाओं की शुरुआत की है। अगस्त 2019 का जल जीवन मिशन के तहत पाइप लाइनों के जरिए घरों तक पानी की आपूर्ति प्रारंभ की गई थी। इसके तहत 2024 तक प्रत्येक नागरिकों तक पाइप वाले कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है।

सम्पादकीय में विचारणीय प्रश्न रखा

गया है, वह यह कि जल स्रोतों का पुनर्भरण और अवजल प्रबंधन के जरिए गंदे पानी को फिर से उपयोग में लाने योग्य बनाना, जल संरक्षण और रेन हार्वेस्टिंग, जैसे अधिक वैज्ञानिक उपायों से ही देश को मौजूदा जल संकट से उबारा जा सकता है।

'जलवायु संकट और पानी का भविष्य: भारतीय अनुभव' में सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद् सुनीता नारायण जी ने ग्लोबल वार्मिंग और इससे पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभाव (विशेषकर भारतीय कृषि) पर अपने आलेख में कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अपने विचार साझा किये हैं। देश में 50 प्रतिशत या इससे अधिक कृषि मॉनसून (वर्षा) पर आधारित है। जलवायु संकट का सामना कर रही पूरी दुनिया और विशेष रूप से भारत, हमें जल प्रणालियों में निवेश बढ़ा कर उन्हें ज्यादा टिकाऊ बनाना है। बेकार बह रहे पानी का संग्रहण करने के साथ ही पानी की हर बूंद का किफायती इस्तेमाल करना होगा।


– शैलेन्द्र कुमार पांडेय
सुहिया, शाहपुर,
जिला-भोजपुर, बिहार

योजना के आगामी अंक

जुलाई 2021- 'पूर्वोत्तर भारत'

आज ही अपनी प्रति निकटतम पुस्तक विक्रेता
के पास सुरक्षित कराएं।

शीघ्र आ रहा है - लोक प्रशासन पर केंद्रित अंक



सर्वे भवन्तु सुखिनः

अ भूतपूर्व विपत्ति के इस काल में हमारे चारों ओर कष्ट, वेदना, दुःख, मृत्यु और स्वजनों के बिछोह की कालिमा छाई है। इस विपदा का अंत कहां और कितना भयावह होगा, यह अब भी स्पष्ट नहीं है। एक ओर महामारी की विशाल दूसरी लहर ने हमारी स्वास्थ्य-व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है, दूसरी ओर तीसरी लहर की आशंका भी व्यक्त की जा रही है, जिसका प्रकोप कब और कितना होगा, कोई नहीं जानता। तमाम मानवीय गतिविधियों पर इस महामारी का असर पड़ा है। इस महामारी ने व्यापार और काम-धंधों को भी व्यापक रूप से प्रभावित किया है। वायरस का फैलाव रोकने के लिए ज़रूरी हो चुके लॉकडाउन से कइयों को नौकरी भी गंवानी पड़ी। जीवन और आजीविका में से क्या बचाया जा सकता है, यह प्रश्न विकट होता जा रहा है। मानव सभ्यता के समकालीन इतिहास की बड़ी घटना के रूप में सामने आई इस महामारी के साथ फिलहाल सबको जीने की आदत डालनी होगी और इस महाविपत्ति से लड़ने और इसे हराने के लिए अपनी स्वास्थ्य-प्रणाली को मजबूत बनाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है।

स्वास्थ्य देखभाल कर्मी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता, डॉक्टरों, शोधकर्ताओं को एक के बाद एक नई और व्यापक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी को लम्बी कार्य अवधि और कठिन तथा जीवन के खतरे वाली परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा है। अनिश्चितता तथा जीवन की क्षति ने काफी हद तक समाज के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया है।

इस महामारी ने हमारी दुनिया को बड़े विचित्र तरीके से नए सिरे से जोड़ भी दिया है और अलगाव भी पैदा कर दिया है। लोग अपनी-अपनी जगहों पर अटक गए हैं तो दूसरी ओर देश, एक-दूसरे की टीकों और चिकित्सा सामग्री जुटा कर मदद भी कर रहे हैं। इस समय समूची मानवता का एक ही शत्रु है। यह अभूतपूर्व, क्रूर और निरंतर फैलता संकट है और दुनिया भर की सभी सरकारों और देशों द्वारा समता और समानता के व्यवहार और सामूहिक इच्छा-शक्ति के बल पर ही इस बड़ी आपदा से पार पाया जा सकता है।

इस विपत्ति में हम सब साथ हैं और सभी उम्मीद की किरण तलाश रहे हैं। प्रश्न यह भी है कि इस स्वास्थ्य-आपदा के समाप्त होने के बाद हमारा जीवन और व्यवस्था कैसी होगी? क्या ये अनुभव समाज के सभी जनों के लिए बेहतर वातावरण बनाने के लिए हमारे तंत्र, संसाधनों और संकल्प को मजबूत करेगा? क्या हम ज्यादा आत्मीयता से एक-दूसरे से और प्रकृति से जुड़ेंगे? क्या यह आपदा हमारी वैज्ञानिक चेतना, विवेक और सद्भाव को बेहतर बनाएगी? क्या यह अनुभव हमें न्यायपूर्ण, समतामूलक और जन-कल्याणकारी समाज बनाने को प्रेरित करेगा?

हमें उन बच्चों की अपेक्षाओं-आवश्यकताओं को पूरा करना होगा जो कक्षा में साथ पढ़ने वाले अपने साथियों को लगभग साल भर से नहीं देख पाए हैं और जो इस विपत्ति के कारण अपनी चारदीवारों में फंस कर रह गए हैं। क्या हम उन्हें बेहतर जीवन-स्थितियां, स्वास्थ्य और अच्छा भविष्य दे सकेंगे? चुनौतियां बड़ी हैं और स्थितियां सामान्य होने तक हमारे संसाधन चुक रहे होंगे, उन पर भारी बोझ होगा।

स्वास्थ्य का अर्थ रोग या अक्षमता का ना होना मात्र नहीं है, यह तो पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आरोग्य है। हमें अब पर्यावरण के साथ अपने महत्वपूर्ण संबंधों की पड़ताल करनी होगी और उन्हें फिर से जोड़ कर ऐसा बेहतर विश्व बनाना होगा जिसमें सबके प्रति अपनापन हो, करुणा और सद्भाव हो। यह कठिन समय तो एक दिन समाप्त होगा ही। हमें उम्मीद है, आपदा का यह अनुभव हमें तन-मन से ज्यादा स्वस्थ, जिम्मेदार और बेहतर मनुष्य बना सकेगा।

बदलनी होगी जीवन-शैली

सुनीता नारायण

स्वास्थ्य पर्यावरण के प्रति हमें सचेत करने वाला सूचक है। जीवन-शैली से जुड़े संकटों को दूर रखने के लिए अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण के स्वास्थ्य के बीच सामंजस्य बनाना ही होगा।

जून 2017 में ब्रिटेन की एक मेडिकल पत्रिका - 'दि लांसेट' ने भारत के 15 राज्यों में मधुमेह की स्थिति के बारे में एक अध्ययन प्रकाशित किया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा वित्तपोषित यह अध्ययन कुछ डॉक्टरों ने किया था। इसके निष्कर्ष चिंताजनक थे। इसके अनुसार, (15 राज्यों के आंकड़ों के आधार पर) भारत के 7 प्रतिशत लोग मधुमेह-ग्रस्त थे। मधुमेह-पूर्व के लक्षणों (प्रारम्भिक संकेतों में बढ़ी हुई रक्त-शर्करा वाले) वाले लोग (विभिन्न मानदंडों के अनुसार) तो 10-15 प्रतिशत थे। किसी विकासशील देश के लिए यह एक बड़ा बोझ था।

उनके निष्कर्ष के अनुसार हम एक महामारी के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। अधिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वाले - गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और चंडीगढ़ जैसे राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों में, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों की तुलना में यह प्रतिशत अधिक था। अधिक आमदनी वाले दिल्ली और गोवा में अभी नमूने नहीं लिए गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी इलाकों की तुलना में मधुमेह का प्रकोप कम है। लेकिन ज्यादा चिंताजनक निष्कर्ष यह था कि ज्यादा आमदनी वाले शहरों में, वहां रहने वाले धनवान लोगों की तुलना में, गरीबों में मधुमेह का प्रतिशत ज्यादा था। दूसरे शब्दों में, समृद्ध शहरों के अमीर लोगों ने खान-पान की अच्छी आदतें अपना ली हैं।

लेकिन गरीब लोग अब अस्वास्थ्यप्रद खान-पान के जाल में फंसते जा रहे हैं। अध्ययन के अनुसार, गांवों में भी सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से ज्यादा बेहतर हालत वाले लोग मधुमेह की चपेट में आ रहे हैं। अध्ययन में कहा गया कि "यह महामारी का संक्रमण काल है।" इतनी बड़ी संख्या में शहरी गरीबों और गांवों में गरीबी से ऊपर उठ रहे लोगों में बीमारी के फैलाव से कभी भी स्थिति काबू से बाहर हो सकती है। अब हम भोजन के अभाव अथवा कुपोषण की बजाय गलत और अनावश्यक खानपान के दौर में पहुंच रहे हैं। हमें इस प्रवृत्ति को रोकना ही होगा।

सच्चाई यह है कि भारत को दोहरी बीमारियों की मार झेलनी पड़ रही है। हम गरीबों की बीमारियां- कुपोषण से हैजा तक - झेल रहे हैं। लेकिन हम अमीरों की बीमारियां - जैसे कैंसर और मधुमेह भी झेल रहे हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि, जैसे आईसीएमआर के अध्ययन से पता चलता है - गरीबों के लिए अमीरों की बीमारियां झेलना कठिन है लेकिन वे इनसे ग्रस्त हो रहे हैं।

ऐसी स्थिति में बीमारी की रोकथाम की नीति अपनाने की जरूरत है। हम जानते हैं कि चिकित्साकर्मी इन बीमारियों को असंक्रामक बीमारियां (एनसीडी) कहते हैं। ये हमारी जीवन-शैली से जुड़ी हैं। हम क्या खाते हैं? कैसी हवा में सांस लेते हैं? कैसे पर्यावरण में रहते हैं? ये 'विषैले' विकास के घटक हैं। यह विकास का ऐसा मॉडल है जिसमें हम पहले प्रदूषण फैलाते हैं और फिर उसे दूर करने की सोचते हैं। यह ऐसा मॉडल है जिसमें हम अपने भोजन को औद्योगिकृत-रासायनिक बनाते हैं, अस्वास्थ्यप्रद 'जंक' खाते हैं और फिर कसरत करने जिम में जाने या जैविक तरीके से उपजाया भोजन खाने के बारे में सोचते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम इस बदलाव से बच नहीं सकते? क्या हम गरीब और अस्वास्थ्यप्रद जीवन-शैली वाले होने की बजाय अमीर और अस्वास्थ्यप्रद जीवन-शैली वाले नहीं हो सकते? हम ऐसी बीमारियों वाली जीवन-शैली क्यों अपनाएं जिससे हम आसानी से बच सकते हैं?

इसीलिए बदलाव आवश्यक हो जाता है। यहीं हमें अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण के स्वास्थ्य के बीच महत्वपूर्ण कड़ी को जोड़ना है। हमारी नदियों की मौत के साथ हमें प्रदूषित पानी नजर आ रहा है। यही पानी देश में बच्चों की मृत्यु के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। आज घरों में स्वच्छ ईंधन न होने से महिलाओं को लकड़ी-उपलों के धुएं में खाना बनाना पड़ता है जिससे सांस की बीमारियां होती हैं। इसी धुएं से जो प्रदूषण फैलता है वह हमारे वातावरण में हवा को जहरीली बना रहा है। इस तरह, स्वास्थ्य पर्यावरण की स्थिति का सूचक है।





इसी स्थिति को देखते हुए, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2030 तक के लिए जो सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) रखे हैं, उनके केंद्र में बच्चों को रखा जाना चाहिए। इनमें से हर लक्ष्य बच्चों और उनके स्वास्थ्य से जुड़ा है और इस तरह हर लक्ष्य इस धरती के स्वास्थ्य से जुड़ा है। सतत विकास लक्ष्यों के इस मानवीय चहरे से ही हमारी प्रगति परिभाषित होनी चाहिए। लेकिन अब भी हम बहुत कम ही इन बातों को जोड़ कर देख पा रहे हैं।

कई वर्ष के विचार-विमर्श के बाद, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सतत विकास लक्ष्यों की राह में इन चार प्रमुख खतरों की पहचान की है - शराब और तंबाकू का सेवन तथा पोषक आहार और शारीरिक व्यायाम का अभाव। अब हमें ज्यादा नमक, चीनी और चर्बी वाले तथा कम पोषक तत्वों वाली खाद्य-सामग्री पर रोक लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई करनी होगी।

हम यह भी जानते हैं कि अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण ही विषैले पदार्थों की बुनियाद पर होता है। जितने ज्यादा आप धनवान होते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं पर उतना ही ज्यादा बोझ पड़ता है और इन सेवाओं की कीमत उतनी ही बढ़ती जाती है। याद रखें कि गरीबों की बीमारियों का उपचार हमेशा सरल और सस्ता होता है। उदाहरण के लिए, हैजा पानी में रोगाणुओं की वजह से होता है और पानी को इनसे मुक्त करना आसान है। दूसरी ओर, कैंसर भी उसी पानी में कुछ रसायनों की थोड़ी सी मात्रा की वजह से हो सकता है लेकिन इनसे पानी को मुक्त करना काफी महंगा है।

इसी तरह, जलवायु परिवर्तन, जो जीवन-शैली से जुड़ी सबसे भीषण आपदा है, और स्वास्थ्य को सतत विकास लक्ष्यों से जोड़ना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। शहरों में रह रहे लोग अब जानने लगे हैं कि मौसमों में बदलाव की वजह से संक्रामक रोग बढ़ने लगे हैं। मौसमों में गर्मी और सर्दी बढ़ने से गरीबों पर ज्यादा मार पड़ती है।

लेकिन, इसके लिए मात्र विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों की ज़रूरत नहीं है। हमारी संस्थाओं को इस सच्चाई को समझना होगा। खराब पर्यावरण - यानी वायु तथा जल प्रदूषण, कूड़े के ढेर और खाद्य-सामग्री में विषैले तत्वों का होना - और स्वास्थ्य के बीच संबंध एकदम स्पष्ट है और इसका समाधान

ज़रूरी है। हम इस ज़िम्मेदारी से अब बच नहीं सकते।

अच्छी बात यह है कि पर्यावरण के प्रति हमें सचेत करने वाला एकमात्र सूचक भी हमारा स्वास्थ्य ही है। हम पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए तब खड़े होंगे जब हमें पता चलेगा कि इसके बिगड़ने का असर सीधे हम पर पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, अब दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ जन-चेतना बढ़ी है। ऐसा इसलिए हुआ है कि जब प्रदूषण के बेकाबू हो जाने से जाड़ों में सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति बेहद खराब हो जाती है, और तब हवा में विषैले तत्वों और हमारे शरीर का संबंध लोगों को समझ में आने लगता है। लोग बदलाव इसलिए चाहने लगते हैं क्योंकि उन्हें उनके स्वास्थ्य और पर्यावरण के बीच संबंध समझ में आने लगता है। प्रदूषण की यह समझ महत्वपूर्ण भी है और उस स्थिति से भिन्न भी है जब कीटनाशकों के घुलने से हमारा पानी प्रदूषित होता है। अपने स्वास्थ्य से इस प्रदूषण का संबंध समझना लोगों के लिए थोड़ा कठिन होता है। इसी तरह, जल प्रदूषण की तुलना में, सूखती-प्रदूषित होती नदियों का अपने घर के नल के पानी से संबंध को समझना हमारे लिए ज्यादा कठिन होता है। अगर हमें थोड़ा समझ आता भी है तो हमारे पास तो घर में वाटर फिल्टर लगा लेना अथवा बाजार से पीने के पानी की बोतलें खरीदने का विकल्प होता है।

लेकिन वायु प्रदूषण समाज के सभी वर्गों को एक ही स्तर पर ले आता है। अपने घरों में एयर प्यूरिफायर लगा लेने के बावजूद, दिल्ली और अन्य शहरों के अमीर लोग प्रदूषित हवा से बच नहीं सकते। साथ ही, वायु को प्रदूषित करने वाले कारकों का स्वरूप इतनी तेजी से बदल रहा है कि हमारे घरों के एयर प्यूरिफायर इन मारक प्रदूषकों का मुक़ाबला करने के लिए इतनी तेजी से बदले नहीं जा सकते।

इसलिए, हमें बदलाव लाना ही होगा। अगर वायु प्रदूषण कम करने के लिए हमें अपनी डीजल वाली कार को छोड़ कर किफ़ायती और सुविधाजनक बस या मेट्रो में जाना पड़ेगा तो हम ऐसा करेंगे। क्योंकि यह हमारे हित में है। हम अपना व्यवहार इसलिए नहीं बदलेंगे कि वह इस धरती के हित में है, बल्कि इसलिए बदलेंगे कि यह हमारे भी हित में है। अच्छी बात यह है कि जो हमारे हित में है, वह धरती के हित में भी है। यह सब के हित में है।

भारत को दोहरी बीमारियों की मार झेलनी पड़ रही है। हम गरीबों की बीमारियां-कुपोषण से हैजा तक झेल रहे हैं। लेकिन हम अमीरों की बीमारियां-जैसे कैंसर और मधुमेह भी झेल रहे हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि, जैसे आईसीएमआर के अध्ययन से पता चलता है-गरीबों के लिए अमीरों की बीमारियां झेलना कठिन है लेकिन वे इनसे ग्रस्त हो रहे हैं।

प्रकृति और मानवता के बीच संबंध

बाल्मीकि प्रसाद सिंह


हज़ारों सालों से मानवता प्रकृति के साथ समरसतापूर्ण तरीके से रहती आई है। लेकिन आज प्रकृति और विश्व शांति दोनों ही खतरे में है जिसने मानव सभ्यता को भी खतरे में डाल दिया है। हमें पारिस्थितिकीय सभ्यता के निर्माण की ओर बढ़ना होगा और शांतिपूर्ण जीवन तथा समावेशी विकास के साथ-साथ प्रकृति का पूरा सम्मान करना होगा।

वै

शिवक महामारी, संघर्ष और प्राकृतिक आपदा के बीच पूरा विश्व अवसाद से गुजर रहा है। उत्तराखंड का चमोली जिला जो चिपको आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है, यहां हाल ही में हमने प्राकृतिक आपदा को देखा। प्राकृतिक चेतावनियों से यह स्पष्ट है कि प्रकृति के साथ मानवता के पुराने मैत्रीपूर्ण संबंधों में दरार आ गई है।

औद्योगिक क्रांति की लहर के कारण पृथ्वी की पारिस्थितिकी और इंसानों के पर्यावरण के साथ संबंधों में एक नया और उल्लेखनीय मोड़ आया। करीब पांच हजार वर्ष पहले हुए कृषि क्रांति ने समाज को भोजन और स्थायित्व प्रदान किया था। पहली औद्योगिक क्रांति 250 साल पहले हुई थी जो मुख्यतया कोयले और भाप के साथ हुई थी; दूसरी औद्योगिक क्रांति बिजली और तेल के साथ; तथा तीसरी कम्प्यूटर और सहायक सामग्रियों (एक्सेसरीज) के साथ; और अब चौथी औद्योगिक क्रांति में भौतिक, डिजिटल और तकनीकी दुनिया में प्रौद्योगिकी का सम्मिश्रण है। 20वीं शताब्दी के दौरान परमाणु बमों के विस्फोट के साथ मानवता ने नये युग में प्रवेश किया। हमने स्वयं को विनाश करने की शक्ति पा ली यह सुनिश्चित किये बिना कि हम ऐसा होने से रोक सकते थे।

लेखक सिक्किम के पूर्व राज्यपाल हैं। वे भारत सरकार में पूर्व सांस्कृतिक सचिव तथा गृह सचिव तथा वर्ल्ड बैंक, वाशिंगटन डीसी में कार्यकारी निदेशक और राजदूत भी रह चुके हैं। ईमेल: bpsias@gmail.com



एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल है जहां देश शक्ति और प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से 21वीं शताब्दी में भविष्य की शांति और सौहार्द वर्तमान जीवन की कुछ मौलिक वास्तविकताओं से संबंधित है : (1) पारिस्थितिकी, ग्लोबल वार्मिंग (भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि) और जलवायु परिवर्तन (2) नाभिकीय अस्त्र, युद्ध के लिए नयी तकनीक और राष्ट्रों के बीच हथियारों की स्पर्धा (3) भूराजनीति और राष्ट्रवाद (4) धार्मिक चरमपंथ और (5) गरीबी तथा असमानता।

विस्तृत औद्योगिकीकरण, कारखानों के प्रसार, सड़कों के निर्माण के लिए जंगलों के कटाव, विशाल बांधों और विद्युत उत्पादन

गृह के निर्माण के लिए नदियों को रोकने, यातायात के साधनों की गतिविधियों और लोगों के पलायन ने पारिस्थितिकी में गंभीर गड़बड़ी पैदा की है। जिसके फलस्वरूप पर्यावरण परिवर्तन और भूमंडलीय ताप में वृद्धि को नकारा नहीं जा सकता है। पर्यावरण परिवर्तन और भूमंडलीय ताप में वृद्धि के संदर्भ में विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की है कि इसके कारण कई विनाशकारी परिणाम होंगे जिसमें विश्व भर के अरबों लोगों का विस्थापन भी शामिल है।

आज प्रकृति और विश्व शांति दोनों ही खतरे में हैं। इन सारे विकास ने भू-राजनीति के साथ मिलकर मानवता को खतरे में डाल दिया है और हमें यह नहीं पता कि वर्तमान

की संकटमय परिस्थिति के आत्मघाती तरीकों से कैसे उबरा जाए। इसे त्रिस्तरीय दृष्टिकोण से बढ़ाने की जरूरत है : (1) प्रकृति (2) विज्ञान (3) बुद्धिमत्ता।

प्रकृति

आज मानव अस्तित्व को ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से खतरा हो रहा है और इसमें इतनी क्षमता है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों के अरबों लोगों के जीवन और निवास स्थान को नुकसान पहुंचा सकता है। पारिस्थितिकी संरक्षण की चुनौतियों की भयावहता और जलवायु परिवर्तन दहला देने वाला है और अब इस बात की आवश्यकता है कि हमारी सोच और व्यवहार में बदलाव लाया जाए। इस मुद्दे का केंद्र बिंदु यह है कि हम हमारी सभ्यता की प्रक्रिया के संरक्षण के लिए किस प्रकार नये और संवेदनशील निर्माण की ओर बढ़ सकते हैं।

इस संदर्भ में हाल की पांच घटनाओं को उल्लेख किया जा सकता है : (1) वर्ष 2019 में ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग (2) विलुप्त होती प्रजातियां (3) वर्ष 2002-03 में हांगकांग में सार्स (सीवियर एक्वेट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम) महामारी (4) कैलीफोर्निया के जंगलों में लगी आग (5) वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी।

ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी व्यापक आग को बुझाना काफी कठिन था। इस आग से 6.3 मिलियन हेक्टेयर से भी ज्यादा क्षेत्र प्रभावित हुआ था। वर्ष 2019 में एमोजोन के वर्षा जंगलों ने आग की भीषणता को देखा था।

यह वर्णित किया जा सकता है कि बड़ी संख्या में प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। पुनर्गणना के लिए सिर्फ वर्ष 2019 में ही हमने पक्षियों की तीन प्रजातियां, दो मेंढकों की, एक शार्क की, एक घोंघा और एक प्रसिद्ध स्वच्छ जल मछली को विलुप्त घोषित किया गया था।

वर्ष 2002 -03 में हांगकांग में सार्स के प्रकोप के कारण लगभग 800 लोगों की मृत्यु हो गई थी, और इसे विश्व स्तर पर महामारी घोषित किया गया था।

हम कोरोना वायरस की महामारी कोविड-19 का सामना कर रहे हैं, जिसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रखा है,

21वीं शताब्दी में भविष्य की शांति और सौहार्द वर्तमान जीवन की कुछ मौलिक वास्तविकताओं से संबंधित है : (1) पारिस्थितिकी, ग्लोबल वार्मिंग (भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि) और जलवायु परिवर्तन (2) नाभिकीय अस्त्र, युद्ध के लिए नयी तकनीक और राष्ट्रों के बीच हथियारों की स्पर्धा (3) भूराजनीति और राष्ट्रवाद (4) धार्मिक चरमपंथ और (5) गरीबी तथा असमानता।



और इसने यात्रा और व्यापार पर प्रतिकूल रूप से असर डाला है, जिसका परिणाम यह हुआ कि विश्व स्तर पर मंदी आ गई, यहां तक कि अर्थव्यवस्था में भी मंदी आ गई। इन सबका परिणाम यह हुआ कि निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही दिहाड़ी मजदूरी करने वालों के लिए जीविका का साधन जुटाना बड़ी चुनौती बन गया।

वर्ष 2020 में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग में करीब एक सौ मिलियन एकड़ जमीन जल गई थी। यह आग बड़ी संख्या में लोगों के पलायन और मृत्यु का कारण बनी थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसकी अनदेखी के लिए बड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। उन्होंने इसे जलवायु परिवर्तन से जोड़कर न देखकर सिर्फ वन प्रबंधन से जोड़कर देखा। पहले अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन समझौता जो पेरिस समझौते के नाम से विख्यात है, से स्वयं को बाहर कर लिया था। खैर! राष्ट्रपति बाइडेन ने उस निर्णय को बदला और उन्होंने चार वर्षों में दो ट्रिलियन डॉलर खर्च करने का वादा किया ताकि स्वच्छ ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ाया जाए और अंततः तेल, गैस और कोयले के प्रज्वलन को हटाया जाए। ये पांचों घटनाएं हमें यह संकेत देती हैं कि अगर पारिस्थितिकी संबंधी समस्याओं को शीघ्रता से नहीं सुलझाया गया तो विश्व को स्वयं को बर्बाद करने के लिए विश्व युद्ध की आवश्यकता नहीं होगी।

विज्ञान

20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में पश्चिमी और विकासशील देशों में समाज का ध्यान विज्ञान और तकनीकी में केंद्रित हो गया। इसने धन, राजनैतिक सहयोग और जन समर्थन के आधार पर प्रमुखता दी, इसने अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया जो उद्योगों और सेवाओं पर आधारित है। वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी व्यापक और शक्तिशाली होती जा रही है, और यह आने वाले दशकों में भी जारी रहेगी। सूचना और संचार क्रांति बड़ी ही शीघ्रता से हमारे सम्प्रेषण की शैली को परिवर्तित करती जा रही है। इसने उत्पादों, सांस्कृतिक मूल्यों और सूचना के वैश्वीकरण

वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी व्यापक और शक्तिशाली होती जा रही है, और यह आने वाले दशकों में भी जारी रहेगी। सूचना और संचार क्रांति बड़ी ही शीघ्रता से हमारे सम्प्रेषण की शैली को परिवर्तित करती जा रही है। इसने उत्पादों, सांस्कृतिक मूल्यों और सूचना के वैश्वीकरण को प्रेरित किया। यह बाजार और व्यापार को एकीकृत कर रही है। लेकिन इस परिदृश्य में पर्यावरण और प्रकृति का क्या हो रहा है, यह एक बड़ी चिंता का विषय है।

को प्रेरित किया। यह बाजार और व्यापार को एकीकृत कर रही है। लेकिन इस परिदृश्य में पर्यावरण और प्रकृति का क्या हो रहा है, यह एक बड़ी चिंता का विषय है।

अत्यधिक लालसा, दोषपूर्ण योजनाएं, असंवेदनशील राजनीति और कल्पना के अभाव में हमने भयप्रद स्थिति को निमंत्रण दिया है। मूल्य-विहीन तकनीकी ने नीचे की ओर जाते मार्ग की गति को और भी तीव्र कर दिया है। जलवायु परिवर्तन और भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि गंभीर समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रदूषक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है। इसे तीव्र गति से बदलने के लिए हमें बाजार की शर्तों को बदलना होगा। यह लाभ के सिद्धांत पर आधारित है। इस बदलाव से तात्पर्य बाजार में लेन-देन की आम प्रक्रिया का अस्वीकरण है ताकि मानवीय सरोकार लंबे समय तक चले। क्या हम इस प्रमुख बदलाव के लिए तैयार हैं? और अब बुद्धिमत्ता की बारी आती है।

बुद्धिमत्ता

केंब्रिज एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी में विसडम (बुद्धिमत्ता) को - बेहतर निर्णय और न्याय के लिए व्यक्ति के ज्ञान और अनुभव के प्रयोग की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। बुद्धिमत्ता अनुभव से उत्पन्न एक चीज है, और इसका प्रतिबिंब न सिर्फ वर्तमान पीढ़ी में दिखता है बल्कि देश के साथ विश्व भर की सभ्यता की प्रक्रिया में भी दिखता है। बुद्धिमत्ता लोगों को इस बात के लिए सक्षम बनाती है कि वे धरती को ध्यान में रखते हुए विकास

और वैज्ञानिक खोजों के परस्पर विरोधी दावों के संतुलन के संदर्भ में चुनौतियों का सामना कर सकें। इंसान पर्यावरण को बर्बाद कर सकता है, साथ ही साथ अपनी संकीर्ण इच्छाओं से ऊपर उठ कर, तकनीकी का प्रयोग कर, पौधा और विभिन्न प्रजातियों के विनाश की प्रक्रिया को पलट सकता है, तथा कार्बन के उत्सर्जन को भी कम कर सकता है।

वर्तमान परिस्थिति में अगर हम अपनी बुद्धिमत्ता का सही प्रयोग नहीं करते हैं तो प्रकृति का नुकसान होगा और आने वाली पीढ़ी हमारी असफलता के लिए हमें दोष देगी। हमें वैदिक नीतिवचन 'माता भूमि: पुत्रो अहं पृथिव्याः' (पृथ्वी हमारी माता और हम उसकी संतान हैं) को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा।

यह संतोषप्रद है कि 12 दिसंबर 2015 को विश्व पर्यावरण समझौता विश्व के 195 देशों तक पहुंचा। पेरिस समझौता, जैसा कि यह जाना जाता है, इसने देशों को इस बात के लिए वचनबद्ध किया है कि वे ऐसी कार्रवाई और नीतियां बनाएं जिससे कि वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस (3.6 डिग्री फेरेन्हाइट) नीचे आ जाए। उन्हें यह कोशिश करनी चाहिये कि ग्लोबलवार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाए। समझौते में यह स्वीकार किया गया कि वर्तमान समय में ग्रीनहाउस गैस की समस्या का सबसे बड़ा कारण औद्योगिक क्रांति और कोयला और पेट्रोलियम में लगी आग है। और यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देश जो इस प्रक्रिया से अमीर होते गए हैं, उनकी विकासशील देशों के प्रति यह जिम्मेदारी बनती है कि उनका भी यथोचित स्तर तक आर्थिक विकास हो लेकिन जीवश्म ईंधन का प्रयोग कम हो। 19



फरवरी 2021 को अमरीका आधिकारिक रूप से पेरिस समझौते में पुनः शामिल हो गया।

आगे की राह

कोविड के बाद की दुनिया एक अलग ही दुनिया होगी। इसने यह स्पष्ट कर दिया कि हम सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं और हमें आर्थिक लाभ के साथ ही साथ विज्ञान के नतीजों पर भी साथ मिलकर काम करना होगा, धर्म, सम्प्रदाय आर्थिक और सांस्कृतिक मतभेद के बिना। हमें प्रकृति के लिए आशा, हिम्मत और आदर उत्पन्न करना होगा। हमें विज्ञान और इंसानी सूझबूझ का प्रयोग दृढ़ संकल्प के साथ करना होगा ताकि वर्तमान में फैली मायूसी से उबरा जा सके। अगर विज्ञान, आध्यात्मिकता और बुद्धिमत्ता हाथ से हाथ मिला कर चलें तो इस पृथ्वी पर बेहतर दुनिया का निर्माण किया जा सकता है। महात्मा गांधी ने कहा था - "पृथ्वी इंसानों की जरूरतें तो पर्याप्त रूप से पूरी कर सकती है लेकिन उसके लालच को नहीं" यह कोविड के बाद की दुनिया का सिद्धांत होगा कि हमें एक दूरदर्शी नेतृत्व और शासन प्रणाली के लिए सक्षम संस्थानों की आवश्यकता होगी।

अब यह अनिवार्य आवश्यकता हो गई है कि पारिस्थितिकीय सभ्यता के निर्माण की

दिशा में काम हो जो प्रकृति के साथ सौहार्द के साथ जीने के तरीकों की रूपरेखा भी हो।

कोविड-19 ने ना सिर्फ आधारभूत चिकित्सा सेवा की कमी को उजागर किया है बल्कि इसने पारिस्थितिकी को हुए नुकसान को भी बताया है। चलें सब साथ मिलकर ऐसी बुद्धिमत्ता विकसित करते हैं जो युवा वर्ग को ना सिर्फ अपने बारे में बल्कि एक-दूसरे के बारे में सोचने के लिए तैयार करे। ऐसे वातावरण का निर्माण करें जिसमें नैतिक मूल्यों जैसे ईमानदारी, परिश्रम, उत्तरदायित्व, और हमारे कार्यों का प्रभुत्व हो। चलिये ऐसे विश्व के निर्माण की ओर बढ़ते हैं, जिसमें सभी को शिक्षा का अवसर मिले और सभी लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हों और भविष्य में होनेवाली महामारियों को हरा सकें। यह सब तभी संभव है जब हम साथ मिलकर काम करें।

मैं बहुधा दृष्टिकोण को मानता हूँ जो ऋग्वेद में हमारे लिए वर्णित नीतिवचन पर आधारित है। यह प्रगट करता है - एकम सत विप्रा बहुधा वदति।

वास्तविकता एक है, विद्वानों ने इसे विविध रूपों में बताया है।

यह विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों, के बीच बातचीत का अवसर तथा जीने का मार्ग भी प्रदान करता है। यह जीवन और प्रकृति की विविधता और इसके सामंजस्य के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करती है। मैंने यह पाया है कि धर्म और आध्यात्मिक मूल्य में इतनी क्षमता है कि वे सामाजिक एकजुटता में विश्वास बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हमें वर्तमान की अनिश्चितता से हटकर पारिस्थितिकी संस्कृति के निर्माण तथा शान्तिपूर्ण जीवन तथा समावेशी विकास और प्रकृति के सम्मान की ओर आगे बढ़ना होगा। ■



नीति और व्यवहार

डॉ सुभाष शर्मा

भारत समेत तमाम विकासशील देशों को 'सबके लिए स्वास्थ्य' का लक्ष्य प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखने की जरूरत है। यह न सिर्फ मानव संसाधन का विकास सुनिश्चित करता है, बल्कि हमारी आगामी पीढ़ियों के लिए भी इसका काफी महत्व है। विकासशील देशों को अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में स्वास्थ्य बजट का हिस्सा बढ़ाना होगा। साथ ही, स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कुल खर्च में सरकारी खर्च की हिस्सेदारी को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।

सं

युक्त राष्ट्र ने 1978 के अल्मा आटा (अब अल्माटी) घोषणा पत्र में सभी के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रारूप पेश किया था। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर पहली बार इस तरह की पहल की गई थी। इसका मकसद स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में समानता को बढ़ावा देना और सभी समुदायों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करना था। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के संविधान के मुताबिक, सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधा के संदर्भ में बेहतर स्वास्थ्य, जीवन स्तर, मेडिकल संबंधी देखभाल, माताओं और बच्चों की विशेष देखभाल और सहायता जैसे

पहलू उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा, यूडीएचआर (मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा) के अनुच्छेद 3 में साफ तौर पर सभी को जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार होने की बात कही गई है। जाहिर तौर पर, जीवन के अधिकार के तहत भोजन और स्वास्थ्य का अधिकार (सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के मुताबिक) भी शामिल है। लिहाजा, 1978 का अल्मा आटा घोषणा पत्र यूडीएचआर और विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान को ध्यान में रखकर बनाया गया था। दरअसल, कजाकिस्तान के अल्मा आटा (अब अल्माटी) शहर में 'प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा' पर हुए इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में सभी देशों की



लेखक सेवानिवृत्त आईएस अधिकारी हैं। ईमेल: sush84br@yahoo.com

**सारणी 1: जीडीपी में स्वास्थ्य पर खर्च का हिस्सा
(प्रतिशत में) (2018)**

क्र.सं.	देश	जीडीपी में स्वास्थ्य पर खर्च का हिस्सा (प्रतिशत में)
1.	अमेरिका	16.9 प्रतिशत
2.	स्विट्जरलैंड	12.2 प्रतिशत
3.	जर्मनी	11.2 प्रतिशत
4.	फ्रांस	11.2 प्रतिशत
5.	क्यूबा	11.19 प्रतिशत
6.	स्वीडन	11.0 प्रतिशत
7.	जापान	10.9 प्रतिशत
8.	कनाडा	10.7 प्रतिशत
9.	डेनमार्क	10.5 प्रतिशत
10.	बेल्जियम	10.4 प्रतिशत
11.	ऑस्ट्रिया	10.3 प्रतिशत
12.	नॉर्वे	10.2 प्रतिशत
13.	नीदरलैंड्स	9.9 प्रतिशत
14.	ब्रिटेन	9.8 प्रतिशत
15.	ऑस्ट्रेलिया	9.3 प्रतिशत
16.	ब्राजील	9.2 प्रतिशत
17.	चिली	8.9 प्रतिशत
18.	दक्षिण अफ्रीका	8.1 प्रतिशत
19.	इजरायल	7.5 प्रतिशत
20.	हंगरी	6.6 प्रतिशत
21.	मैक्सिको	5.5 प्रतिशत
22.	रूसी फेडरेशन	5.3 प्रतिशत
23.	चीन	5.0 प्रतिशत
24.	भारत	1.26 प्रतिशत
25.	बांग्लादेश	3.0 प्रतिशत+
26.	पाकिस्तान	3.0 प्रतिशत+

सरकारों, स्वास्थ्यकर्मियों आदि की तरफ से तत्काल कार्रवाई की जरूरत बताई गई थी। घोषणा पत्र में यह भी कहा गया था कि दुनिया के सभी लोगों की सेहत की सुरक्षा के लिए भी विश्व समुदाय को कार्रवाई करनी चाहिए।

उदारीकरण और निजीकरण - स्वास्थ्य पर असर

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2005 और 2011 में भी सभी के लिए स्वास्थ्य का नारा बुलंद किया। हालांकि, इसने 'सार्वभौमिक प्रणाली' का भी इस्तेमाल किया, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए वित्तीय योगदान के पूर्व भुगतान का मामला भी शामिल था। इसका मकसद लोगों के जोखिम को साझा करना था। उदारीकरण और निजीकरण व खास तौर पर विश्व बैंक के प्रभाव में ऐसा किया गया। लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए दिसंबर 2012 में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में इस एजेंडे पर और जोर दिया गया और इसे 2015 के बाद के विकास के एजेंडे में शामिल किया गया। बहरहाल, विश्व बैंक ने अपनी विश्व विकास रिपोर्ट (1993) में स्वास्थ्य सुविधा संबंधी उपायों की रैंकिंग 'लागत प्रभावशीलता' के आधार पर की। विश्व बैंक के कम आय वाले देशों से जुड़े न्यूनतम स्वास्थ्य पैकेज के आधार अनुमानित एक तिहाई बीमारियों से लड़ने पर विचार किया गया। हालांकि, कम आय वाले देशों में कई आम बीमारियों (चोट, मधुमेह, मोतियाबिंद, रक्तचाप, मानसिक बीमारी और बच्चेदानी का कैंसर) को सार्वजनिक फंडिंग के दायरे से बाहर रखा गया। सबसे गरीब माने जाने वाले 37 देशों में 1980 के दशक के दौरान 'ढांचागत बदलाव' या आर्थिक सुधार होने से इन देशों में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च में 50 प्रतिशत तक गिरावट देखने को मिली। मैक्सिको में यह 60 प्रतिशत तक घट गया। इसका असर कुछ इस तरह रहा:

1. चूँकि सरकारें विकास संबंधी गतिविधियों से अलग हो गईं, लिहाजा स्वास्थ्य और संबंधित अन्य क्षेत्रों (शिक्षा, वंचित समुदायों के कल्याण आदि) में सरकारी निवेश में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली;
2. इससे सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की काफी कमी हो गई और मरीजों को निजी क्लीनिकों में जाने को मजबूर होना पड़ा;
3. सरकारी अस्पतालों में मेडिकल उपकरण, दवाएं और जांच सुविधाएं भी कम हो गईं और इन अस्पतालों में मरीजों को दवा खरीदने के लिए बाहर जाना पड़ा। साथ ही, उन्हें स्वास्थ्य जांच संबंधी गतिविधियों के लिए भी खुले बाजार में जाना पड़ा और इसके लिए ज्यादा पैसे चुकाने को मजबूर होना पड़ा;
4. निजी डॉक्टर न सिर्फ फीस के तौर पर मोटी रकम लेने लगे, बल्कि महंगी और गैर-जरूरी दवाएं भी लिखने लगे और ऐसे जांच भी कराने लगे जिन्हें कराए बगैर भी काम चल सकता था;
5. सरकार के नियामकीय तंत्र की ढिलाई की वजह से, सरकारी डॉक्टर और संबंधित अन्य स्वास्थ्यकर्मी भी ज्यादा वक्त अपने निजी क्लीनिकों को देने लगे;
6. भोजन, स्वच्छता संबंधी सब्सिडी खत्म किए जाने से संक्रामक और गैर-संक्रामक बीमारियों में बढ़ोतरी हुई और इसके परिणामस्वरूप बीमारी के लंबा खिंचने और मौत के आंकड़े भी बढ़े;
7. मुक्त बाजार ('अदृश्य हाथ') की अवधारणा 'निजी देखभाल' पर आधारित थी और 'प्राइवेट/निजी' को बेहतर माना गया। हालांकि,

ज्यादातर विकासशील देशों में स्वास्थ्य सेवा और स्थानीय लोगों के लिए बराबरी और बेहतरी की दिशा में कोई सुधार नहीं हुआ, जबकि निजी बीमा कंपनियों, सलाहकार कंपनियों, निजी दवा कंपनियों और निजी अस्पतालों ने मुनाफा कमाया।

आजकल, ज्यादातर विकसित और विकासशील देशों में सार्वजनिक-निजी साझेदारी, आधुनिकीकरण, बेहतर स्वास्थ्य बीमा जैसे शब्द प्रचलन में हैं। हालांकि, क्यूबा, चीन, कोस्टा रिका, मलेशिया, श्रीलंका, रवांडा, वेनेजुएला और थाइलैंड में वैकल्पिक स्वास्थ्य प्रणालियां भी मौजूद हैं। साल 2002 से थाइलैंड में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तहत सभी लोगों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था है और सभी



अस्पतालों के 77 प्रतिशत बिस्तर सरकारी व्यवस्था के तहत हैं। क्यूबा में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा प्रणाली के तहत सभी बुजुर्ग लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है। थाइलैंड और क्यूबा में सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कई तरह के नियम बनाए गए हैं, मसलन डॉक्टरों और नर्सों के लिए ग्रामीण इलाकों में कम से कम 3 साल करने की अनिवार्यता और शहरी अस्पतालों के अलावा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी बड़े पैमाने पर निवेश। थाइलैंड में 2001 में स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.7 प्रतिशत था। यह 2008 में बढ़कर 2.7 प्रतिशत हो गया, जो भारत के मुकाबले ज्यादा है। प्रति 10,000 की आबादी पर मलेशिया में 9.4, फिलिपींस में 11.5, वियतनाम में 12.2 और सिंगापुर में 18.3 डॉक्टर हैं, जबकि भारत में हर 10,00 की आबादी पर सिर्फ 7 डॉक्टर हैं। सारणी 1 में वैश्विक स्तर पर जीडीपी के मुकाबले स्वास्थ्य पर खर्च का आंकड़ा दिया गया है।

इससे स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च में भारत की निचली रैंकिंग का पता चलता है। यहां तक कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में भी स्वास्थ्य पर जीडीपी का सिर्फ 2.5 प्रतिशत खर्च करने की बात कही गई है। इन नीतियों के परिणामस्वरूप, भारत में आम तौर पर लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। भारत ने 2030 तक यूनिवर्सल हेल्थ केयर (यूएचसी) सुनिश्चित करने का वादा किया था। इसके तहत 2025 तक स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च 1.26 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत करने की बात है और इनमें से 70 प्रतिशत खर्च प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं पर किए जाएंगे। इसी तरह, भारत में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च सिर्फ 1,657 रुपये (2018-19) था, जो श्रीलंका (5,000) और इंडोनेशिया (3,500 रुपये) से भी काफी कम है। साथ ही, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हर 1,000 लोगों पर 1 डॉक्टर होने का मापदंड तय किया है, जबकि भारत में यह अनुपात 1:1,404 है। यानी देश में 1,404 लोगों के लिए 1 डॉक्टर है (फरवरी 2021)। ग्रामीण इलाकों में हालात और खराब हैं और यहां डॉक्टर-आबादी का अनुपात 1:11,000 है (2019)। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक (2016) के मुताबिक, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, हर 10,000 लोगों पर 44.5 स्वास्थ्यकर्मियों की जरूरत है और भारत में यह आंकड़ा आधे से भी कम है। खास तौर पर डॉक्टरों के मामले में स्थिति और खराब है। उत्तर भारत के कई राज्यों में ज्यादातर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/स्वास्थ्य केंद्र तकरीबन ठप पड़े हैं और सिर्फ आशा कार्यकर्ता, फार्मासिस्ट, नर्स आदि ही यहां कभी-कभार नजर आती हैं। इन केंद्रों पर न तो किसी तरह की जांच की व्यवस्था

होती है और न ही दवा, बिस्तर वगैरह का इंतजाम होता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों (2015) के मुताबिक, 1990-2015 के दौरान 5 साल से कम के बच्चों की मौत की प्रमुख वजह कुपोषण रही। ऐसी 45 प्रतिशत मौतों का कारण कुपोषण पाया गया। आंकड़ों के अनुसार, विकासशील देशों में कम वजन वाले बच्चों का आंकड़ा 28 प्रतिशत था, जो 2015 में घटकर 16 प्रतिशत हो गया। इस मानक से जुड़ा सहस्राब्दि विकास का लक्ष्य उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी देशों, यूरोपीय और पश्चिमी प्रशांत के देशों में पूरा हो गया, लेकिन पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र, दक्षिण-पूर्व एशियाई और अफ्रीकी देशों में इसे पूरा नहीं किया जा सका। भारत में तकरीबन 47 प्रतिशत बच्चों का वजन तय मानक से कम है। इसी तरह, 1990-2013 के दौरान वैश्विक स्तर पर नाटे कद के बच्चों की संख्या 25.7 करोड़ से घटकर 16.1 करोड़ हो गई यानी इसमें 37 प्रतिशत की गिरावट हुई। हालांकि, हमारा देश इस मोर्चे पर भी लक्ष्य पूरा नहीं कर सका। खाद्य और कृषि संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2018 में दुनिया भर में 82.2 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार थे और 200 करोड़ लोग खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे थे। कुपोषण की प्रमुख वजहों में गरीबी, मां का शिक्षित नहीं होना, पोषक तत्वों से वंचित भोजन, साफ पानी और स्वच्छता का अभाव आदि शामिल हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2019 (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) में कुल 117 देशों की सूची में भारत 102वें पायदान पर था। इस सूची में भारत को 30.3 अंक दिए गए थे और यह 'गंभीर रूप से भुखमरी के शिकार' देशों की श्रेणी में शामिल था। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में कुल 107 देशों की सूची में भारत 94वें स्थान पर था और उसे 27.2 अंक दिए गए थे। हालांकि, इससे ज्यादा यानी 30-34.9 अंक वाले देशों को गंभीर रूप से भुखमरी के शिकार देशों की श्रेणी में रखा गया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक, देश की 14 प्रतिशत आबादी पोषण की कमी से जूझ रही है और 5 साल से कम के 17.3 प्रतिशत बच्चे भी इसी श्रेणी में हैं। इसके अलावा, 34.7 प्रतिशत भारतीय बच्चे नाटे कद के हैं। हालांकि, 2000-2020 के दौरान, भारत में वैश्विक भुखमरी सूचकांक 38.9 से घटकर 27.2 हो गया।

सतत विकास लक्ष्य: भारत समेत ज्यादातर विकासशील देश साल 2015 तक सतत विकास से जुड़े अन्य लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए। इस वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 169 लक्ष्य समेत सतत विकास से जुड़े 17 लक्ष्य घोषित किए, जिसे 'दुनिया को बदलना: सतत विकास का एजेंडा' के तौर पर जाना जाता है। ब्रंडटलैंड आयोग ने अपनी रिपोर्ट 'हमारा सामूहिक भविष्य (1987)' में सतत विकास को इस तरह पारिभाषित किया है: 'जरूरतें पूरा करने की भविष्य की पीढ़ियों की

क्षमता से समझौता किए बिना मौजूदा पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करना' सतत विकास लक्ष्य संबंधी गतिविधियों को 2015 में शुरू किया गया था और 6 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद भी इस दिशा में ज्यादातर देशों का प्रदर्शन ठीक नहीं है। ऐसे में कुछ ही देश 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे।

बेहतर स्वास्थ्य के लिए अनुकूल माहौल: मौजूदा नीति में, स्वास्थ्य से जुड़ी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्राथमिकता वाले 7 क्षेत्रों की पहचान की गई है: (1) स्वच्छ भारत अभियान; (2) संतुलित और पौष्टिक आहार; (3) तंबाकू, अल्कोहल और ऐसी अन्य चुनौतियों से निपटना; (4) यात्री सुरक्षा- रेल और सड़क दुर्घटना के कारण होने वाली मौतों को रोकना; (5) निर्भय नारी- स्त्रियों के खिलाफ हिंसा पर कार्रवाई; कार्यस्थल पर कामकाज का बेहतर माहौल और (6) घर के बाहर और भीतर वायु प्रदूषण को कम करना।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने से जुड़े चरण: सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इन स्तरों पर काम होता है:

1. प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं- चुनिंदा स्वास्थ्य सुविधाएं और बड़े अस्पतालों के बारे में जानकारी मुहैया कराना;
2. प्राथमिक केंद्रों से ऊपर के स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं- इनपुट और आउटपुट आधारित रणनीतिक खरीदारी;
3. सरकारी अस्पताल- यूजर फीस और लागत वसूलना और सबके लिए दवा, जांच और आपातकालीन सेवाएं सुनिश्चित करना;
4. आधारभूत संरचना और मानव संसाधन का विकास- सेवाओं से वंचित क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए अलग-अलग तरह की रणनीति;
5. शहरी स्वास्थ्य-प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने और शहरी गरीबों की मदद के लिए ठोस स्तर पर पहल
6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम- कार्यक्रमों को असरदार बनाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा एकीकृत और बेहतर सिस्टम बनाना और
7. आयुष सेवाएं- तीन आयामों के आधार पर इसे मुख्य धारा में लाना।

स्वास्थ्य सेवाओं में वैश्विक राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर लैंगिक असमानता है। इसकी कुछ बानगी इस तरह है:

1. साल 2016 में 23.8 लाख मरीज इलाज के लिए नई दिल्ली के एम्स पहुंचे, लेकिन इनमें सिर्फ 37 प्रतिशत महिलाएं थीं। हालांकि, इस बात की पक्की जानकारी है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की बीमारी के मामले ज्यादा होते हैं, लेकिन उनका इलाज कम होता है।
2. गरीबी, स्थान और अन्य सामाजिक वजहों से भी लैंगिक असमानता को बढ़ावा मिलता है।
3. विकसित देशों में भी पुरुषों के बराबर ही महिलाएं भी दिल की

बीमारी का शिकार होती हैं, लेकिन न सिर्फ पुरुषों के मुकाबले उनका इलाज कम होता है, बल्कि इस बारे में पता भी नहीं चल पाता।

4. ज्यादा मोटापा और हार्मोन की वजह से महिलाओं के शरीर पर दवाओं का कुछ अलग असर देखने को मिलता है। हालांकि, पुरुषों के शरीर पर होने वाले मेडिकल टेस्ट/शोध को ही आधार या संदर्भ बिंदु माना जाता है।

अतः इस तरह की लैंगिक असमानता को जल्द-जल्द दूर करने की जरूरत है, ताकि सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सके। 'सभी के लिए स्वास्थ्य' लक्ष्य को पूरा करने के लिए साफ और सुरक्षित पर्यावरण की भी जरूरत है, जिसमें स्वच्छता के अलावा रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्ति भी शामिल है। 2 अक्टूबर, 2019 को देश के 700 से भी ज्यादा जिलों और 6 लाख से भी ज्यादा गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। यह वाकई में एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इस स्थिति को बनाए रखने की भी जरूरत है। ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के लिए 6

तकरीबन 80 प्रतिशत बीमारियां गंदे पानी की वजह से होती हैं, इसलिए पीने वाला पानी साफ होना चाहिए। सतत विकास जल प्रबंधन के लिए मौजूदा आर्थिक ढांचे में आमूल-चूल बदलाव की जरूरत है और जल संसाधनों का निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए। ये जल संसाधन स्थानीय लोगों और उनकी आगामी पीढ़ियों के लिए सामुदायिक संसाधन की तरह हैं।

लाख प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की जरूरत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शौचालयों का नाम 'इज्जत घर' रखा और इसका सकारात्मक असर हुआ। इसके अलावा, जल संरक्षण पर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यह सामाजिक, आर्थिक और मानव अधिकार है। तकरीबन 80 प्रतिशत बीमारियां गंदे पानी की वजह से होती हैं, इसलिए पीने वाला पानी साफ होना चाहिए। सतत विकास जल प्रबंधन के लिए मौजूदा आर्थिक ढांचे में आमूल-चूल बदलाव की जरूरत है और जल संसाधनों का निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए। ये जल संसाधन स्थानीय लोगों और उनकी आगामी पीढ़ियों के लिए सामुदायिक संसाधन की तरह हैं।

जहां तक मानसिक स्वास्थ्य की बात है, तो लोगों के बीच इस मामले में न तो पर्याप्त जागरूकता है और न ही देश के सभी हिस्सों में इसके लिए मेडिकल सुविधाएं मौजूद हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2016) के मुताबिक, भारत में 13.7 प्रतिशत लोग दीर्घकालिक मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं और 15 करोड़ से भी ज्यादा मरीजों को तत्काल इलाज की जरूरत है। साथ ही, सिर्फ 49 प्रतिशत लोगों के निवास के 25 किलोमीटर के दायरे में मानसिक स्वास्थ्य केंद्र है, जबकि 2 प्रतिशत लोगों के ठिकाने के 50 किलोमीटर के दायरे में मानसिक रोगों के इलाज की सुविधा नहीं है। सर्वेक्षण की मानें तो 59 प्रतिशत लोगों तक नशे से छुटकारा पाने से जुड़ी सेवा तक पहुंच नहीं है, 80 प्रतिशत लोगों के पास कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है और 28 प्रतिशत खुदकुशी भारत में होती है। साल 2012-19 के दौरान बिहार में मानसिक रोगों में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। राज्य के भोजपुर जिले में मौजूद कोइलवर मानसिक अस्पताल में 2019 में मानसिक रोग से जुड़े 50,000 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए गए। कई मरीजों की मानसिक स्थिति ठीक होने के बावजूद उनके परिवार वाले उन्हें वापस नहीं ले जा रहे हैं।

निराशा के बीच आशा के दीप

आजकल अखबारों के पन्ने पलटो या फिर अन्य माध्यमों को सुनने देखने की चेष्टा करो तो अधिकतर हिंसा, दहशत, भ्रष्टाचार, प्राकृतिक आपदा, आगजनी, बीमारी, संकीर्णतावाद जैसे नकारात्मक खबरों से ही सामना होता है। तार्किक तथा वस्तुनिष्ठ सोच वालों को भी उदासी, हताशा, खिन्नता महसूस होने लगती है। कोविड-19 महामारी की इस आपदा में नकारात्मक और दुःख देने वाली खबरें मिल रही हैं। जब उम्मीदों की डोर हर दिन कमजोर होती लग रही है तब हम में से ही कुछ सामान्य जनों के असामान्य कार्य से आशा के दीप टिमटिमाते हैं। मानव और मानवता के संबंधों पर कोई आंच नहीं आने का भरोसा दिलाते हैं।

पूरा देश कोरोना से निजात पाने में डटा हुआ है। मरीजों की संख्या के अनुपात में संसाधन नहीं हैं। सरकार, समाजसेवी संस्था अपनी क्षमतानुसार काम कर रहे हैं। इधर कुछ व्यक्तियों द्वारा की गई अनुकरणीय समाज सेवा से मानवता को काफी बल मिला है।

1. ऑक्सीजन दाता

महाराष्ट्र के नागपुर से **प्यारे खान** की कहानी एक मिसाल के रूप में देखी जा सकती है। प्यारे खान ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर हैं। विगत दिनों जब समूचे देश में ऑक्सीजन की कमी थी। नागपुर में भी ऑक्सीजन की किल्लत से कोरोना रोगियों के सामने जीने मरने का सवाल था, तभी प्यारे खान ने स्वयं करीब 1 करोड़ रुपये खर्च कर, दो ऑक्सीजन टैंकर्स के माध्यम से सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन उपलब्ध करा कर मानवता का एक अनोखा परिचय दिया।

नागपुर और विदर्भ में कोरोना मरीजों की संख्या दिन ब दिन अचानक से बढ़ रही थी और ऑक्सीजन बेड खाली न होने से मरीज और परिजन परेशान थे। रमजान के महीने में लोगों की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं, ऐसा मानने वाले प्यारे खान ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एम्स, मेयो जैसे कई अस्पतालों और लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उपलब्ध कराया।

नागपुर में प्रतिदिन 19 ट्रकों के माध्यम से करीब 200 टन प्रति दिन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लाकर उसे सभी सरकारी अस्पतालों में आवश्यकता अनुसार देने का प्रयास किया गया। नागपुर में आपूर्ति के बाद विदर्भ में आवश्यकतानुसार ऑक्सीजन देते रहे। ऑक्सीजन का खर्च तो सरकार का था मगर ट्रकों का रखरखाव, ड्राइवर और क्लिनर्स की पगार का खर्च प्यारे खान ने उठाया।

2. तुरंत दान, महाकल्याण

दूसरी कहानी है महाराष्ट्र के **मोहनराव कुलकर्णी** की, जो

सातारा के मूल निवासी हैं, आजीविका हेतु मुंबई के नज़दीक अंबरनाथ में रहे और आजकल मुंबई में बसे हैं। आयु 75 वर्ष की है। चालीस साल किसी निजी कंपनी में नौकरी कर जो भी बचत की, फंड मिला, उसी के ब्याज की आमदनी से गुजारा करते हैं। दो साल पहले उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उनकी कर्मभूमि अंबरनाथ के निवासी भी कोरोना संकट का सामना कर रहे थे। शहरवासियों की सुविधा हेतु नगर परिषद का 700 बेड का कोविड सेंटर है, जिसमें 500 ऑक्सीजन बेड हैं। लेकिन संसाधन सीमित होने से नगर परिषद ने लोगों से सहायता हेतु अपील की। मोहनराव जी ने उसे देखा। उनके पास साढ़े चार लाख रुपये की व्यवस्था थी। नगर परिषद ने कोविड सेंटर के लिये वेंटिलेटर देने की गुजारिश की लेकिन वेंटिलेटर के लिये साढ़े छह लाख रुपये की आवश्यकता थी, तो मोहनराव जी ने बाकी रकम का कर्ज लेकर वेंटिलेटर भेट किए।

अपने पास जो भी भरपूर है उसमें से थोड़ा देने की नियत रखने वाले तो दिखाई देते हैं पर मोहनराव जी का, ऋण लेकर दान करने का असाधारण कार्य काफी सराहनीय है।

3. सर्वोच्च त्याग

नागपुर के **नारायणराव जी दाभाडकर** ने मनुष्य स्वभाव के विरले गुण का परिचय समाज को कराया। नारायणराव जी स्वयं, उनकी बेटी और उसका परिवार सभी कोरोना के शिकंजे में थे। उनकी स्वयं की स्थिति कुछ ज्यादा बिगड़ने से बड़ी मशकत के बाद शहर के इंदिरा गांधी महापालिका अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उनकी ऑक्सीजन लेवल 50-55 थी अतः ऑक्सीजन दिया जा रहा था। अस्पताल में रहते हुए उनको ये एहसास हुआ की बेड की कमी से कई कम उम्र के व्यक्ति इलाज के अभाव में कोरोना के शिकार हो रहे हैं। नारायणराव जी को लगा कि 85 साल तक जीवन जी लेने के बाद आज जब बेड की कमी से नौजवानों को जिंदगी से हाथ धोने का प्रसंग है, तो ऐसी स्थिति में इस उम्र में अपना बेड छोड़ देंगे ताकि किसी अधिक जरूरतमंद को इसका लाभ मिले। बस उन्होंने बेटी को अपने विचार से अवगत कराया तथा अस्पताल से डिस्चार्ज लेकर पहले तो अपने घर और फिर निजधाम को निकल गये। किसी आम नागरिक द्वारा प्राण दान जैसे सर्वोच्च त्याग की यह मिसाल निशब्द कर देती है।

वो सुबह कभी तो आएगी

यह कहानियां यह बयान करती है कि डरो ना। कोरोना आज जरूर कुछ मानव पर प्रहार करता नजर आ रहा है, लेकिन मानव तथा मानवता को हराना कोरोना के लिये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।

— नितिन सप्रे

महामारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

डॉ गौरी शंकर नाग
आयुष मजूमदार

भारत की वैक्सीन मैत्री से लोकतान्त्रिक आदर्शों, सहयोग, मानवीयता, विकास और करुणा से भरे सांस्कृतिक मूल्यों वाले भारत के दृष्टिकोण को पुनर्खांकित करने का अवसर मिला है। साथ ही स्वयं को विश्व के एक जिम्मेदार देश के रूप में प्रस्तुत करने का भी अवसर मिला है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है।

पूरी दुनिया को हिला देने वाली कोविड-19 महामारी का विश्वव्यापी प्रकोप अब भी बना हुआ है। मूलतः जीवविज्ञान के क्षेत्र की इस परिघटना ने वैश्विक स्वास्थ्य आपदा बन गई महामारी का रूप ले लिया। इस महामारी का असर मानव जीवन के अनेक अन्य क्षेत्रों – सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों – में साफ नज़र आया। विभिन्न देशों के लोगों और स्थानों के परस्पर संपर्क का इस बीमारी के फैलने में योगदान रहा। इस अंतर्संबंध को समझना 'विश्वग्राम' की बलवती धारणा के औचित्य के लिए आवश्यक है।

राष्ट्र-राज्य मूलभूत संप्रभु इकाइयां हैं। इस दौर में विभिन्न राष्ट्रों की भूमिका की समझ और दायरा- दोनों ही काफी बढ़ गए। इसकी वजह से, इनको विभिन्न स्तरों पर राजनैतिक निर्णय लेने का ज्यादा अवसर मिले। विभिन्न टीकों (वैक्सीन) के विकास, उपलब्धता और वितरण में ये अवसर सबसे ज्यादा नज़र आए। अच्छे स्वस्थ शरीर के साथ सभी लोगों के स्वस्थ होने की गरिमा बने रहना निश्चय ही महत्वपूर्ण है। व्यक्ति से लेकर समाज तक, स्वास्थ्य-व्यवस्था जन-कल्याण का केंद्रीय पक्ष है। इस व्यवस्था पर संकट आने से सभी ओर से तुरंत मदद की गुहार आने लगती है। इस बार आए संकट को दूर करने के लिए भी टीका तैयार करने के प्रयास शुरू हुए।

ऐसी चुनौतियों का मुकाबला करने की बुनियादी इकाई राष्ट्र ही है। इसलिए टीकों के विकास का काम भी राष्ट्रों के स्तरों पर ही हुआ। इसके साथ ही, राष्ट्रीय सीमाओं को पार



डॉ गौरी शंकर नाग एस्केबी विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में राजनीति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हैं। ईमेल: gouri.s.nag@gmail.com
आयुष मजूमदार इसी विश्वविद्यालय के आतिश दीपंकर सृजन सेंटर ऑफ साउथ एशियन स्टडी में विद्यार्थी हैं।

कोविड-19 आपदा से निपटने में वैश्विक समुदाय से प्राप्त सामग्री का कारगर तरीके से आबंटन

कोविड-19 महामारी के खिलाफ सामूहिक लड़ाई में भारत सरकार के प्रयासों के प्रति वैश्विक समुदाय ने मदद का हाथ बढ़ाया है। अनेक देशों ने चिकित्सा उपकरण, दवाएं, ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर, वेंटिलेटर आदि भेजे हैं।

भारत की मदद के लिए मिल रही इस चिकित्सा और अन्य राहत सामग्री के सुनियोजित आबंटन और कारगर वितरण के लिए उचित व्यवस्था की गई है।

भारतीय सीमा-शुल्क विभाग के कर्मचारी और अधिकारी ऑक्सीजन और उसकी आपूर्ति से संबंधित उपकरणों सहित कोविड महामारी के उपचार की सामग्री के आयात के प्रति पर्याप्त संवेदनशील है और प्राप्त सामग्री की आयात-संबंधी कार्रवाई जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं। इन कार्रवाइयों में निम्न बातें शामिल हैं:

- इस सामग्री के क्लियरेंस को अन्य वस्तुओं की तुलना में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
- इस काम की प्रभावी निगरानी में और शीघ्र पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को पहले ही सचेत करने को ई-मेल भेजे जाते हैं।
- कोविड से संबद्ध आयातों के लंबित मामलों की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरंतर निगरानी की जा रही है।
- इन आयातों से जुड़े व्यवसायियों को ज़रूरी औपचारिकताएं पूरी करने में मदद की जारी है।
- मदद के लिए सहायता डेस्क और संबद्ध व्यवसायियों तक पहुंच कर उनकी मदद की जा रही है। तेजी से क्लियरेंस में मदद के अलावा-
- भारतीय सीमा-शुल्क विभाग ने कोविड के उपचार से जुड़ी सामग्री पर बेसिक कस्टम ड्यूटी और स्वास्थ्य अधिभार (हैल्थ सेस) हटा दिया है।
- मुफ्त में आयात और (राज्य सरकारों के प्रमाणपत्र के आधार पर) मुफ्त वितरण की स्थिति में आईजीएसटी भी हटा दिया गया है।

- निजी इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर के आयात पर आईजीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह से देश के विभिन्न भागों से कोविड संक्रमण के मामलों के अचानक बढ़ने के बाद विभिन्न देशों से, विदेश मंत्रालय के जरिए, दान के रूप में चिकित्सा सामग्री आने लगी। देश के विभिन्न भागों में तत्काल आवश्यकताओं को देखते हुए इन देशों द्वारा यह मदद भेजी जा रही है। यह भारत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों तथा केंद्र-शासित क्षेत्रों को दी जा रही मदद के अलावा है। बाद में, निजी कंपनियों, संस्थाओं आदि की ओर से आ रही सामग्री भी नीति आयोग के जरिये भेजी जाने लगी है।

विभिन्न देशों से आ रही मदद को प्राप्त करने और भारत भिजवाने के लिए विदेश मंत्रालय केंद्रीय एजेंसी है। इस सिलसिले में विदेश मंत्रालय ने अपनी कार्य-पद्धति (एसओपी) बनाई है जो सभी देशों/संस्थाओं से मदद के लिए समान रूप से लागू की जा रही है।

इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी

विभिन्न देशों से विदेश मंत्रालय के जरिए प्राप्त होने वाली सहायता सामग्री इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के नाम भेजी जा रही है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत ज़रूरी कागजात प्राप्त होने के बाद इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी सरकारी स्वास्थ्य सेवा कंपनी - एचएलएल को प्रमाणपत्र जारी करती है ताकि वह हवाई अड्डों पर सीमा-शुल्क तथा अन्य क्लियरेंस करवा सके। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से निरंतर संपर्क में रहती है ताकि विभिन्न प्रक्रियाओं में देरी न हो और चिकित्सा सामग्री शीघ्र ज़रूरतमंदों तक पहुंच सके।

भारत में तीसरा टीका स्पुतनिक भी

एक तीसरा टीका, रूस के स्पुतनिक-वी को भारत के औषधि महानियंत्रक (डीजीसीआई) से भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है। स्पुतनिक-वी का स्थानीय उत्पादन जुलाई 2021 में शुरू होगा और हैदराबाद स्थित डॉ रेड्डीज लैबोरेट्रीज भारत में वैक्सीन का निर्माण करेगी।

करके, शोधकार्य में लगी प्रयोगशालाओं और निर्मात्री कंपनियों के बीच परस्पर भागीदारी से भी प्रयास किए गए।

वैक्सीन के उपयोग में सहयोग की दृष्टि भारत की पहल - 'वैक्सीन मैत्री' इस महामारी का फैलाव रोकने और अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास हैं। यह मानवीय प्रयास भारत की 'बहुजन सुखाय बहुजन हिताय' की विवेकपूर्ण और सुनिश्चित नीति के अनुरूप ही है। भारतीय टीकों के पीछे देश के वैज्ञानिकों का कौशल और पेशेवर दृष्टिकोण था जिसे सराहना मिली। भारत की सुपरिचित क्षमताओं और विश्व में टीकों का सबसे बड़ा निर्माता होने की वजह से उसकी वैश्विक आपूर्ति शृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका है।

भारत की वैक्सीन-नीति को ठीक से समझने के लिए हमें विकसित देशों की अपनी जनसंख्या से कहीं ज्यादा वैक्सीन जमा कर लेने की प्रवृत्ति को देखना होगा। दूसरी ओर विकासशील और गरीब देशों के लोग वैक्सीन नहीं खरीद पाने की वजह से असुरक्षित ही

रह जाएंगे। इस परिप्रेक्ष्य में वैक्सीन-संजीवनी बनाने में अपने कौशल को साथी देशों के साथ बांटने की भारत की उदारता को समझा जा सकता है। इनमें दक्षिण एशिया ही नहीं, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के देश भी शामिल हैं। भारत की विदेश नीति और इसकी 'सॉफ्ट पावर' की दृष्टि से यह एक बड़ी उपलब्धि है। निश्चय ही, इससे हमारी प्रतिष्ठा और शक्ति बढ़ेगी।

शक्ति की धारणा को अनेक प्रतिष्ठित विद्वानों ने परिभाषित किया है। बर्ट्रेण्ड रसेल ने अपनी पुस्तक 'पावर: ए न्यू सोशल एनालिसिस (1938)' में शक्ति को उद्देश्यपूर्ण प्रयासों का परिणाम बताया है। रोबर्ट डाल ने अपनी पुस्तक 'मॉडर्न पोलिटिकल एनालिसिस (1991)' में शक्ति को ऐसा प्रभाव बताया है जिसके तहत 'अपनी बात मनवाने के लिए इसे न मनाने पर कठिन प्रतिबंधों का डर दिखाया जाता है।' इस परिभाषा में 'प्रतिबंध' शब्द शक्ति से मिल सकने वाली चीजों की सीमित-संकुचित कल्पना है। जोसेफ नाइ का कहना है, "कभी-कभी हमें बिना प्रत्यक्ष धमकी या प्रलोभन के



भी वांछित परिणाम मिल सकते हैं।” यह ‘शक्ति का दूसरा चेहरा’ है और कोई देश विश्व-राजनीति में वांछित परिणाम इसलिए पा लेता है क्योंकि अन्य देश इसके आदर्शों की सराहना करते हैं, इसके उदाहरण से सीखते हैं, इसके जैसी समृद्धि और खुलापन पाना चाहते हैं और इस तरह इसकी दिखाई गई राह पर चलना चाहते हैं। वैक्सीन डिप्लोमेसी’ शब्द ऐसी ही नीति के लिए दिया गया है जिससे देश की असाधारक, मानवीय ‘सॉफ्ट’ शक्ति का पता चलता है। ऐसी मानवीय शक्ति दूसरे देशों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करती है। नाइ तीन संसाधनों पर जोर देते हैं: किसी देश की संस्कृति (जहां वह दूसरों को आकर्षित करती है), उस देश के राजनैतिक आदर्श (जिन्हें वह देश के अंदर और दूसरे देशों के संदर्भ में अपनाता है), और इसकी विदेश नीति (जब वह वैध और नैतिक दृष्टि से उचित नज़र आती है)। (जोसेफ एस. नाइ (2012))

भारत की वैक्सीन मैत्री से लोकतान्त्रिक आदर्शों, सहयोग, मानवीयता, विकास और करुणा से भरे सांस्कृतिक मूल्यों वाले भारत के दृष्टिकोण को पुनर्खांकित करने का अवसर मिला है। साथ ही स्वयं को विश्व के एक जिम्मेदार देश के रूप में प्रस्तुत करने का भी अवसर मिला है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। करुणा और उदारता भारतीय मेधा की विशिष्ट पहचान हैं जो हमारे लोकतन्त्र और हमारी संस्थाओं में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं।

यह सही है कि आज के विश्व में सामरिक और साधन-संपन्नता वाली ‘हार्ड पावर’ का ही सिक्का चलता है और ‘सॉफ्ट पावर’ के रूप में हमारी क्षमता से ही सब कुछ नहीं होता। लेकिन अपनी वैश्विक वैक्सीन नीति के साथ भारत जिस राह पर चल रहा है, वैश्विक राजनीति में सफलता में उससे विशिष्ट लाभ होंगे। उदाहरण के तौर पर, वैक्सीन-उत्पादन में हमारी क्षमता को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सराहा है। भारत के सकारात्मक रुख को देश की राजनैतिक मेधा में अंतर्निहित गहन मानवीय और लोकतान्त्रिक जीवन-मूल्यों का परिचायक माना जा रहा है।

भारत की दोनों अग्रणी कोविड-19 वैक्सीन दुनिया की सबसे सस्ती हैं। कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने विकसित किया है और कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा, आईसीएमआर और राष्ट्रीय वायरोलोजी संस्थान (एनआईवी) के सहयोग से तैयार किया गया है (मण्डल, 2021)। वैज्ञानिक प्रयोगों का सिलसिला जारी है लेकिन भारत की कई मायनों में बेजोड़ उत्पादन-क्षमता को देखते हुए वैश्विक वैक्सीन नीति का रुझान भारत के पक्ष में है।

भारत ने भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, मॉरिशस, सेसेल्स, श्रीलंका, यूएई, ब्राज़ील, मोरक्को, बहरीन, ओमान, मित्र, अल्जीरिया, कुवैत और दक्षिण अफ्रीका सहित अनेक देशों को वैक्सीन दी है। अफगानिस्तान को 56 लाख टीके अनुदान के रूप में और एक करोड़ टीके व्यावसायिक आधार पर दिए गए हैं। कैरिबियाई, प्रशांत महासागरीय देशों और निकारागुआ आदि को भी टीके पहुंचाए जा रहे हैं। विश्व के सभी भागों में टीके देने का यह कार्य ‘वैक्सीन मैत्री’ नीति के अंतर्गत किया जा रहा है। यह भारत की ‘सागर’ (सेक्यूरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दि रीज़न – एसएजीएआर) नीति के भी अनुरूप है। ऑक्सफोर्ड-एस्ट्रा जेनेका द्वारा विकसित वैक्सीन को विभिन्न देशों में इस्तेमाल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी मिल गई है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने उत्पाद-भागीदार के रूप में ऑक्सफोर्ड-एस्ट्रा जेनेका के साथ समझौता किया है (मोरदानी, 2021)। इससे भारत के वैक्सीन प्रयासों को वैधता मिली है।

जुड़ाव और सहयोग के विभिन्न मानदंडों के आधार पर अन्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को कुशलता के साथ निभाना ही राजनय है। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने टीकों की पहली खेप भूटान और मालदीव को भेजी जो दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत के सबसे घनिष्ठ पड़ोसी हैं। सार्क देशों में भूटान ही ऐसा एकमात्र देश है जो चीन के ‘बेल्ट एंड रोड’ कार्यक्रम (बीआरआई) के प्रलोभन में नहीं आया। वैक्सीन देने के मामले में भारत को विवेकशील और कुछ देशों को प्राथमिकता देने वाली नीति अपनानी होगी।

जुड़ाव और सहयोग के विभिन्न मानदंडों के आधार पर अन्य देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को कुशलता के साथ निभाना ही राजनय है। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने टीकों की पहली खेप भूटान और मालदीव को भेजी जो दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत के सबसे घनिष्ठ पड़ोसी हैं। सार्क देशों में भूटान ही ऐसा एकमात्र देश है जो चीन के ‘बेल्ट एंड रोड’ कार्यक्रम (बीआरआई) के प्रलोभन में नहीं आया।



उदार होना महान गुण है लेकिन उदारता के साथ सोच-समझ के निर्णय लेना भी उचित है। स्वतन्त्रता के बाद से ही भारत को अपने पड़ोस में भी दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा है। विश्लेषण करने से पता चलता है कि भारत के ज्यादातर पड़ोसी देश उसे दोहरे मानदंडों से देखते हैं। वे भारत से सहायता भी लेते हैं और उसे अपना दबदबा कायम करने वाला बड़ा देश भी समझते हैं। लेकिन शीत युद्ध के बाद की बदलती परिस्थितियों और दक्षिण एशिया क्षेत्र में चीन की दखल की वजह से हो रहे निरंतर समायोजनों को देखते हुए इस नजरिए को नए सिरे से समझने की ज़रूरत है।

पारंपरिक राजनय तो राजनयिक सम्बन्धों के बारे में 1961 के वियना समझौते के अंतर्गत सुपरिभाषित है। लेकिन वैश्वीकरण के इस दौर में वैश्विक सम्बन्धों में जटिलताएं आई हैं। इससे वैश्विक राजनय के नए आयाम खुले हैं जिसमें देशों के अलावा अन्य प्रतिभागी भी शामिल हो गए हैं। इनमें बहुराष्ट्रीय निगम, सामाजिक संगठन और गैर-सरकारी संस्थान शामिल हैं। लेकिन ये संप्रभु संस्थान नहीं हैं और इन्हें जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाली संप्रभु सरकारों की अनुमति से ही काम करने दिया जाना चाहिए। इसलिए ऐसी

जटिलताओं का नियमन किया जाना ज़रूरी है क्योंकि 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक के दौरान जो राजनीतिक बेचैनी जन्मी थी, उसकी अब कोई गुंजाइश नहीं है। यह जटिलता ही तो लोकतान्त्रिक जीवन-मूल्यों को उत्साह से अपनाने का अवसर देती है। वैश्विक चुनौतियों से निपटने का एकमात्र मार्ग ठोस संयुक्त वैश्विक प्रयास ही है। यहां 'ठोस संयुक्त' प्रयासों का तात्पर्य संप्रभु, लोकतान्त्रिक राष्ट्र-राज्यों द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों से है। ये राष्ट्र ही संप्रभु, जिम्मेदार इकाइयां हैं। इमेनुअल कांटियन द्वारा प्रस्तुत लोकतान्त्रिक शांति का विचार ही हमें सही दिशा दिखा सकता है। ■

संदर्भ

1. जोसेफ एस. नाइ, जे. (2012), सॉफ्ट पावर: दि मीन्स ऑफ सक्सेज़ इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, नई दिल्ली: के डब्ल्यू पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड
2. मण्डल, डी. (9 जनवरी, 2021), <https://www.sundayguardianlive.com/>. Retrieved from <https://www.sundayguardianlive.com/news/indian-vaccines-covid-19-cheapest-world>
3. मोर्दानी, एस. (21 फरवरी, 2021), <https://www.indiatoday.in/coronavirus-outbreak/story>: <https://www.indiatoday.in/coronavirus-outbreak/story/serum-institute-who-emergency-use-listing-oxford-covid-vaccine-1769586-2021-02-15>.

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेट ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाड़ीगुड़ा, सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	4-सी, नेप्चून टॉवर, चौथी मंजिल, नेहरू ब्रिज कॉर्नर, आश्रम रोड	380009	079-26588669

घरेलू अगरबत्ती उद्योग को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन का एमआईएस मॉड्यूल



राष्ट्रीय बांस मिशन ने हाल में प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) का शुभारंभ किया, जो अगरबत्ती उत्पादन से जुड़ी सभी सूचनाओं का एक मंच होगा। इस पर अगरबत्ती उत्पादन इकाइयों के बारे में सूचना उपलब्ध रहेगी। साथ ही अगरबत्ती बनाने के लिए कच्चे माल की उपलब्धता की सूचना, इकाइयों की कार्यप्रणाली, उत्पादन क्षमता, विपणन इत्यादि की जानकारी भी उपलब्ध रहेंगी। इस मॉड्यूल की मदद से अगरबत्ती क्षेत्र को उद्योगों से जोड़ा जा सकेगा और इससे उत्पादन इकाइयों से निर्बाध खरीद की व्यवस्था बनेगी और जानकारी के अभाव की जो स्थिति थी उसमें सुधार होगा। राष्ट्रीय बांस मिशन से जुड़े सभी राज्य अगरबत्ती उत्पादन इकाइयों का दस्तावेजीकरण करने की प्रक्रिया में हैं ताकि 'वोकल फॉर लोकल' और 'मेक फॉर द वर्ल्ड' अभियानों के तहत इन इकाइयों को मदद देने के तौर तरीकों का आकलन हो सके और भारतीय अगरबत्ती की वैश्विक लोकप्रियता का लाभ उठाते हुए इस क्षेत्र को और सशक्त किया जा सके।

राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), राज्य सरकारों और उद्योग जगत एक साथ आए हैं ताकि भारत को अगरबत्ती क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर स्थानीय समुदायों की आजीविका को बेहतर किया जा सके। साथ ही इस क्षेत्र का आधुनिकीकरण किया जा सके। अगरबत्ती क्षेत्र आमतौर पर स्थानीय लोगों को बड़े स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराता है। हालांकि यह क्षेत्र विभिन्न बाधाओं के चलते सिकुड़ता जा रहा था, जिसमें सस्ते दर पर अगरबत्ती के लिए गोल तिलियों और कच्चे माल की आयात प्रमुखता से शामिल है। राष्ट्रीय बांस मिशन द्वारा 2019 में अगरबत्ती क्षेत्र पर एक वृहद अध्ययन किया गया जिसके उपरांत सरकार द्वारा कई नीतिगत बदलाव किए गए। अगरबत्ती के लिए किए जाने वाले कच्चे माल के आयात को आयात शुल्क मुक्त श्रेणी से हटाकर प्रतिबंधित श्रेणी

में अगस्त 2019 में डाला गया और जून 2020 में इस पर आयात शुल्क बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया, जिससे घरेलू अगरबत्ती उद्योग को बल मिला।

राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) की पृष्ठभूमि

बांस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन को 2018-19 में नए स्वरूप में शुरू किया गया, यह हब (उद्योग) और स्पोक मॉडल पर क्लस्टर आधारित व्यवस्था थी। इसके अंतर्गत सभी पक्षों को किसानों और बाजारों से जोड़ा जाना था। बांस से बने भारतीय उत्पादों के लिए न सिर्फ घरेलू बल्कि वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बनाने के लिए प्रबल संभावनाएं हैं। इसके लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी, आधुनिक प्रणाली और निर्यात किए जाने वाले देशों के मानदंडों पर खरा उतरने के लिए जागरूकता ज़रूरी है। राष्ट्रीय बांस मिशन घरेलू उद्योग गतिविधियों को बढ़ाने के साथ-साथ तकनीकी एजेंसियों के माध्यम से समर्थन और सुविधाजनक कदमों के द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए अपनी सक्रियता को व्यवस्थित कर रहा है। विभिन्न उत्पादों से जुड़ी इकाइयां इत्यादि स्थापित करने के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 50 प्रतिशत की सीधी सब्सिडी दी गई जो कि 1 लाख रुपये है। सरकारी एजेंसियों और उद्यमियों द्वारा ऐसी इकाइयों को स्थापित करने पर छूट शत प्रतिशत दी गई। यह मिशन इस समय 21 राज्यों में संचालित किया जा रहा है जिसमें पूर्वोत्तर भारत के सभी 9 राज्य अपने अपने बांस मिशन के द्वारा इससे जुड़े हैं। राष्ट्रीय बांस मिशन राज्यों को यह भी सुझाव दे रहा है कि वाणिज्य क्षमता वाली प्रजातियों की खेती के लिए अपेक्षित और गुणवत्तापूर्ण पौधारोपण सामग्री उपलब्ध कराए जाने चाहिए, कॉमन फैसिलिटी सेंटर और अन्य पोस्ट हार्वेस्ट इकाइयों की स्थापना की जानी चाहिए, जो पहले से स्थापित और नए उद्योगों के साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ हो। यह किसानों और भारतीय बांस उद्योग दोनों के लिए फायदे का सौदा होगा।

महामारी और गांधीवादी परिप्रेक्ष्य

डॉ सुचिता कृष्णप्रसाद

कोविड-19 ने मानव जीवन के हर पहलू को जकड़ते हुए समूचे विश्व को व्यापक संकट की ओर धकेल दिया है। गुजरते समय के साथ जीवन रक्षा और जीविका की रक्षा के बीच की सामंजस्य कायम करना कठिन हो चुका है। परिस्थितियों की यह विकटता मानवीय सरोकारों का प्रबंध करने के वैकल्पिक तरीके और गांधी जी के दृष्टिकोण पर फिर से विचार करने का आह्वान करती है। यह आलेख मौजूदा संकट को गांधीवादी चिंतन से जोड़ने का प्रयास करता है, ताकि किसी ठोस नतीजे पर पहुंचा जा सके।

को

विड-19 ने मानव जीवन के हर पहलू को जकड़ते हुए समूचे विश्व को व्यापक संकट की ओर धकेल दिया है। इसने हमारे उपभोग के स्वरूप को बदल दिया है, हमारी स्मार्ट उत्पादन प्रणालियों को स्तब्ध कर दिया है, शिक्षा और मनोरंजन के माध्यमों को बदल दिया है तथा हमें अपने 'सामाजिक प्राणी' होने की परिभाषा के बारे में नए सिरे से गंभीरतापूर्वक विचार करने पर विवश कर दिया है, जिसने एक प्रजाति के तौर पर उत्तरोत्तर रूप से इस ग्रह पर प्रभुत्व कायम करना सीखा है। संभवतः इस महामारी का सबसे भयानक लक्षण इसकी अनिश्चितता है: इसके लक्षणों और उनकी अनुपस्थिति से लेकर प्रतिशोध की भावना के साथ इसकी वापसी की आशंका तक, तथा रोगियों के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर इसके संभावित दीर्घकालिक नुकसानों के संदर्भ में 'इससे उबर चुके' लोगों में इसके गंभीर प्रभावों तक, संक्रमण के समाप्त होने के लम्बे अरसे बाद के लगातार चिकित्सकीय परीक्षणों तथा उचित हस्तक्षेपों की आवश्यकता तक। अब समय आ चुका है कि हम इस बारे में आत्मविश्लेषण करें कि पृथ्वी के 'सभ्यक' बाशिंदों के रूप में हमसे ऐसी कौन सी गलतियाँ हुई हैं, जिनकी वजह से आज हमारी जीवन पद्धति इतनी

संकटपूर्ण, असंतुलित और अरक्षणीय बन चुकी है। इच्छाओं पर नियंत्रण से शुरुआत करते हुए अहिंसा, सत्य और अलिप्सा के सिद्धांतों पर आधारित गांधीवादी अर्थशास्त्री सीधे तौर पर मुख्यधारा के अर्थशास्त्र के विपरीत है। श्रम की गरिमा, आत्मनिर्भर एवं सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा संरक्षण (या ट्रस्टीशिप) के सिद्धांत इस चिंतन प्रणाली के तर्कसंगत परिणामों के तौर पर उभरे हैं, जिनमें नैतिकता का सूत्र अंतर्निहित है, जो अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था तथा समाज के सद्भावपूर्वक प्रबंधन का समेकित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। आत्मविश्लेषण के इस अभ्यास के दौरान गांधीवादी

विचारधारा कुछ महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है।

जब यह सुनिश्चित करने के लिए लॉक डाउन लगाया कि लोग - घर में रहें और सुरक्षित रहें - तो गरीबी के हालात में जीवन यापन करने वाले लोगों ने पलायन करने का फैसला किया, क्योंकि उनकी बचत समाप्त हो चुकी थी और साझा शौचालयों वाली तंग बस्तियों में उनकी बसावट शायद ही 'सुरक्षित घर' थी। और यह लाखों लोगों की भीषण कठिनाइयों से भरी दास्तान थी, जो केवल इतना जानते थे कि यदि उन्हें अपना वजूद बचाना है, तो उन्हें यहां से जाना होगा, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वह अपनी



लेखिका स्वतंत्र शोधकर्ता हैं, वे एल्फिन्स्टन महाविद्यालय, मुम्बई में प्राध्यापक और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) में एक्सटर्नल कोलेब्रेटर एंड कंसल्टेंट रह चुकी हैं।
ईमेल: drsuchk@gmail.com



मंजिल तक कैसे पहुंच पाएंगे तथा क्या वह अपने गंतव्य पर पहुंचने तक जीवित भी बचेंगे या नहीं।

अर्थशास्त्र की पाठ्यपुस्तक उर्फ सकारात्मक अर्थशास्त्र का आरंभ इसी आधार वाक्य से होता है कि इच्छाएं सामान्यतः अतृप्त होती हैं और संसाधन सीमित होते हैं। नियामक चिंतन से ओत-प्रोत गांधीवादी प्रणाली¹ की शुरुआत इच्छाओं पर नियंत्रण के विचार से होती है, क्योंकि गांधीजी के अनुसार पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति की जरूरतों के लिए तो पर्याप्त संसाधन मौजूद है, लेकिन किसी व्यक्ति के लालच के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। लालच हिंसा को जन्म देता है और अन्य लोगों का शोषण करने की आवश्यकता उत्पन्न करता है, जो गांधीवादी व्यवस्था के प्रथम मौलिक सिद्धांत: अहिंसा के विपरीत है। अल्प वेतन और कामगारों का शोषण भी हिंसा के समान ही है। भूमि के स्वामित्व में असमानता लालच की अभिव्यक्ति है, जिसे गांधीजी के प्रख्यात अनुयायी विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन के माध्यम से सुधारने का प्रयास किया। गांधीजी ग्रामीण समुदायों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। उनका विचार था कि उदार जजमानी व्यवस्था के माध्यम से गांवों को सशक्त बनाया जाए और इस

तरह भारत की जड़ों का पोषण किया जाए, जो अधिकांशतः गांवों में बसती है। ग्रामीण भारत का कल्याण उनके लिए सर्वाधिक

इच्छाओं पर नियंत्रण से शुरुआत करते हुए अहिंसा, सत्य और अलिप्सा के सिद्धांतों पर आधारित गांधीवादी अर्थशास्त्री सीधे तौर पर मुख्यधारा के अर्थशास्त्र के विपरीत है। श्रम की गरिमा, आत्मनिर्भर एवं सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा संरक्षण (या ट्रस्टीशिप) के सिद्धांत इस चिंतन प्रणाली के तर्कसंगत परिणामों के तौर पर उभरे हैं, जिनमें नैतिकता का सूत्र अंतर्निहित है, जो अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था तथा समाज के सद्भावपूर्वक प्रबंधन का समेकित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। आत्मविश्लेषण के इस अभ्यास के दौरान गांधीवादी विचारधारा कुछ महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है।

महत्वपूर्ण था और इसके हासिल हो जाने के बाद जो लोग पलायन करेंगे, वे ऐसा अपनी पसंद से करेंगे।

प्रौद्योगिकी के चयन के बारे में गांधीजी के विचारों पर काफी चर्चा की जा चुकी है, लेकिन स्थानीय संसाधनों और कौशल का सर्वोत्तम उपयोग करने का विचार, व्यापार की पद्धतियों की व्याख्या करने वाली किसी भी पाठ्यपुस्तक के बुनियादी सिद्धांत हैं। मशीनें उपयोगी हैं, लेकिन उन्हें श्रम की गरिमा को प्रभावित नहीं करना चाहिए। गांधीजी की श्रम की गरिमा की अवधारणा के कई आयाम हैं² सर्वप्रथम, इसका आशय है कि कोई भी श्रम छोटा नहीं होता। वास्तव में, उन्होंने प्रतिदिन कुछ घंटों के शारीरिक श्रम की पुरजोर सिफारिश की। यह शारीरिक श्रम करने वाले कामगारों के नियोक्ताओं को उपयुक्त रूप से संवेदनशील बनाने के अलावा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी सुनिश्चित करेगा। श्रम की गरिमा का आशय यह भी है कि मशीन के पीछे काम करने वाले व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाए। इसका आशय है कि उस व्यक्ति के साथ शालीनतापूर्वक व्यवहार करने की आवश्यकता है। शालीनता में काम करने की स्वस्थ और स्वच्छ स्थितियां तथा उचित मजदूरी शामिल होगी। अहमदाबाद



के कपड़ा श्रमिकों की हड़ताल में उनके हस्तक्षेप को सम्मानजनक कार्य सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। वह उद्योगों के खिलाफ नहीं थे। प्रगति के लिए उद्योगों की आवश्यकता होगी, और उन्हें अस्तित्व बचाए रखने के लिए लाभ कमाना होगा, लेकिन आखिरकार लाभ समाज से जुड़े हैं, जिसने किसी उद्योगपति को हर संभव संसाधन प्रदान किया है, जो इस धन का एक ट्रस्टी मात्र है। ऐसे में यह उसका दायित्व हो जाता है कि समाज की आवश्यकताओं का ध्यान रखे। लाभ का उपयोग बड़े पैमाने पर सामाजिक भलाई के लिए करना, जो कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का केंद्र बिंदु है, जिसकी जड़ें गांधीजी के ट्रस्टीशिप के विचार में देखी जा सकती हैं। यद्यपि उनके विचारों में सदैव उच्च चेतना का ही आग्रह रहा है, उन्हें किंवदंतियों के रूप में सराहे जाने की ही प्रथा है, जिनकी केवल दूर से ही प्रशंसा की जा सकती है।³ यह उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी अथवा उनके साथ प्रयोग करने से बचने का एक आसान तरीका भी है।

हालांकि, मौजूदा महामारी ने इस तरह के प्रयोग की संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त किया है, और इस स्थिति को सही ठहराने के लिए अनेक आधार हैं।

क) उपभोग का बदलता स्वरूप

उपभोग के स्वरूप में विशेषकर

लॉकडाउन की अवधि के दौरान महत्वपूर्ण बदलाव आया है। अध्ययनों में इस बात पर गौर किया गया है कि 'विवेकगत' (सुस्पष्ट तौर पर देखा जाए) उपभोग में महत्वपूर्ण कमी आयी है। उपभोक्ता अब 'ब्रांड-वेल्यू' के द्वारा अपना विवेक ज्यादा नहीं खो रहे हैं तथा ब्रांड का चयन करने के बावजूद जरूरी और गैर-जरूरी उपभोग के बीच फर्क करने में तेजी से चौकस हो रहे हैं।⁴ यह 'इच्छाओं पर नियंत्रण' का स्वरूप है, हालांकि ऐसा हालात से विवश होकर किया गया है। बेशक कोविड-19 के कारण परिवार प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए स्वस्थ जीवन शैली

उपभोग के स्वरूप में विशेषकर लॉकडाउन की अवधि के दौरान महत्वपूर्ण बदलाव आया है। अध्ययनों में इस बात पर गौर किया गया है कि 'विवेकगत' (सुस्पष्ट तौर पर देखा जाए)

उपभोग में महत्वपूर्ण कमी आयी है। उपभोक्ता अब 'ब्रांड-वेल्यू' के द्वारा अपना विवेक ज्यादा नहीं खो रहे हैं तथा ब्रांड का चयन करने के बावजूद जरूरी और गैर-जरूरी उपभोग के बीच फर्क करने में तेजी से चौकस हो रहे हैं।

अपनाने को विवश हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद यह अप्रत्यक्ष रूप से वरदान भी है। प्राकृतिक और हर्बल उपचार अब उनकी प्राथमिकता बन रहे हैं और वे उनके गुणों और स्थायी प्रभावों के बारे में सीख रहे हैं। लोगों का बड़ी संख्या में एक जगह जमा होना खतरनाक हो जाने के कारण अब आयोजन सादगी से हो रहे हैं। ज्यादा समय घर पर बिताना तलवार की धार जैसा हो गया है। जहां एक ओर अध्ययनों से मादक पदार्थों के इस्तेमाल, शराब की लत, चिंता और अवसाद के संकेत मिले हैं, वहीं दूसरी ओर घर में ठहरने को ज्यादा अनुकूल बनाने के लिए नवोन्मेषी और रचनात्मक तरीके ईजाद किए जा रहे हैं। इनमें ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं, जिनका उद्देश्य आत्म-चिकित्सा के लिए अप्रयुक्त कौशलों का इस्तेमाल करना और आंतरिक शांति की तलाश करना है। यह सच है कि आर्थिक तनाव के साथ-साथ महामारी से जुड़ी मौतों और रुग्णता और बड़े पैमाने पर घरों में कैद होने के कारण अवसाद और चिंता के अधिक मामलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यह भी सच है कि हमारे समाज में अधिक से अधिक लोग इन्हें 'सामान्य' मामलों के रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं और कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही, सहायता देने को तैयार हैं।

वास्तव में सब्जेक्टिव वेल-बीइंग (एसडब्ल्यूबी) किसी भी दिशा का रुख कर सकती है, जैसा कि चीन में सभी वर्गों के 1000 से अधिक प्रतिभागियों पर किए गए सर्वेक्षण⁶ पर आधारित एक विस्तृत अध्ययन द्वारा सामने लाया गया है, और अब हम एक स्वस्थ जीवन शैली चुनने की दिशा में समर्थन प्रणालियों को कैसे सुधार सकते हैं, जिनका आने वाले समय के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

ख) उत्पादन का बदलता स्वरूप

ऐसे में जबकि दुनिया आपूर्ति शृंखला के टूट जाने की समस्या से जूझ रही है, जैसे भी संभव हो उसे फिर से शुरू करने की आवश्यकता है, उत्पादकों को अपने आपूर्ति स्रोतों को नयी जगह स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। यूएनसीटीएडी के एक अर्थशास्त्री, पी. फोर्टुनेटो ने अपने अध्ययन 'हाउ कोविड-19

चेजिंग ग्लोबल वैल्यू चैन (सितंबर 2, 2020) में स्थानीय कौशलों और सामग्री के अधिक उपयोग के पक्ष में जीवीसी (ग्लोबल वैल्यू चैन) को नयी जगह स्थानांतरित करने के चलन पर गौर किया है। परिस्थिति के दबावों से विवश होकर हम संभवतः उसी तरह की उत्पादन प्रणालियों का पुनर्विकास कर सकते हैं, जिनकी पुरजोर वकालत गांधीजी ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए की थी।

इसके अलावा, विशेषज्ञों ने हरित प्रौद्योगिकी⁷ का रुख करने की विवशताओं को रेखांकित किया है। उदाहरण के लिए, कन्फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री ने सरकार से हरित प्रौद्योगिकी और नौकरियों में निवेश करने का अनुरोध किया है।⁸ यहां तक कि ब्रिटिश सरकार ने कोविड के बाद के परिदृश्य में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्रीन रिकवरी चैलेंज फंड⁹ की भी घोषणा की है। दिलचस्प बात यह है कि आईएलओ के अनुसार, हरित प्रौद्योगिकी में निवेश रोजगार की व्यापक संभावनाओं सहित महत्वपूर्ण गुणक प्रभाव प्रदान कर सकता है।¹⁰

अधिक निरंतरता लाने में संलग्न किसी भी प्रयास की भावना गांधीवादी है, क्योंकि यह केवल लालच, हिंसा और क्षुद्र आत्म-महत्व पर आधारित वृत्तियों से ऊपर उठकर ही प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक गांधीवादी परिप्रेक्ष्य में, 17 सतत विकास लक्ष्यों को एक एकीकृत दृष्टि के रूप में देखा जा सकता है, जो मानव के - एक दूसरे के साथ, प्रकृति द्वारा समर्थित अन्य प्राणियों के साथ शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व से जुड़ा है, जिसका संभवतः गांधीजी को इंतजार था।

ग) वंचितों के प्रति सहानुभूति

वैध या अवैध तरीके¹¹ से पैदल चलकर अपने गृह राज्य पहुंचने वाले प्रवासियों की

कहानी दिल दहला देने वाली है।¹² लेकिन इसने व्यक्तियों और गैर-सरकारी संगठनों को यह अवसर भी प्रदान किया कि वे भोजन के पैकेटों और अन्य सामग्रियों की आपूर्ति के माध्यम से इन बदकिस्मत लोगों के कष्ट मिटाने में उनकी सहायता करें। राज्यों और केंद्र की सरकारों ने इनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए श्रमिक ट्रेनों की व्यवस्था की, लेकिन बहुत ही स्वाभाविक तरीके से मदद का हाथ बढ़ाने वाले व्यक्तियों¹³, गैर सरकारी संगठनों¹⁴ और धार्मिक संस्थानों¹⁵ की भूमिका को महत्व दिया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि प्रवासियों की वापसी की मुहिम विभाजन के समान है, तो समाज के विभिन्न वर्गों से उन्हें सहायता और समर्थन उसी हद तक का मिला है। गांधीजी ने सहानुभूति की इस भावना की न केवल सराहना की होती, बल्कि संभवतः इसे लंबे समय तक बनाए रखने के लिए संस्थागत निर्माण करने में कामयाबी हासिल कर ली होती।

जब सामाजिक-आर्थिक प्रणालियों की मौजूदा परिपाटियां डगमगा जाएं, तो वे बदलाव की गुंजाइश तैयार करती हैं। यह व्यवस्था की पिछली खराबियों को दुरुस्त करने के लिए भी उपयुक्त समय है। उदाहरण के लिए—

ग्रामीण-शहरी असंतुलन को कम करना: हमारी आबादी की कृषि पर व्यापक निर्भरता, गैर-कृषि रोजगारों की अनुपलब्धता की ओर इंगित करती है। गैर-कृषि क्षेत्र में तथा उससे भी बढ़कर विनिर्माण क्षेत्र में और अधिक रोजगार प्रदान करना समय की आवश्यकता है।¹⁶ मछली पालन और खाद्य प्रसंस्करण जैसी कृषि आधारित और संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देना ग्रामीण क्षेत्र में लाभकारी रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है, जो गांधीवादी दिशा में उठाया गया कदम होगा।

घरेलू हिंसा और महिलाओं से जुड़ा मामला : यह एक प्रमाणित तथ्य है कि आर्थिक कठिनाइयों के दौरान महिलाओं के साथ हिंसक, अपमानजनक, आवेगपूर्ण, जबरदस्ती और नियंत्रण में रखने वाले व्यवहार और आक्रामकता में वृद्धि होती है। अध्ययनों से पता चलता है कि बंद दरवाजों के



पीछे महिलाओं के उत्पीड़न में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। जब परिवार का हरेक सदस्य संभवतः जीवन के संभावित खतरे, वित्तीय दबाव, सामाजिकता के अवसरों के अभाव में जी रहा हो, ऐसे में शराब या तंबाकू के लिए बेताब पुरुषों के असर हिंसक हो जाने को सामाजिक रूप से स्वीकार्य मान लिया गया प्रतीत होता है। हिंसक या चालाक व्यक्तियों के साथ एक जगह में फंस जाने से खतरा, शारीरिक, यौन और मनोवैज्ञानिक शोषण, अपमान, जोखिम और नियंत्रण में रखने वाले व्यवहार की मात्रा और तीव्रता बढ़ सकती है, जो लॉकडाउन से बढ़ गई और विकसित देशों की भी यही हकीकत रही।¹⁷ लॉकडाउन के पहले पांच हफ्तों में, पुणे पुलिस ने घरेलू हिंसा के मामलों में 12 गुना वृद्धि दर्ज की।¹⁸ इस संख्या ने घरेलू हिंसा के लिए 'समानांतर महामारी' शब्द को तर्कसंगत ठहराया है, जो महिलाओं पर इस महामारी के स्याह प्रभाव को रेखांकित करता है, लेकिन साथ ही महिलाओं की असमानता और उनके अधिकारों से वंचित होने को इस प्रकार उजागर किया है, जिसे अब और ज्यादा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। परिवार, जो समाज में आदर्श रूप से मूलभूत पालन-पोषण करने वाली इकाई है, उसको ऐसे मुश्किल दिनों में विशेषकर पोषण करने वालों के प्रति बिल्कुल विपरीत व्यवहार करना चाहिए, महामारी ने हमारे सामने यह एक मजबूत और कर्णभेदी खतरे की घंटी प्रस्तुत की है, जिस पर गौर किए जाने की जरूरत है।

घ) वापस लौटे प्रवासियों के प्रति व्यवहार

जिन राज्यों पर वापस लौटे प्रवासियों के रहने की व्यवस्था करने का दबाव है, उनके पास अब घरेलू स्तर पर अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करने का अवसर है। ऐसे अनेक राज्यों ने कथित तौर पर स्किल-मैपिंग की है, जिसके बारे में पहले कभी सोचा तक नहीं गया था। ये राज्य और ज्यादा कारोबार को आकृष्ट करने के लिए इस अनुभवी श्रम शक्ति का उपयोग अपने बुनियादी ढांचे में सुधार लाने, औद्योगिक सम्पदा का निर्माण करने, नए एमएसएमई स्थापित करने आदि में कर सकते हैं। वास्तव में, इस तरह के निवेश के माध्यम से प्रारंभिक रोजगार सृजन



हो सकता है, जो कि आर्थिक विकास को कई गुना बढ़ा सकता है।

छोटे या घर से संचालित किए जा सकने वाले कारोबार करने का अनुभव रखने वाले प्रवासियों को समूहों में एक साथ लाकर सहकारी समितियां बनाई जा सकती हैं। ऐसा केवल इसलिए, क्योंकि जो प्रवासी वापस लौटे हैं, उनमें एक-दूसरे के साथ तालमेल कायम करने और टीम बनाने की संभावना अधिक है, और ऐसा विश्वास, विशेष रूप से सहकारी समितियों के रूप में, एक नए उद्यम की मजबूत नींव साबित होगा।¹⁹ अनेक देशों में प्रवासी श्रमिकों की सहकारी समितियों के सफल उदाहरण मौजूद हैं जो संकट की प्रतिक्रिया के रूप में सामने आई हैं। राज्य आईएलओ के साथ सहयोग करके लाभान्वित हो सकते हैं जिसके पास दुनिया भर में ऐसी कई परियोजनाओं को सहायता देने का समृद्ध अनुभव है।²⁰ अंत में, सहकारी समितियां महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे विकास की प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण की सुविधा प्रदान करती हैं, जिनकी भावना गांधीवादी है।

ड) शहरी विकास

कोविड-19 ने स्वच्छता और साफ-सफाई की आवश्यकता पर जिस तरह जोर दिया है, वैसे पहले कभी नहीं दिया गया। इसने शहरी स्थानीय निकायों को अपनी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने और उनका विस्तार करने के लिए मजबूर कर दिया है। यह झुग्गी-बस्तियों और वहां रहने-सहने की स्थितियों में बदलाव लाने की दिशा में खतरे

की घंटी भी है। स्वच्छता को नजरअंदाज करना या इसे कल्याणकारी या धर्मार्थ कार्य मानने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अब यह सभी के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। एक तरह से, सम्मानजनक रहने-सहने की स्थितियां सुनिश्चित करना, जो श्रम की गरिमा में निहित हैं, अस्तित्व की आवश्यकता के रूप में हम पर जोर देती हैं। एक बात जो महामारी ने हमें सिखाई है, वह यह है कि कहीं भी संक्रमण होना सब जगह स्वास्थ्य के लिए खतरा है।

च) सम्मानजनक वेतन और कोविड भत्ता

जिन राज्यों से प्रवासी श्रमिक बाहर चले गए हैं, उन्हें कामगारों की घोर कमी के कारण मजदूरी बढ़ानी पड़ी है। ऐसे उदाहरण हैं कि श्रमिकों को काम पर लौटने के लिए हवाई टिकट दिया गया है।²¹ ये उदाहरण अविश्वसनीय हो सकते हैं, लेकिन वे कामगारों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार करने की आवश्यकता को दोहराते हैं। ऐसी उम्मीद ही की जा सकती है कि कम से कम इसी तरह के कुछ लाभ इतने लंबे समय तक कायम रह सके, जो नई प्रथाओं के रूप में उभरने के लिए पर्याप्त हों। यह हमें अहमदाबाद कपड़ा हड़ताल में प्लेग भत्ते के मुद्दे के बारे में बातचीत करने संबंधी गांधीजी के हस्तक्षेप तक ले जाती है।²²

छ) पर्यावरणीय सरोकार

लॉकडाउन ने कथित तौर पर वायु और जल प्रदूषण को काफी हद तक कम किया है।²³ अब यह हम पर निर्भर करेगा कि हम यथासंभव सावधानी के साथ इसे बरकरार रखें। उदाहरण के लिए, रोजगार के अधिक अवसरों के सृजन के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में सक्षम बनाने वाली पर्यावरण के अनुकूल शहरी परिवहन प्रणाली और विनिर्माण प्रणालियों का रख करने की व्यापक संभावनाएं हो सकती हैं।

निष्कर्ष

अधिक निरंतरता लाने में संलग्न किसी भी प्रयास की भावना गांधीवादी है, क्योंकि यह केवल लालच, हिंसा और क्षुद्र आत्म-महत्व पर आधारित वृत्तियों से ऊपर उठकर ही प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक गांधीवादी परिप्रेक्ष्य में, 17 सतत विकास लक्ष्यों को एक एकीकृत दृष्टि

के रूप में देखा जा सकता है, जो मानव के - एक दूसरे के साथ, प्रकृति द्वारा समर्थित अन्य प्राणियों के साथ शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व से जुड़ा है, जिसका संभवतः गांधीजी को इंतजार था। महामारी ने हमें इस ग्रह पर अपने जीवन जीने के तरीकों में समझदारी और अधिक सहानुभूतिपूर्ण तरीके से सुधार लाने के अवसर प्रदान किए हैं। हम अब जो चुनाव करेंगे, उनका हमारे कल्याण पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। ■

अंतर्दृष्टि

1. <https://www.mkgandhi.org/momgandhi/chap41.htm>
2. <http://gandhiashramsevagram.org/voice-of-truth/gandhiji-on-dignity-of-labour-bread-labour.php>
3. <https://indianexpress.com/article/world/uks-labour-party-group-mahatma-gandhi-future-leaders-plan-6556198/>
4. उपभोग के बदलते स्वरूप के विस्तृत सर्वेक्षण के लिए देखिए : हाओ द कोरोनोवायरस इज़ चेंजिंग कंसम्मीन पैटर्न्स (livemint.com)
5. द नेक्स्ट पेंडेमिक: कोविड-19 मेंटल हैल्थ-पेंडेमिक ईवलिनि पैरिश : द नेक्स्ट पेंडेमिक: कोविड-19 मेंटल हैल्थ पेंडेमिक-पबमेड (nih.gov), द असेसमेंट ऑफ लाइफस्टाइल चेंजिस ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक यूजिंग अ मल्टीडायमेंशनल स्केल (nih.gov), इफैक्ट्स ऑफ कोविड-19 होम कन्फाइनमेंट ऑन ईटिंग बिहेवियर एंड फिजिकल एटिंग विटी : रिजल्ट्स ऑफ द ईसीएलबी-कोविड-19 इंटरनेशनल ऑनलाइन सर्वे-पबमेड (nih.gov)
6. इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 एपिडेमिक ऑन लाइफस्टाइल बिहेवियर्स एंड देयर एसोसिएशन विद सब्जेक्टिव वैल-बीइंग अमंग द जनरल पॉपुलेशन इन मेनलैंड चाइना : क्रॉस-सेक्शनल स्टडी झाओ हू 1, एमडी; शूहुई लिन 1 एमडी; एटिपात्सा चीवांडा कामिंगा 2, 3 एमडी; हुइलान शू 1, एमडी देखिए : जेएमआईआर - इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 एपिडेमिक ऑन लाइफस्टाइल बिहेवियर्स एंड देयर एसोसिएशन विद सब्जेक्टिव वैल-बीइंग अमंग द जनरल पॉपुलेशन इन मेनलैंड चाइना: क्रॉस-सेक्शनल स्टडी हू - जर्नल ऑफ मेडिकल इंटरनेट रिसर्च।
7. क्लीन, ग्रीन एंड बैटर : पॉलिसी प्रॉब्लिमीज़ इन अ पोस्ट-कोविड-19 वर्ल्ड। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड्स।
8. क्रीएट ग्रीन पोस्टी-कोविड रिकवरी अर्जिस यूके इंडस्ट्री बॉडी-पॉजिटिव न्यूज़-पॉजिटिव न्यूज़।
9. बिल्डिंग बैक अ ग्रीन एंड रीजिलिएंट रिकवरी-जोओवी. यूके (www.gov.uk)
10. माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्डन - मेथडालजीस फॉर असे.

सिंग ग्रीन जॉब्स मार्च 2013 (ilo.org) यह भी देखिए : Looking-for-green-jobs_the-impact-of-green-growth-on-employment.pdf (lse.ac.uk)

11. <https://www.thestatesman.com/coronavirus/18-migrant-workers-trying-to-reach-home-hiding-in-cement-mixer-held-in-madhya-pradesh-1502883244.html>
12. <https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-india-migrants-spe/special-report-indias-migrant-workers-fall-through-cracks-in-coronavirus-lockdown-idUSKBN2230M3>
13. <https://www.hindustantimes.com/sex-and-relationships/this-is-how-good-samaritans-are-helping-delhi-survive-in-lockdown/story-MPp9xnxZ34zCCBg1ELZACL.html>
14. <https://timesofindia.indiatimes.com/city/dehradun/good-samaritans-social-organisations-come-forward-to-help-those-hit-by-lockdown/articleshow/74901311.cms>
15. <https://timesofindia.indiatimes.com/city/agra/gurdwara-along-nh2-has-fed-over-a-million-people-during-lockdown/articleshow/76163085.cms>, and <https://www.tribuneindia.com/news/punjab/dsgmc-launches-langar-on-wheels-for-migrants-86473>
16. देखिए : रीवाइविंग जॉब्स : ऐन एजेंडा फॉर ग्रोथ (ईडी) बाय संतोष मेहरोत्रा (2020)
17. 2020 की पहली तिमाही में घरेलू हिंसा के मामलों की संख्या में फ्रांस में 30 प्रतिशत, सिंगापुर में 100 प्रतिशत, अर्जेंटीना में 25 प्रतिशत और साइप्रस में 33 प्रतिशत वृद्धि हुई। चीन के हुबेई प्रांत के एक पुलिस स्टेशन में फरवरी 2020 में क्वारंटीन के दौरान घरेलू हिंसा की रिपोर्ट्स तीन गुणा बढ़ गई।
18. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रकाशित क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2018 के अनुसार, भारत में महिलाओं के खिलाफ हर 1.7 मिनट में एक अपराध दर्ज किया जाता है और हर 4.4 मिनट में एक महिला को घरेलू हिंसा की शिकार होती है। महामारी के दौरान यह स्थिति संभवतः और खराब हो गई होगी।
19. See: <https://mfasia.org/migrant-workers-cooperatives-as-a-crisis-response/> for Indonesian experience of migrant workers co-opertives.
20. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_221743.pdf
21. <https://timesofindia.indiatimes.com/india/3-times-more-pay-air-travel-how-migrants-are-being-wooded-back/articleshow/76210270.cms>. And <https://www.indiatvnews.com/news/india/construction-firms-migrant-workers-air-tickets-sops-623400>
22. <https://nvdatabase.swarthmore.edu/content/ahmedabad-textile-laborers-win-strike-economic-justice-1918>, <https://dialogueden.com/2020/blog/from-the->

- 1918-influenza-pandemic-time-and-gandhis-role-as-an-arbitrator/
23. <https://www.sciencedaily.com/releases/2020/07/200716101621.htm>, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004896972023378>, <https://www.timesnownews.com/mirror-now/in-focus/article/covid-19-lockdown-leading-to-significant-drop-in-gangariver-water-pollution/574016>

संदर्भ

1. बसु, कौशिक 2018: अ शॉट हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ इकॉनोमी। अ चैप्टर इन द एशियन ड्रामा यूनाइटेड नेशन्स यूनिवर्सिटी यूएनयू वाइडर वर्किंग पेपर/124 अक्टूबर
2. बोंडुरेंट, जॉन वी. कॉन्वेस्ट ऑफ वॉयलेंस 1958: द गांधीयन फिलॉसफी ऑफ कॉन्फ्लिक्टम। प्रिंस्टन : प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी प्रेस।
3. चक्रवर्ती, विद्युत 2006: सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट ऑफ महात्मा गांधी, लंदन; न्यूयॉर्क: राउटलेज।
4. चंद्र, सुधीर 2020: थिंकिंग ऑफ गांधी टूडे संस्करण 55 अंक संख्या 38
5. चटर्जी राखाहरी 1976: द इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस संस्करण 37 सं. 4 पृष्ठ संख्या 42-57
6. दासगुप्ता, ए.के. 1975: द इकॉनॉमिक्स 3 ऑफ ऑस्ट्रेटो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस
7. देसाई, महादेव. अ राइचस स्ट्रगल : अ क्रॉनिकल ऑफ द अहमदाबाद टैक्सटाइल लेबरर्स फाइट फॉर जस्टिस। अहमदाबाद, भारत: जीवनजी दयाभाई देसाई, 1918
8. एरिक्सन, एरिक एच. 1969: गांधीज़ टूथ: ऑन द ऑरिजन ऑफ मिलिटेंट नॉन-वॉयलेंस। न्यूयॉर्क: डब्ल्यू डब्ल्यू नोर्टन एंड कंपनी, इंक
9. पटेल, सुजाता. 1984: क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड वर्कर्स मूवमेंट इन अहमदाबाद टैक्सटाइल इंडस्ट्री, 1918-23. इकॉनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली संस्करण 19, सं. 20/21 (मई 19-26), पृष्ठ संख्या 853-855; 857-864, <http://www.jstor.org/stable/4373280>
10. मेहरोत्रा, संतोष ईडी. 2020 रीवाइविंग जॉब्स: ऐन एजेंडा फॉर ग्रोथ, पेंगुइन
11. नायक पुलिन बी 2017: ए के दासगुप्ता/ऑन गांधी एंड द इकॉनॉमिक ऑफ ऑस्ट्रेटो संस्करण 52, अंक सं. 50, दिसम्बर 16, 2017
12. स्पों डेक हॉवर्ड 1965: द 'मैनचेस्टर एराइजेशन' ऑफ अहमदाबाद मार्च 13, द इकॉनॉमिक वीकली 483-490
13. स्पोंडेक हॉवर्ड. 2011: अहमदाबाद: शॉक सिटी ऑफ ट्वेन्टीअथ-सेचुरी ऑफ इंडिया. ब्लूमिंगटन, आईएन: इंडियाना यूनिवर्सिटी प्रेस
14. व्यास, एम. (2020): द जॉब्स बलडबाथ ऑफ अप्रैल 2020, सीएमआईई, मुंबई
15. वेबर थॉमस 2020: गांधी एंड पेंडेमिक ईपीडब्ल्यू संस्करण 55, अंक सं. 25, 20 जून।

कोविड-19 और मनोस्वास्थ्य

डॉ कृष्ण चन्द्र चौधरी

कोविड-19 विषाणु को लेकर पूरी दुनिया में चिंताएं बढ़ी हैं और वे इसे गंभीर खतरे के रूप में देख रहे हैं। भारत में दूसरी लहर में इस विषाणु का नया रूप ज्यादा लोगों को अप्रत्याशित रूप से प्रभावित कर रहा है। इस महामारी ने हमें सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, चिकित्सकीय, मनोस्वास्थ्य और आर्थिक तौर पर बुरी तरह से प्रभावित किया है। भय और चिंता की अवस्था में व्यक्ति में प्रायः सांवेगिक अनुक्रिया मनोसामाजिक डर, आशंका और घबराहट उत्पन्न होती है, जिसे नैसर्गिक रूप से भावनाओं के आदान-प्रदान से कम किया जा सकता है। इसके साथ ही विचारों का आदान-प्रदान मनोभावों की शानदार अभिव्यक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में प्रेरित करती है। इससे परिस्थिति के अनुरूप स्वयं को ढालने की क्षमता बढ़ती है। सकारात्मक सोच और रचनात्मक क्रियाकलापों को अपना कर तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकला जा सकता है। महामारी के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए वर्तमान में कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करके और टीका लगवा कर विषाणु के फैलाव को रोका जा सकता है।

को

विड-19 विषाणु की महामारी बाकी महामारियों से अलग है क्योंकि ये असल मायनों में वैश्विक है। इसका असर लोगों के भावनात्मक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। आम जीवन में तनाव सामान्य बात है, परंतु इस महामारी ने करोड़ों लोगों को भौतिक रूप से शेष दुनिया से अलग-थलग कर दिया है। लोगों में भविष्य के प्रति अज्ञात भय के कारण यह बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है।

आज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जोखिमों में से एक अकेलापन है। अब जबकि लोगों की आजादी से घूमने फिरने की गतिविधियों पर अंकुश लग गया है तो समस्या और बिगड़ गई है। भारतीय समाज में सामूहिकता अधिक देखने को मिलती है, तो ऐसे में हमारी विशिष्ट संस्कृति के संदर्भ में साझा अनुभव की अहमियत और बढ़ जाती है। हमारे समाज में सामूहिक आयोजन, हमारे सामाजिक मेलजोल के ताने-बाने का केंद्रीय आधार बिंदु रहा है।

मानसिक स्वास्थ्य पर असर


कोरोना महासंकट लोगों की मनःस्थिति पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। घरों में बंद जीवन, वित्तीय संकट की आशंका, सामान्य जीवन नहीं जी पाने की छटपटाहट और इन सबसे ऊपर कोरोना का डर, इन सभी भावनाओं ने नकारात्मकता को उत्पन्न कर दिया है। आज हर कोई भयभीत और भयाक्रांत है।

व्यक्तिगत दूरी, मास्क का उपयोग व सामाजिक व्यवहारात्मक अनुशासन

सामाजिक एकांतवास एक व्यवहारवादी परिवर्तन है और सम्पूर्ण टीकाकरण से कोरोना विषाणु को फैलने से रोका जा सकता है। कोविड-19 महामारी के दौरान “घर पर रहें, सुरक्षित रहें” यह अति महत्वपूर्ण है। अतः कोरोना महामारी के दौर में मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी जरूरी है। संक्रामक रोगों का सभी पर गहरा



लेखक एस.बी. कॉलेज, आरा में मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और कोरोना को लेकर युवा एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से एनएसएस नोडल सह कार्यक्रम पदाधिकारी हैं। ईमेल: krishna.nipccd@gmail.com



मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, उन पर भी जो विषाणु से प्रभावित नहीं हैं। इन बीमारियों को लेकर हमारी प्रतिक्रिया चिकित्सकीय ज्ञान पर आधारित न होकर हमारी मनोसामाजिक समझ से भी संचालित होती है। किसी वैश्विक महामारी का मनोवैज्ञानिक परिणाम हमारे सामाजिक ताने-बाने पर भी असर डालता है।

मनोस्वास्थ्य का प्रभाव

मनोवैज्ञानिकों ने कोरोना महामारी को तनाव का मुख्य कारण बताया है। क्योंकि यह संक्रमित बीमारी है इसलिए कोई व्यक्ति इसके बारे में सुनकर ही तनाव में आ जाता है। इस महामारी के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों में इस बीमारी के फैलने, मनोस्वास्थ्य की देखभाल करने और मृत्यु के कारण लोगों के अपने कार्य से मनोसामाजिक दूरियां बढ़ गयी हैं। सर्वविदित है कि यह महामारी एक दूसरे के छूने से फैलती है और एक अदृश्य दुश्मन जिसने सब कुछ उथल-पुथल कर रख दिया जिससे हम लोगों का जीवन तनावपूर्ण हो गया है। इस कारण से, सभी लोग इस बीमारी से और भी ज्यादा डर रहे हैं और अकेलापन व अवसाद के शिकार हो रहे हैं। इन समस्याओं के अलावा मनोवैज्ञानिकों ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि इस बीमारी के कारण आज लोगों में अन्य बीमारी के बढ़ने का खतरा ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मनोस्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े, इसके लिए विशेषज्ञों का मानना है कि सभी की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सकारात्मक तरीके खोजने चाहिए। जितना हो

सके नियमित दिनचर्या को अपनाये, रुचि का कार्य करें और प्रियजनों के संपर्क में रहें।

मनोसामाजिक दशा व दिशा

वर्तमान परिवेश में इस परिस्थितिजन्य घटनाओं से उत्पन्न डर अनुभव व महसूस होने वाली प्रतिक्रियाएं; जैसे नकारात्मक सोच, उदास रहना, रुचि और खुशी की कमी, असुरक्षा का भाव और अकेलापन, तनाव एवं कुंठा, हताशा, असामान्य व्यवहार, एकाग्रता की कमी, पारिवारिक समायोजन में कठिनाइयां, लाचारी, निस्सहायता, अत्यधिक सोचना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, आत्मविश्वास की कमी, सामाजिकता का अभाव और सोने में परेशानी, रोजमर्रा की नई दिनचर्या के कारण दबाव, आहारचर्या संबंधी विकार, प्रियजनों को खोने का डर, संक्रमण का भय, अतिसंवेदनशीलता, उन्माद, अवसाद, मृत्यु का भय, अनेकानेक मनोविकारों की उत्पत्ति, मनोदैहिक विकृतियां, शारीरिक लक्षण जैसे अपच, थकान, मांसपेशियों में दर्द, अचानक शरीर में गर्मी या ठंडा महसूस होना, नींद से जग जाना, डर से पसीना आना आदि।

कोविड-19 आपकी शारीरिक स्थिति के साथ-साथ आपकी मनोस्थिति को भी प्रभावित कर सकता है। संक्रमण के मनोवैज्ञानिक प्रभाव में कुछ तत्कालिक नतीजे हो सकते हैं जैसे अपने प्रियजनों की सेहत, वित्तीय स्थिति या जिन सहयोग सेवाओं पर आप भरोसा करते हैं उन्हें लेकर डर व चिंता। अतः तनाव, भय और उत्तेजना का सामना करने के लिए आप ऑडियो या वीडियो कॉल पर अपने प्रियजनों

मनोस्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े, इसके लिए विशेषज्ञों का मानना है कि सभी की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सकारात्मक तरीके खोजने चाहिए। जितना हो सके नियमित दिनचर्या को अपनाये, रुचि का कार्य करें और प्रियजनों के संपर्क में रहें।



के साथ जुड़े रहें और कोविड-19 से जो लोग ठीक हुए हैं उनकी सकारात्मक कहानियां साझा करें। वर्तमान प्ररिपेक्ष्य में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कई तरह की दिक्कतें होना स्वाभाविक है। इसलिए जन सामान्य को दबाव तथा चिंता का सामना करने, संभालने एवं राहत देने में मदद और समायोजन करने के लिए रचनात्मक कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। सकारात्मक सोच और रचनात्मक क्रियाकलापों को अपना कर इस दबावपूर्ण स्थिति से बाहर निकला जा सकता है। सभी को धैर्य व पूरी समझदारी के साथ कार्य करना है। सकारात्मक रहें-स्वस्थ रहें।

योग एवं ध्यान इत्यादी से मानसिक स्वास्थ्य सही रखा जा सकता है। किसी प्रशिक्षित व्यक्ति के देखरेख में योग क्रियाएं की जा सकती हैं।

वर्तमान स्थिति में मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव

ऐसी परिस्थिति में मानसिक बीमारियों से आक्रान्त होने की संभावनायें बढ़ जाती है। कुछ समाचार एवं सूचनाएं मानसिक आघात का कारण बन सकती है। कोरोना से बचने की पर्याप्त सूचनाएं सरकार द्वारा समय रहते पहले से ही जन मानस में प्रेषित कर चुकी है। सभी लोग आवश्यक जानकारियों से परिचित हैं। अतः अपना ध्यान सकारात्मक और रुचि के कार्य में जैसे चित्रकारी, पेंटिंग, संगीत, खेल, बागवानी, भोजन पकाने के प्रति झुकाव और भोजन पकाना, प्रेरक पुस्तकें, आध्यात्मिक पुस्तकें एवं महापुरुषों की प्रेरणादायी जीवनी, कहानियां, पढ़ने-लिखने की आदत विकसित करना और अपने रुचि में व्यस्त रखना आदि क्रियाकलापों का सहारा ले सकते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन

मानसिक स्वास्थ्य वर्तमान समय की बड़ी चुनौती है। अच्छा स्वास्थ्य शरीर एवं मन की स्थिति पर निर्भर करता है। दोनों का मनुष्य के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ व्यक्ति केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ होता है। स्वास्थ्य का अर्थ है कि शरीर व मन दोनों कुशलतापूर्वक एवं संतुलित रूप से काम करे। मानसिक स्वास्थ्य मनुष्य के शारीरिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। मानसिक

यह रोग आपकी शारीरिक स्थिति के साथ-साथ आपकी मनोस्थिति को भी प्रभावित कर सकता है। संक्रमण के मनोवैज्ञानिक प्रभाव में कुछ तत्कालिक नतीजे हो सकते हैं जैसे अपने प्रियजनों की सेहत, वित्तीय स्थिति या जिन सहयोग सेवाओं पर आप भरोसा करते हैं उन्हें लेकर डर व चिंता। अतः तनाव, भय और उत्तेजना का सामना करने के लिए आप ऑडियो या वीडियो कॉल पर अपने प्रियजनों के साथ जुड़े रहें और कोविड-19 से जो लोग ठीक हुए हैं उनकी सकारात्मक कहानियां साझा करें।

रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की विभिन्न इच्छाओं, आवश्यकताओं, शीलगुणों आदि के बीच एक ऐसा सामंजस्य रखता है और जिंदगी के सभी क्षेत्रों में एक संतोषजनक समायोजी व्यवहार करने में समर्थ हो पाता है। मानसिक स्वास्थ्य के दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं: व्यक्तिगत एवं सामाजिक, व्यक्तिगत पक्ष इस बात का सूचक होता है कि व्यक्ति आंतरिक रूप से समायोजित है। वह आत्मविश्वासी, उपयुक्त और आंतरिक द्वंद्वों एवं दबावों से आजाद है। वह नवीन परिस्थितियों में आसानी से अनुकूलन कर लेता है। यदि आपको किसी बात को लेकर ज्यादा दबाव और चिंता रहती है तो आपको उसे अपने मित्र या माता-पिता से साझा करना चाहिए, क्योंकि मानसिक रूप से जुड़ाव जरूरी है। अतः दोस्त, दूर के नाते-रिश्तेदार, साथी और प्रियजनों आदि सबसे ऑनलाइन साथ आते रहें तो मानसिक दूरी नहीं बढ़ेगी। और तो और रिश्तों पर काम करें, तभी जाकर मनोबल बना रहेगा। ऐसे में

हमें जीवन में अनुशासन लाने की जरूरत है। इससे आपका दबाव एवं चिंता कम होगा और समस्या का समाधान में मदद मिलेगी।

मनोवैज्ञानिकों और परामर्शदाताओं की भूमिका

कोविड-19 के काल में मानसिक स्वास्थ्य, दुःख, भय, डर, अकेलेपन, चिंता, अनिश्चितता, निराशा, दबाव, तनाव प्रबंधन, मनोसामाजिक सरोकार और जरूरतमंद लोगों के लिए परामर्श दिया जा रहा है। इस विकट परिस्थिति से उत्पन्न मानसिक दबाव से बाहर निकलने में मनोवैज्ञानिक सहायता सहायक सिद्ध होती है। सकारात्मक सोच व रचनात्मक क्रियाकलापों को अपना कर दबावपूर्ण स्थिति से बाहर निकला जा सकता है।

भारत सरकार के राष्ट्रीय हेल्पलाइन (टोल फ्री) नम्बर - 1075, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (एन सी डी सी), आरोग्य सेतु ऐप, कोविन टीकाकरण ऐप, और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे भरोसेमंद स्रोतों से सही जानकारी लें। अगर आपको लगता है कि आप कोरोना वायरस के संपर्क में आए हैं। साथ ही, आपको इसके लक्षण (बुखार, खांसी या सांस लेने में तकलीफ आदि) दिख रहे हैं, तो मदद के लिए भारत सरकार की हेल्पलाइन 1075 या राज्य सरकार के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें।

वर्तमान स्थिति में मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाये रखने के लिये आधुनिकतम तकनीक संसाधनों के साथ ही साथ महामारियों

कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित रूप से करें। इस विकट परिस्थिति से उत्पन्न मानसिक दबाव से बाहर निकलने में मनोवैज्ञानिक सहायता सहायक सिद्ध होता है। सकारात्मक सोच व रचनात्मक क्रियाकलापों को अपना कर दबावपूर्ण स्थिति से बाहर निकला जा सकता है। केवल दृढ़ इच्छाशक्ति और हम की भावना के साथ प्रयासरत रहने की आवश्यकता है।

से निपटने के परम्परागत उपायों, बड़े के अनुभव आदि का सम्मिलित इस्तेमाल काफी लाभप्रद साबित हो सकता है। अपने घरों में रहकर भी अपने प्रियजनों से जुड़े रहना परम आवश्यक है। सामान्यतः व्यक्ति किस प्रकार चिंतन, व्यवहार तथा प्रत्यक्षण करता है और उसके भीतर किसी तरह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, इसके संयोग के रूप में मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली काम करती है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील रहने में सकारात्मक सोच और रचनात्मक क्रियाकलापों को अपनाना बहुत जरूरी है। अपने आत्मविश्वास और मनोबल को बनाये रखें। महामारियां आती-जाती रहती हैं; लेकिन अंतिम विजय मानव की दृढ़ इच्छाशक्ति और जिजीविषा की ही होती है।

कोरोना-19 कोई अंतिम महामारी नहीं है; निकट भविष्य में इस पर विजय हमारी ही होगी।

संदर्भ

1. भाटिया, एम. एस. (2004), मनोरोग, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली।
2. मिश्र, भास्कर (2001), वैदिक शिक्षा पद्धति, महर्षि सन्दीपनि राष्ट्रीय वेद-विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन।
3. मिश्र, उमाशंकर "दुनिया में बढ़ती जंतु-जनित रोगों की दहशत" विज्ञान प्रगति, अप्रैल 2020, नई दिल्ली, पृष्ठ सं. 28 व 29 ।
4. चौधरी, के.सी. (2020) "कोरोना काल में तनाव प्रबंधन", हाशिये की आवाज, नई दिल्ली, अंक 7, जुलाई 2020, पृष्ठ सं. 28-30 ।

कृपया ध्यान दें

पत्रिकाओं की सदस्यता के संबंध में नोटिस

कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थितियों के कारण साधारण डाक से भेजी गई हमारी पत्रिकाओं की डिलिवरी न हो पाने से संबंधित शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। हमारे माननीय उपभोक्ताओं को योजना, कुरुक्षेत्र, बाल भारती और आजकल पत्रिका की समय पर डिलिवरी सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि नए उपभोक्ताओं को साधारण डाक से पत्रिकाओं का प्रेषण तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। यह केवल नए उपभोक्ताओं के लिए लागू होगा तथा मौजूदा उपभोक्ताओं को उनकी सदस्यता दरों के अनुसार पत्रिकाएं भेजी जाती रहेंगी।

हमारी पत्रिकाओं के लिए नई सदस्यता दरें जिनमें रजिस्टर्ड डाक से पत्रिका भेजने का शुल्क भी शामिल है, निम्नलिखित हैं-

सदस्यता प्लान	योजना, कुरुक्षेत्र तथा आजकल (सभी भाषाएं)	बाल भारती
1 वर्ष	₹. 434	₹. 364
2 वर्ष	₹. 838	₹. 708
3 वर्ष	₹. 1222	₹. 1032

वर्तमान परिस्थितियों में यह एक अस्थायी व्यवस्था है क्योंकि डाक विभाग साधारण डाक के वितरण में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। अतः जैसे ही देश में सामान्य स्थितियां बहाल हो जाएंगी पत्रिकाओं को पुनः साधारण डाक से भेजना आरंभ कर दिया जाएगा।

चिरंतन आरोग्य

ऋजुता दिवेकर

स्वास्थ्य एक प्राथमिक अधिकार है, वस्तुतः मानव अधिकारों का मुद्दा है। शिक्षा, गरीबी, जेंडर इन सब कारकों का हमारी सेहत से सीधा संबंध है। हमारा निवास स्थान, स्वास्थ्य सेवा की सुलभता, स्वच्छ हवा और ताज़े उत्पाद तथा कई अन्य कारक भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ब्रिटेन में न्यूकैसल बहुत ही सुंदर विश्वविद्यालय शहर है। वहां किए गए बहुत ही रोचक अध्ययन में पाया गया कि जेसमॉन्ड में रहने वालों के मुकाबले बाइक नाम के क्षेत्र में रहने वाले लोगों का प्रदर्शन, स्वास्थ्य पैमानों पर बेहद खराब है। बाइक एक मलिन इलाका है जबकि पड़ोसी जेसमॉन्ड इलाके में अमीर लोग रहते हैं। आपका पोस्ट कोड यानी पिन कोड भी अब हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू के रूप में उभर रहा है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस देश में रह रहे हैं। शहरों में यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हर शहर की निर्धन बस्तियां या मलिन इलाकों में खराब स्वास्थ्य के ज्यादा मामले देखने को मिलते हैं।

आ

धुनिक इतिहास में केवल एक देश ऐसा है जिसमें सामूहिक रूप से लोगों का वज़न घटा था (औसतन सभी वयस्कों का) और वह है क्यूबा। यह 90 के दशक की शुरु की बात है, सोवियत संघ टूट चुका था और क्यूबा के लोगों का औसत कैलोरी सेवन 3000-3200 से गिरकर 2400 रह गया था। अमेरिका के प्रतिबंध के कारण भोजन और ईंधन की कमी होने लगी तथा सार्वजनिक परिवहन की बसें तक चलनी बंद हो गई

थीं। क्यूबा के राष्ट्रपति श्री फिदेल कास्त्रो ने इसे पिरोयोदो एस्पैनशल (विशेष काल अवधि) घोषित किया था। इसमें राशन व्यवस्था लागू की गई, छोटे स्तर पर बागवानी को बढ़ावा दिया गया और 10 लाख से अधिक साइकिलों का वितरण किया गया। कोई आश्चर्य नहीं कि लोगों का वज़न घट गया (औसत 5.5 किलो) और मधुमेह तथा हृदय रोग के राष्ट्रीय औसत में गिरावट आ गई। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल (बीएमजे) में भी यह घटना प्रकाशित हुई जिसमें कहा गया कि कैसे



लेखिका भारत की प्रमुख पोषाहार और व्यायाम विज्ञान विशेषज्ञ हैं। ईमेल: www.rujutadiwekar.com

चयापचयी (मेटाबॉलिक) रूप से स्वस्थ मोटापा

वजन घटाने को ही अच्छे स्वास्थ्य का एकमात्र पैमाना मानने में एक समस्या यह है कि इसमें चयापचय (मेटाबॉलिक) रूप से स्वस्थ मोटापे की अवधारणा की पूरी तरह से अनदेखी हो जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वह व्यक्ति जिसका वजन ज्यादा है या जो मोटा है अस्वस्थ है या बीमारियों की जकड़ में आ सकता है। वास्तव में लगभग 25 से 30 प्रतिशत मोटे लोग वैसे पूरी तरह तंदुरुस्त और स्वस्थ रहते हैं। उनके किसी असंचारी रोग से ग्रस्त होने की आशंका केवल लगभग 20 प्रतिशत होती है। हालांकि उन्हें सबसे आम सलाह यह दी जाती है कि अपना वजन

घटाएं और जल्दी घटाएं। जब वह उपरोक्त आहार शैलियां अपनाकर अपना वजन जल्दी घटाते हैं तो न केवल दोबारा मोटे हो जाते हैं (वजन घटाने की कोशिशों के 80 प्रतिशत मामलों में वजन फिर बढ़ जाता है) बल्कि सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह होता है कि अब वह चयापचयी (मेटाबॉलिक) रूप से स्वस्थ मोटे भी नहीं रह जाते (एमएचओ)। अब उनके मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग, हार्मोनल असंतुलन, मानसिक स्वास्थ्य जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित होने की संभावनाएं डेढ़ सौ प्रतिशत बढ़ जाती हैं। अब वे चयापचयी रूप से अस्वस्थ मोटे होते हैं (एमयूएचओ)।

कम खाने और अधिक चलने को जनहित स्वास्थ्य कार्यक्रम के रूप में इस्तेमाल में किया जा सकता है।

लेकिन 2000 के दशक में क्यूबा की अर्थव्यवस्था जैसे-जैसे पटरी पर आने लगी मोटापे की दर भी 1995 से 2011 में तिगुनी हो गई। खाना और ईंधन मिलने लगा, उसके साथ ही मधुमेह और हृदय रोगों की भी वापसी होने लगी। पर क्यूबा के किसी भी नागरिक से पूछें कि क्या वह 90 के दशक में वापस जाना चाहेंगे, तो वो जिंदगी के उस दौर में कभी लौटना नहीं चाहेंगे। यहां तक कि बीएमजे में जिन लेखकों ने इस बारे में लिखा था उनका भी यही निष्कर्ष था कि 90 के दशक की त्रासदी मानव निर्मित थी (अंतरराष्ट्रीय राजनीति द्वारा) और फिर कभी किसी भी आबादी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यूबा के लोगों ने विशेष काल अवधि की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का जिस गरिमा और साहस के साथ सामना किया था उसके लिए भी पत्रिका में उनकी सराहना की गई।

सौ बातों की एक बात यह है कि आर्थिक या सुरक्षा संकट में उलझे बिना स्वास्थ्य सुधारने का केवल एक उपाय है कि उसके लिए और अधिक समझ-बूझ के साथ टिकाऊ रास्ता अपनाया जाए जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सहायता/समर्थन, आत्मसंयम। यह केवल वजन घटाने की बात नहीं है बल्कि सही तरीके, लगातार अपनाने की बात है।

हमेशा स्वस्थ रहने के लिए तीन आसान और व्यावहारिक नियम इस प्रकार हैं-

चयापचयी (मेटाबॉलिक) स्वास्थ्य बनाम वजन घटाना

आहार शैली (डायट ट्रेन्ड्स) कोई भी हो, सब का मूल उद्देश्य है- वजन कम करना। कभी सीधे तौर पर तो कभी डिटॉक्सिफाई, रिजुवनेशन, एंटी डायबिटीज, एंटी कैंसर आदि जैसे शब्दों और धारणाओं की चाशनी में लपेटकर ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। पर हर आहार शैली का मूल मंत्र वजन घटाना ही है। क्या कभी ऐसी किसी आहार शैली को वायरल होते सुना है जिसका एकमात्र संकल्प है 'सभी के लिए भोजन सुरक्षा' या और साधारण ढंग से कहा जाए तो 'पाचन बेहतर और कोई एसिडिटी नहीं'? खरबों डॉलर का आहार उद्योग अपने मुनाफे के लिए चाहता है कि हमारा सारा ध्यान वजन घटाने पर रहे।

अगर हम अपनी रोजाना जिंदगी को ध्यान से देखें तो जो चीजें हमारी तंदुरुस्ती के लिए वास्तव में जरूरी हैं उन्हें हम किसी तराजू या अन्य पैमाने पर नहीं तौल सकते। क्या हम रात को गहरी नींद लेते हैं, सोकर उठने पर तरोताजा महसूस करते हैं, क्या दिन भर फुर्ती रहती हैं, क्या हमें एसिडिटी, अफारे और अपच की समस्या होती है, क्या भोजन के बाद मीठा खाने की इच्छा होती है, क्या हम चुस्त रह पाते हैं और व्यायाम कर पाते हैं और क्या हमें पीएमएस और महावारी में दर्द होता, आदि।

वैज्ञानिक भाषा में उपरोक्त पैमाने चयापचयी (मेटाबॉलिक) स्वास्थ्य को मापने के उपाय हैं। यह संकेत देते हैं कि आपके हार्मोन कितने बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, आपका हृदय कितना स्वस्थ

योग और आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य

स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारी का न होना ही नहीं है बल्कि उसमें यौवन के जोश के साथ जीवन की हर अवस्था में सीखने की क्षमता भी होनी चाहिए। यह व्यक्ति को सदा खुशी और संतुष्टि के रास्ते अपनाने और उन पर चलने के लिए प्रेरित करता है। उपनिषद में सुख या प्रसन्नता को ऐसी अवस्था बताया गया है जब हमारी सभी इंद्रियों- दृष्टि, घ्राण, स्पर्श, श्रवण और स्वाद के बीच परस्पर तालमेल हो। दुःख वह स्थिति है जिसमें इंद्रियों के बीच कोई तालमेल नहीं होता और जिसके कारण प्रसन्नता का अभाव होना स्वाभाविक है। हम सबने इसका अनुभव किया है, हमारा शरीर कहीं होता है और चित्त कहीं और

तथा इंद्रियां विक्षिप्त रहती हैं। तालमेल के इस अभाव को ही आधुनिक युग में 'तनाव' कहा जाता है। आयुर्वेद में अंग्रेजी शब्द 'हेल्थ' का अर्थ स्वास्थ्य माना जाता है यानी वह अवस्था जब स्व (स्वयं) ही स्थान (केन्द्रित) होता है। अर्थात् स्वास्थ्य वह केन्द्रित अवस्था है जिसमें सभी इंद्रियों में पूर्ण सामन्जस्य रहता है - या जैसा महात्मा गांधी ने लिखा है स्वास्थ्य चिंतन, वाणी और कर्म का संगम है और उनके बीच कोई द्वंद्व नहीं होता। योग हमें शांति के मार्ग के जरिए स्वस्थ रहने की दिशा देता है और योग के ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि स्वास्थ्य, भीतरी और बाहरी शांति दोनों के लिए पहला कदम है।

स्थानीय खाएं, वैश्विक सोचें

विश्व में मात्र 10 साल पहले के मुकाबले आज ज्यादा मोटापा है फिर भी भुखमरी का खतरा आज भी उतना ही मंडरा रहा है जितना कई साल पहले था। वैश्विक रूप से हम कुपोषण के दोहरे बोझ की मार झेल रहे हैं। एक तरफ वह जनसंख्या है जो इतना ज्यादा खाती है कि इस अति के कारण उसकी मृत्यु की आशंका रहती है तो दूसरी ओर ऐसी जनसंख्या है जिन्हें दो जून की रोटी भी नसीब नहीं होती।

नींद और स्वस्थ रहने की जरूरत पर बल न दे। आहार, व्यायाम, क्रियाएं और नींद मिलकर ही, सदैव स्वस्थ रहने के लिए समग्र दृष्टिकोण बनाती है। इतना ही नहीं इनमें से प्रत्येक पहलू के बारे में भी समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए- आहार को कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा में न बांटें; क्रियाओं और व्यायाम को केवल पैदल चलने और या कार्डियो कसरत तक ही सीमित न रखें; नींद और स्वस्थ रहने को सप्ताहांत पर न टालें बल्कि रोजाना ध्यान दें।

साथ ही, जीवन की दैनिक अपरिहार्य गतिविधियां, अर्थात् आपका काम, यात्रा, पारिवारिक दायित्व आदि सब इस समाधान के अंग होने चाहिए और कोई भी आहार या व्यायाम शैली जब तक इनके साथ तालमेल नहीं बैठा पाती है तो सफल नहीं हो सकती। ऐसे पेशे या व्यवसाय इसके आदर्श उदाहरण हैं जिनमें दिनभर मानसिक या शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है और कम कैलरी सेवन या आहार न लेने पर उनका प्रदर्शन खराब हो जाता है।

है, आपकी आंतों में कितने प्रकार के जीवाणु हैं, क्या आपका ब्लड शुगर (मधुमेह) नियंत्रित है, इत्यादि इत्यादि। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह बताते हैं कि आपके लिए मधुमेह, कैंसर, पीसीओडी, थायरॉइड की स्थितियों, हृदय व मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे असंचारी रोगों (एनसीडी) का शिकार होने की आशंका कितनी है। याद रखें विश्व भर में कम आयु में होने वाली लगभग 75 प्रतिशत मौतों के कारण असंचारी रोग हैं। हमें अब यह भी पता है कि व्यक्ति के अन्य रोगों से ग्रस्त होने पर कोविड-19 संक्रमण कैसे भयावह रूप ले लेता है।

तमाम आहार शैलियों के चलन के बावजूद बिगड़ते जन स्वास्थ्य का सबसे बड़ा कारण चयापचयी (मेटाबॉलिक) स्वास्थ्य की कीमत पर भी सिर्फ वजन घटाने की सोच है। अच्छे स्वास्थ्य की पहली आवश्यकता वजन घटाने के बजाय चयापचयी (मेटाबॉलिक) स्वास्थ्य होनी चाहिए।

समग्र बनाम एकल-आयामी दृष्टिकोण

जब हम वजन घटाने की सोच को छोड़ कर आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि तंदुरुस्त शरीर के और भी अनेक पहलू हैं- हार्मोन, अंग, हड्डियां, मांसपेशियां, लिगामेंट, तंतु, जोड़, त्वचा, केश इत्यादि। यह अकेले काम नहीं करते बल्कि एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। ऐसा उपाय जो न केवल एक पहलू पर काम करे बल्कि उपरोक्त सभी पहलुओं पर ध्यान दे। तो ऐसा कोई आहार न लें जिसका मंत्र हो- कोई व्यायाम न करें, केवल पैदल चलें; ऐसा कोई व्यायाम व्यवस्था नहीं अपनाएं जो कहे- कुछ भी खाएं, बस व्यायाम से घटाएं, ऐसी कोई जीवनशैली नहीं अपनाएं जो



ई-कबाड़ प्रबंधन

ऋचा रश्मि

ई-कबाड़ प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में अनेक पक्ष शामिल रहते हैं। भारत में ई-कबाड़ प्रबंधन से संबंधित नीतियां 2011 से ही मौजूद हैं। लेकिन इन नीतियों पर अमल कमजोर रहा है। देश में मौजूदा समय में लगभग 95 प्रतिशत ई-कबाड़ का प्रबंधन अनौपचारिक क्षेत्र में किया जा रहा है। खराब कार्य स्थितियों में काम करने वाला यह क्षेत्र विखंडन और रीसाइक्लिंग के लिये अपरिष्कृत तकनीकों पर निर्भर है।

उ

पयोगिता पूरी कर चुके कंप्यूटर और मोबाइल फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से पैदा होने वाले कचरे को ई-कबाड़ कहते हैं। इस तरह का कबाड़ वर्तमान में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा कचरा है। वर्ष 2019 में विश्व भर में रिकॉर्ड 53.6 मिलियन टन ई-कबाड़ पैदा हुआ। इसमें से सिर्फ 17.4 प्रतिशत ई-कबाड़ की रीसाइक्लिंग की गयी (ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर, 2020)।

भारत में ई-कबाड़ प्रबंधन नीति 2011 से ही मौजूद है। इसके दायरे का 2016 और 2018 में विस्तार किया गया है। लेकिन इस पर अमल की रफ्तार संतोषजनक नहीं है। देश में सिर्फ 5 प्रतिशत ई-कबाड़ का औपचारिक रीसाइक्लिंग केन्द्रों के जरिये प्रसंस्करण किया जाता है। बाकी ई-कबाड़ का निस्तारण अनौपचारिक क्षेत्र के हवाले है। इस क्षेत्र में पर्यावरण और सुरक्षा से जुड़े मानदंडों का पालन बहुत कम किया जाता है (भारत सरकार, 2019)।

ई-कबाड़ प्रबंधन को मांग और आपूर्ति, दोनों से संबंधित कारक प्रभावित करते हैं और इसके गहराई से विश्लेषण की जरूरत है। इस आलेख में भारत में रीसाइक्लिंग क्षमता को बाजार आधारित प्रणालियों के जरिये सुधारने से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करने की कोशिश की गयी है। इसमें खास तौर से भारत सरकार की तरफ से निर्धारित विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) लक्ष्यों के अनुरूप मोबाइल निर्माताओं के लिये व्यावसायिक समाधान सुझाये गये हैं।

ई-कबाड़ मूल्य शृंखला

ई-कबाड़ प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में अनेक पक्ष शामिल रहते हैं। मूल्य शृंखला के महत्वपूर्ण हितधारकों में आयातक, उत्पादक या निर्माता, खुदरा कारोबारी, उपभोक्ता, व्यापारी, कबाड़ी, विखंडनकर्ता और रीसाइकिलकर्ता शामिल हैं (यूएनईपी, 2007)। खुदरा कारोबारी और उपभोक्ता में व्यक्ति, व्यवसायी, सरकार और अन्य शामिल हैं। प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में इनमें से हरेक के गहराई से आकलन के लिये ई-कबाड़ मूल्य शृंखला को समझना अहम है। इस प्रक्रिया के चार चरण हैं - उत्पादन, संग्रह, पृथकीकरण और प्रशोधन

या निस्तारण (द इलेक्ट्रॉनिक्स रीसाइक्लिंग लैंडस्केप, 2016)।

ई-कबाड़ तब पैदा होता है जब किसी उत्पाद का उपयोगकर्ता यह तय करे कि इस सामान का अब उसके लिये कोई इस्तेमाल नहीं रह गया। इस उत्पाद का फिर उपयोग करने का कोई इरादा नहीं रहने के कारण वह इसे दान में देता या बेचता है। इस ई-कबाड़ का प्रबंधन संग्रह के जरिये औपचारिक ढंग से, कूड़ेदान में फेंके जाने या एक विकसित तंत्र के माध्यम से अनौपचारिक तौर-तरीकों से किया जाता है (ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर, 2020)।

औपचारिक संग्रह


राष्ट्रीय ई-कबाड़ कानून के तहत इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का प्रबंधन औपचारिक संग्रह के जरिये किया जाना चाहिये। इस तरह के संग्रह में ई-कबाड़ को संबंधित संगठन, उत्पादक और सरकार (मसलन, नगरपालिकाओं के संग्रह केन्द्र) एकत्र करते हैं। इसके अलावा खुदरा व्यापारी और उत्पादक भी उपयोग किये गये सामान को वापस ले सकते हैं। इस तरह एकत्र ई-कबाड़ को विशेष प्रसंस्करण केन्द्र में ले जाया जाता है। वहां इस कबाड़ से कीमती सामग्री को निकाले जाने के बाद जहरीले पदार्थों का प्रबंधन पर्यावरण के लिहाज से नियंत्रित ढंग से किया जाता है। इसके बाद बाकी बची सामग्री को जलाया या सुरक्षित ढंग से जमीन में दफना दिया जाता है।

कूड़ेदान के जरिये संग्रह

उपयोगकर्ता अक्सर इलेक्ट्रॉनिक सामान की उपयोगिता खत्म हो जाने के बाद उसे घर के बाकी कचरे के साथ कूड़ेदान में डाल देता है। आम तौर पर इस तरह के कचरे का पृथकीकरण नहीं किया जाता है। इसलिये ई-कबाड़ भी अन्य घरेलू कचरे की तरह ही जला या जमीन में दबा दिया जाता है। इसके परिणामस्वरूप संसाधन के मूल्य का नुकसान होने के साथ ही पर्यावरण को भी क्षति पहुंचती है।

अनौपचारिक संग्रह

कुछ देशों में कबाड़ का कारोबार करने वाले व्यक्तियों और कंपनियों का एक स्थापित नेटवर्क है। वे विभिन्न माध्यमों से ई-कबाड़ को एकत्र कर उसका व्यापार करते हैं। ऐसी व्यवस्था में ई-कबाड़ से धातु की रीसाइक्लिंग संभव है। इसके अलावा घरों से ई-कबाड़ को



चार्ट 1 : अनौपचारिक मूल्य शृंखला

एकत्र कर इसे अनौपचारिक कारोबारियों को बेचा जाता है। ये कारोबारी या तो इसकी मरम्मत करते अथवा इसे किसी रीसाइकिलकर्ता को बेच देते हैं। रीसाइकिलकर्ता इस उत्पाद का ज्वलन या निक्षालन के जरिये अथवा पिघला कर विखंडन करता है। इस तरह उत्पाद एक द्वितीयक कच्चे माल में तब्दील हो जाता है। इन दोनों प्रक्रियाओं में ई-कबाड़ का निस्तारण किसी भी तरह किया जाये इसके पर्यावरण के लिये अनुकूल ढंग से नहीं होने का जोखिम बना रहता है। एक अनौपचारिक मूल्य शृंखला के सामान्य ढांचे को चार्ट-1 में दिखाया गया है।

भारत की नियामक व्यवस्था

भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र ने पिछले दशक में जबर्दस्त प्रगति की है। यह 2004-05 में 11.5 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़ कर 2009-10 में 32 अरब अमेरिकी डॉलर का हो गया (संसद की कार्यवाही, 2010)। इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के स्वदेश में उत्पादन और आयात में वृद्धि के साथ ही ई-कबाड़ उत्सर्जन में भी तेजी आयी। इससे इस क्षेत्र पर नियामक नियंत्रण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। विकसित देशों में अक्सर ई-कबाड़ की रीसाइकिलिंग का खर्च बहुत ज्यादा होता है। इन देशों में टूटे और खराब उपकरणों के निस्तारण के लिये कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। इसलिये विकसित राष्ट्रों की कई कंपनियां अपने ई-कबाड़ को विकासशील देशों में भेजने के अपेक्षाकृत किफायती विकल्प को अपनाती हैं।


इस स्थिति ने गैर-सरकारी संगठनों को जागरूकता अभियान चलाने के लिये प्रेरित किया। बहुराष्ट्रीय संस्थाओं ने भी इस ओर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। सरकार ने

2008 में सामान्य कबाड़ प्रबंधन नियम लागू किये। इन नियमों में ई-कबाड़ का प्रबंधन जिम्मेदार ढंग से करने की बात कही गयी थी। इसके अलावा सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी निर्माता संघ (एमएआईटी) और अन्य औद्योगिक संगठनों के सुझाव पर पंजीकरण और ई-कबाड़ प्रबंधन दिशा-निर्देश जारी कर इलेक्ट्रॉनिक्स रीसाइकिलिंग उद्योग को औपचारिक रूप देने की ओर ध्यान दिया। सरकार ने ई-कबाड़ प्रबंधन को सुचारू बनाने के लिये इलेक्ट्रॉनिक कचरा (प्रबंधन और संभाल) नियम, 2011 अधिसूचित किये। इन नियमों में एक्सटेंडिड प्रोड्यूसर रिसपासिबिलिटी (ईपीआर) यानी विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी का भी

प्रावधान किया गया था। इसके तहत उपयोग की जा चुकी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को एकत्र और रीसाइकिल करने की जिम्मेदारी उत्पादक को सौंपी गयी। ईपीआर के तहत कबाड़ प्रबंधन का भार निर्माताओं पर डाले जाने से सैद्धांतिक रूप से पर्यावरण के ज्यादा अनुकूल उत्पादों की डिजाइन के लिये माहौल तैयार हुआ। माना गया कि चूंकि निस्तारण का खर्च निर्माताओं को उठाना है इसलिये वे अपने उत्पादों में कम जहरीली और आसानी से रीसाइकिल होने वाली सामग्री का उपयोग करेंगे। इस बीच भारत में इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ का उत्पादन 2014 में 1.7 मिलियन टन से बढ़ कर 2015 में 1.9 मिलियन टन हो गया (संयुक्तराष्ट्र, 2015 और 2016)।

क्रियान्वयन के बेहतर ढांचे और प्रणालियों वाले देशों के विपरीत भारत के ईपीआर नियमों में संग्रह और रीसाइकिलिंग के लक्ष्य तय नहीं किये गये थे। लक्ष्य के अभाव और ढीले नियामक परिवेश के कारण उत्पादक उपयोग किये जा चुके अपने सामान का संग्रह

ई-कबाड़ प्रबंधन को मांग और आपूर्ति, दोनों से संबंधित कारक प्रभावित करते हैं और इसके गहराई से विश्लेषण की जरूरत है। इस आलेख में भारत में रीसाइकिलिंग क्षमता को बाजार आधारित प्रणालियों के जरिये सुधारने से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करने की कोशिश की गयी है। इसमें खास तौर से भारत सरकार की तरफ से निर्धारित विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) लक्ष्यों के अनुरूप मोबाइल निर्माताओं के लिये व्यावसायिक समाधान सुझाये गये हैं।



स्रोत : ब्रनिंग, एंडी/कंपाउंड इंटररेस्ट, 2014

स्मार्ट फोन में इस्तेमाल होने वाले तत्व

सुनिश्चित करने के लिये प्रेरित नहीं हुए। इस स्थिति को देखते हुए 2016 में ई-कबाड़ नियमों में संशोधन कर संग्रह के लक्ष्य निर्धारित किये गये। इसी के साथ अमानत वापसी प्रणाली (डीआरएस) की भी शुरुआत की गयी (भारत सरकार, 2016)। डीआरएस में उत्पाद की खरीद के समय उपभोक्ता से एक निर्धारित रकम अमानत के तौर पर ली जाती है। उत्पादक को यह उत्पाद सुरक्षित ढंग से लौटाये जाने पर अमानत की रकम उपभोक्ता को लौटा दी जाती है। इस प्रणाली के तहत शुरुआती दो वर्षों में 30 प्रतिशत और सातवें साल के अंत तक 70 प्रतिशत संग्रह दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया। लेकिन निर्माताओं ने इसका विरोध करते हुए इसमें ढिलाई देने की मांग की। लिहाजा, वर्ष 2018 में नियमों में संशोधन कर लक्ष्य को पहले दो वर्षों में 10 प्रतिशत और सातवें साल के अंत तक 70 प्रतिशत किया गया।

वर्ष 2018 के संशोधन में उत्पादक जिम्मेदारी संगठनों (पीआरओ) के पंजीकरण का प्रावधान भी किया गया। भारत में पीआरओ व्यापक अनुपालन सेवाएं मुहैया कराते हैं। इनमें संग्रह और रीसाइकिलिंग के सबसे किफायती अनुबंध के लिये बातचीत से लेकर पहुंच और जागरूकता बढ़ाने की जरूरतों को पूरा करने में उत्पादकों की मदद करना तक शामिल है (सीआरबी और द ग्रीन इलेक्ट्रॉनिक्स कार्गसिल, 2018)।

ई-कबाड़ रीसाइकिलिंग का मौजूदा परिदृश्य और मुद्दे

भारत में ई-कबाड़ प्रबंधन नीतियां 2011 से ही हैं मगर इन पर अमल ढीला रहा है। मौजूदा समय में ई-कबाड़ के लगभग 95 प्रतिशत हिस्से का प्रबंधन अनौपचारिक क्षेत्र करता है। खराब कार्य स्थितियों में काम करने वाला यह क्षेत्र विखंडन और रीसाइकिलिंग के लिये

अपरिष्कृत तकनीकों पर निर्भर है (भारत सरकार, 2019)।

नीतिगत बदलावों के जरिये इस क्षेत्र को औपचारिक बनाने की लगातार कोशिश की गयी है। लेकिन जमीनी स्तर पर इस प्रयास को लेकर कठिनाइयां बरकरार हैं। पहला मुद्दा मूल्य का है। औपचारिक रिसाइकिलकर्ताओं की तुलना में अनौपचारिक तौर पर रीसाइकिल करने वालों का संचालन खर्च कम होता है। उन पर कोई ऊपरी खर्च और अन्य प्रशासनिक शर्तों को पूरा करने का दबाव नहीं रहता। इसलिये वे मूल्यवान धातुओं वाले ऊंची कीमत के इलेक्ट्रॉनिक ई-कबाड़ के लिये बेहतर कीमत दे सकते हैं। संग्रहकर्ता भी ज्यादातर अनौपचारिक ही हैं जिनकी मांग तुरंत नकद भुगतान की होती है। सरकार और बहुपक्षीय संगठनों ने इस वित्तीय अंतर को सब्सिडी और आर्थिक सहायता से भरने की कोशिश की है। मगर इस तरह की रणनीति हमेशा नहीं चल सकती। अनौपचारिक नेटवर्क सुस्थापित होने के साथ ही सामाजिक पूंजी संबंधों पर आधारित है। दूसरी ओर उत्पादक जिम्मेदारी संगठन अब तक खुद को स्थापित नहीं कर सके हैं। इसलिये व्यावहारिक संख्या में संग्रहकर्ताओं तक उनकी पहुंच नहीं बन पायी है।

अक्सर इन अक्षमताओं की वजह से ईपीआर लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं। उत्पादक अपने ईपीआर लक्ष्य को पूरा करने के लिये नियमित तौर पर धन खर्च नहीं करते। अनुपालन, पारदर्शिता और ई-कबाड़ प्रवाह पर नजर रखने की क्षमता के अभाव में अनुचित बाजार लाभ पैदा हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप काफी बड़े परिमाण में ई-कबाड़ उन तक नहीं पहुंच रहा जो पर्यावरण के लिये सुरक्षित ढंग से इसकी रीसाइकिलिंग करते हैं।

धातु प्रसंस्करण की पर्याप्त अवसंरचना का अभाव भी एक महत्वपूर्ण मसला है। इसकी वजह से रीसाइकिलकर्ताओं को अपनी सामग्री वैश्विक स्तर पर धातु गलाने वालों को निर्यात करनी पड़ती है। इसलिये उन्हें प्रसंस्करण के खर्च तथा निकाले गये धातु की गुणवत्ता और मात्रा के लिहाज से निस्सारण का वास्तविक मूल्य नहीं मिल पाता। अगर इन सामग्रियों का प्रसंस्करण स्वदेश में ही हो तो देश में धातु सुरक्षा और संसाधनों की कुशलता में इजाफा होगा (नीति आयोग, 2017)।

मांग पक्ष पर गौर करें तो उपभोग और निस्तारण के तौर-तरीकों को लेकर उपभोक्ताओं में जागरूकता की कमी एक बड़ी अड़चन है। आधुनिक समाज जीवन स्तर में सुधार के साथ ही अपने उपभोग में संसाधन केन्द्रित हो गये हैं। इससे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मांग में वृद्धि के साथ ही उनकी उम्र भी कम हुई है। उत्पादक के उत्पाद को प्रचलन से हटाने से संबंधित योजना और अमानत वापसी की नीतियों के बारे में जागरूकता की कमी तथा मरम्मत के अपर्याप्त विकल्पों की वजह से उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को अन्य घरेलू कचरे के साथ फेंक देते हैं। इससे अनौपचारिक बाजार में आने वाले ई-कबाड़ की छटाई को लेकर समस्या पैदा हो जाती है।

हितधारक विश्लेषण

नियामक परिदृश्य के आलोक में मांग और आपूर्ति पक्षों के बीच अंतर के विश्लेषण से प्रक्रिया के दो महत्वपूर्ण हितधारकों - व्यवसाय पक्षकारों तथा जन और मीडिया पहरेदारों का पता चलता है। सरकार इस समूची प्रक्रिया में बड़ा उत्प्रेरक है। उसकी भूमिका एक स्व-संचालित बाजार में मददगार और नियामक की है। लिहाजा, उसे प्रशुल्कों और सब्सिडी पैकेजों के जरिये ई-कबाड़ की रीसाइकिलिंग की मांग बढ़ाने का केन्स का दृष्टिकोण अपनाने से बचना चाहिये।

क्रियान्वयन के बेहतर ढांचे और प्रणालियों वाले देशों के विपरीत भारत के ईपीआर नियमों में संग्रह और रीसाइकिलिंग के लक्ष्य तय नहीं किये गये थे। लक्ष्य के अभाव और ढीले नियामक परिवेश के कारण उत्पादक उपयोग किये जा चुके अपने सामान का संग्रह सुनिश्चित करने के लिये प्रेरित नहीं हुए। इस स्थिति को देखते हुए 2016 में ई-कबाड़ नियमों में संशोधन कर संग्रह के लक्ष्य निर्धारित किये गये।


प्रशुल्क और सब्सिडी ई-कबाड़ वित्त प्रबंध नीति के सामने दो विशिष्ट चुनौतियां हैं। इनके बजाय विकास का एक नव-शास्त्रीय तरीका अपनाया जाना चाहिये जिससे औपचारिक रीसाइकिलकर्ताओं के लिये आपूर्ति बढ़ेगी और देश में विखंडन और निष्कर्षण में सुधार के मार्ग की अवसंरचनात्मक कमियां दूर होंगी। इसके परिणामस्वरूप ई-कबाड़ की रीसाइकिलिंग के लिये अपेक्षित बाजार बनाने में काफी मदद मिलेगी। मौजूदा नीतियों का जोर इसी दिशा में होना चाहिये इसलिये सरकार की भूमिका अनिवार्य हो जाती है।

हमारे जीवन के हर पहलू में प्रौद्योगिकी का दखल बढ़ता जा रहा है। इससे बाजार में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मांग में इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही उपकरणों की उपयोगिता की मियाद भी घट रही है। प्रौद्योगिकी के तेजी से उन्नयन तथा उपकरणों की विशेषताओं और

प्रदर्शन में सुधार की वजह से लोग उत्पादों को उनकी उपयोगिता की मियाद पूरी होने से पहले ही बदल देते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि उपभोक्ता किसी उत्पाद के उपयोग की मियाद पूरी होने तक उसका इस्तेमाल करे। इसके बाद वह पर्यावरण के प्रति पूरी तरह सजग रहते हुए उत्पाद की मरम्मत की संभावना और उसे बदलने के विकल्पों के बीच चयन करे।


उत्पादक अपने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को इस तरह डिजाइन करें कि वे ज्यादा सुरक्षित, टिकाऊ तथा मरम्मत और रीसाइकिल करने योग्य हों जिससे ई-कबाड़ में कमी आयेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे जहरीली सामग्री का इस्तेमाल कम करें। निर्माण की अधिक कुशल प्रक्रिया से उपयोग की जाने वाली ऊर्जा में भी कमी आयेगी।

निर्माताओं को नये उत्पादों के लिये दुर्लभ तत्वों का उत्खनन करने के बजाय रीसाइकिल किये जाने योग्य सामग्री का फिर से इस्तेमाल



स्रोत : लेखक द्वारा संकलित

चार्ट 2 : ई-कबाड़ समस्या के व्यावसायिक समाधान



जापान का ई-कबाड़ निस्तारण तंत्र

करना चाहिये। इससे वे संग्रह के ईपीआर लक्ष्यों को पूरा करने तथा उपभोक्ताओं को ई-कबाड़ के फिर से इस्तेमाल और रीसाइकिलिंग के विकल्पों के बारे में जागरूक बनाने के लिये प्रेरित होंगे। हम चलताऊ तौर-तरीके जारी रखते हुए अनौपचारिक और औपचारिक होने के उम्मीद में बैठे नहीं रह सकते। कंपनियों के लिये ऐसे कार्यक्रम बनाना ज्यादा व्यावहारिक होगा जिनसे औपचारिक रीसाइकिलकर्ताओं तक ई-कबाड़ आसानी से पहुंच सके।

सुझाव

ई-कबाड़ का मसला हमें एक ऐसे दौराह पर खड़ा करता है जहां एक तरफ मालथस का सिद्धांत है और दूसरी ओर कोरनूकोपियन विचार। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में उत्पादों को योजनाबद्ध ढंग से अप्रचलित करने की मौजूदा व्यावसायिक परिपाटी कोरनूकोपियाई विचार के ज्यादा अनुरूप है। इस विचार के अनुसार धरती पर संसाधनों की प्रचुरता है और भविष्य में किसी खास संसाधन की कमी की भरपाई स्थिति के अनुरूप ढलने की क्षमता और डिजाइनों में बदलाव से की जा सकती है। लेकिन यह सिद्धांत इस बात पर गौर नहीं करता कि दुर्लभ, जहरीले और बेशकीमती धातुओं के विशाल भंडार का अंधाधुंध उत्खनन खतरनाक हो सकता है। पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर इनके संभावित दुष्प्रभाव इन औद्योगिक तौर-तरीकों के असर को लेकर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करते हैं। दूसरी ओर, नव-मालथसीय सिद्धांत संवहनीय विकास का

पक्ष लेते हुए रीसाइकिलिंग को बढ़ावा देता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को अपने उत्पादन के तौर-तरीकों में बदलाव लाना होगा ताकि नये कच्चे माल के इस्तेमाल में कमी आये। उसे ऐसी प्रौद्योगिकियां अपनानी होंगी जो निस्तारण और रीसाइकिलिंग की वृहत्तर क्षमता के अनुकूल हो। प्रक्रियाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाकर मौजूदा तौर-तरीकों के विकल्प खोजने होंगे जिनसे पृथ्वी के दुर्लभ संसाधनों का गैर-संवहनीय ढंग से दोहन नहीं हो। सामग्रियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल और ऊर्जा से लेकर पुराने उत्पादों के लिये वैश्विक वापसी कार्यक्रम तक कंपनी के समूचे कामकाज में पर्यावरण पर दुष्प्रभाव को घटाना जरूरी है। इस तरह के वापसी कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देकर, अमानत लौटाने की प्रणाली लागू कर और पुराने उत्पाद के मूल्य के बराबर छूट के जरिये कबाड़ संग्रह और निस्तारण की एक नैसर्गिक पारिस्थितिकी बनेगी। अमानत वापसी प्रणालियों से कुल उत्पन्न कबाड़ के भंडार और रीसाइकिलिंग क्षमता का निर्माण होगा। आपूर्ति पक्ष की कमियों के हमारे आकलन के नतीजे इसी अवधारणा पर आधारित हैं जिन्हें चार्ट - 3 में दर्शाया गया है।

नीतिगत बदलावों के जरिये इस क्षेत्र को औपचारिक बनाने की लगातार कोशिश की गयी है। लेकिन जमीनी स्तर पर इस प्रयास को लेकर कठिनाइयां बरकरार हैं। पहला मुद्दा मूल्य का है। औपचारिक रीसाइकिलकर्ताओं की तुलना में अनौपचारिक तौर पर रीसाइकिल करने वालों का संचालन खर्च कम होता है। उन पर कोई ऊपरी खर्च और अन्य प्रशासनिक शर्तों को पूरा करने का दबाव नहीं रहता। इसलिये वे मूल्यवान धातुओं वाले ऊंची कीमत के इलेक्ट्रॉनिक ई-कबाड़ के लिये बेहतर कीमत दे सकते हैं। संग्रहकर्ता भी ज्यादातर अनौपचारिक ही हैं जिनकी मांग तुरंत नकद भुगतान की होती है।

इसके अलावा, ई-कबाड़ रीसाइकिलिंग शृंखला को पर्याप्त मजबूत बनाने के लिये सख्त निगरानी, अनुपालन, उसकी क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग और वैश्विक सहयोग की जरूरत है। इनमें से किसी में भी नाकामी से संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग नहीं हो सकेगा और पर्यावरण

के लिये भी जोखिम पैदा होगा। मूल्यवान सामग्री को अनियंत्रित अनौपचारिक क्षेत्र के हाथों में पहुंचने से रोकने के लिये ईपीआर लक्ष्यों को लागू करना तथा औपचारिक रीसाइकिलिंग प्रवाह और प्रक्रिया की विस्तृत निगरानी पहला महत्वपूर्ण कदम है। इस निगरानी के परिणामस्वरूप सबके लिये समानता आयेगी और सभी हितधारक संग्रह, विखंडन, प्रसंस्करण, निस्सारण और रीसाइकिलिंग की प्रक्रियाओं के दौरान अपनी भूमिकाओं के लिये जवाबदेह बनेंगे। इस तरह प्रक्रिया के सभी चरणों में रीसाइकिलिंग शृंखला के सर्वोत्तम उपयोग के लिये चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। इसके विपरीत मौजूदा नीति में सिर्फ प्रक्रिया के शुरुआती और आखिरी चरणों पर ध्यान दिया जाता है। रीसाइकिलिंग की प्रक्रिया के सभी चरणों की अंतर्राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ परिपाटी के आलोक में समीक्षा की जानी चाहिये ताकि वित्तीय, पर्यावरणीय और संसाधनों की दृष्टि से अधिकतम कुशलता हासिल की जा सके।

मांग पक्ष में, नव-मालथसवादी सिद्धांत के अनुसार ई-कबाड़ संग्रह की क्षमता को ज्यादा-से-ज्यादा विकेंद्रित बनाया जाना महत्वपूर्ण है और इसके अनेक लाभ हैं -

1. रीसाइकिलिंग सुविधा का आकार स्थानीय आबादी की जरूरतों के अनुरूप


हमारे जीवन के हर पहलू में प्रौद्योगिकी का दखल बढ़ता जा रहा है। इससे बाजार में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मांग में इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही उपकरणों की उपयोगिता की मियाद भी घट रही है। प्रौद्योगिकी के तेजी से उन्नयन तथा उपकरणों की विशेषताओं और प्रदर्शन में सुधार की वजह से लोग उत्पादों को उनकी उपयोगिता की मियाद पूरी होने से पहले ही बदल देते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि उपभोक्ता किसी उत्पाद के उपयोग की मियाद पूरी होने तक उसका इस्तेमाल करे। इसके बाद वह पर्यावरण के प्रति पूरी तरह सजग रहते हुए उत्पाद की मरम्मत की संभावना और उसे बदलने के विकल्पों के बीच चयन करे।

होने से उसके समग्र कार्बन फुटप्रिंट में कमी आयेगी।

2. स्थानीय आबादी की पहुंच के दायरे में होने से रीसाइकिलिंग सुविधा का अधिकतम इस्तेमाल होगा तथा लोग कबाड़ संग्रह के औपचारिक बाजार चैनलों को प्रभावित करने में सक्षम होंगे। इससे रीसाइकिल करने वालों की एकाधिकार की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा और बाजार हस्तक्षेपों से मुक्त होकर काम कर सकेगा। उपभोक्ता और निर्माता, दोनों ही इस स्थिति से लाभान्वित होंगे। वे अपने ई-कबाड़ के निस्तारण के लिये विभिन्न स्थानीय विकल्पों के बीच चयन कर सकेंगे। यह कबाड़ प्रबंधन से संबंधित मसलों को हल करने का सबसे मजबूत तरीका है।

3. रीसाइकिलिंग की सुविधाओं के स्थानीयकरण से परिवहन और ऊर्जा के खर्चों में भी कमी आयेगी।

इसके अलावा जनसाधारण को संवहनीयता के लाभों और उपभोक्तावाद के नुकसान के बारे में उद्योग के अभियानों और मीडिया के जरिये जागरूक बनाया जाना चाहिये। यह काम पर्यावरणीय न्याय के विश्लेषण के माध्यम से भी किया जा सकता है। किसी उत्पाद के अनौपचारिक शृंखला में पहुंचने के खास तौर से कमजोर और सबसे ज्यादा उपेक्षित कामगारों



चार्ट 3 : स्विस ई-कबाड़ प्रबंधन प्रणाली में सामग्रियों और वित्त का प्रवाह

पर पड़ने वाले प्रभाव से लोगों को अवगत कराया जाना चाहिये। भारत में किये गये शोधों और सर्वेक्षणों से पता चलता है कि ई-कबाड़ के खतरे और रीसाइकिलिंग के बारे में जन-जागरूकता काफी कम है (बोरठाकुर और गोविंद, 2017)। गैर-सरकारी और समुदाय आधारित संगठन ई-कबाड़ का सुरक्षित निस्तारण सुनिश्चित करने के तौर-तरीकों का प्रचार-प्रसार कर सकते हैं। वे इस बात की निगरानी भी कर सकते हैं कि कॉरपोरेट और रीसाइकिल करने वाले स्वास्थ्य और सुरक्षा के मानदंडों का पालन करें।

निष्कर्ष

ई-कबाड़ की समस्या के आकार और जटिलता में वृद्धि की रफ्तार इसे नियंत्रित करने की हमारी रणनीतियों की प्रभावशीलता से अधिक तेज है। इस स्थिति में जल्दी बदलाव आने की संभावना नहीं दिखाई देती। कबाड़ उत्सर्जन में काफी कमी लाना इस समस्या के व्यावहारिक समाधानों में से एक है। हमारी नीति में उत्पादकों की ओर से जागरूकता अभियान चलाये जाने की बात कही गयी है। लेकिन इसमें जिम्मेदारी से उपभोग को बढ़ावा देने और खपत के स्तर में कमी लाने के लिये नागरिकों को शामिल करने के फ्रेमवर्क का सरासर अभाव है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 2016 में औद्योगिक संघों के साथ मिल कर ई-कबाड़ जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया। इसका मकसद ई-कबाड़ की असंगठित क्षेत्र में रीसाइकिलिंग के खतरों के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करना था। इसके जरिये जनसाधारण को ई-कबाड़ का निस्तारण करने के वैकल्पिक तरीकों के बारे में शिक्षित किया गया। औपचारिक माध्यमों से निस्तारण और उपभोग के संवहनीय तरीकों को बढ़ावा देने के लिये सतत प्रयास महत्वपूर्ण हैं।

देश में ई-कबाड़ की रीसाइकिलिंग को मजबूत करने की व्यापक संभावना मौजूद है। इस दिशा में कुछ प्रगति भी हुई है। लेकिन जागरूकता अभियानों, कौशल विकास, मानव पूंजी निर्माण तथा देश के अनौपचारिक क्षेत्र में सुरक्षा के पर्याप्त उपाय अपनाते हुए प्रौद्योगिकी लाने के संबंध में काफी काम किया जाना बाकी है। देश में बेशकीमती खनिज संसाधनों की बहुत तंगी है। हमें एक सुविचारित, ठोस और नियंत्रित ई-कबाड़ रिकवरी व्यवस्था की जरूरत है जिससे रोजगार और संपदा पैदा होगी। इस विश्लेषण का उद्देश्य नीति निर्माताओं को बाजार आधारित प्रणालियों के जरिये रीसाइकिलिंग क्षमता में सुधार के उपायों

के बारे में बताना है। ये उपाय सब्सिडी आधारित कोशिशों की मौजूदा नीति से अलग हैं। संवहनीय व्यावसायिक समाधान और जनता की सक्रिय भागीदारी ईपीआर लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति को निर्देशित कर सकती है। इससे डिजिटल कबाड़ को एक दूसरा जीवन मिलेगा। ■

नोट

1. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_673662.pdf
2. <http://www.compoundchem.com/2014/02/19/the-chemical-elements-of-a-smartphone/>

संदर्भ

1. अग्रवाल, आर (2010)। ए पॉलिसी? रबिशा। [https://www.hindustantimes.com/india/a-policy-rubbish/story\[1\]sjKDRiMXIKQI1jcVeQk5pM.html](https://www.hindustantimes.com/india/a-policy-rubbish/story[1]sjKDRiMXIKQI1jcVeQk5pM.html).
2. बेसल एक्शन नेटवर्क (2016)। स्कैम रीसाइकिलिंग : ई-डंपिंग ऑन एशिया बाई यूएस रीसाइकिलर्स <http://wiki.ban.org/images/1/12/ScamRecyclingReport-web.pdf>
3. बोरठाकुर, ए और गोविंद एम (2017)। इमर्जिंग ट्रेड्स इन कंज्यूमर्स ई-वेस्ट डिस्पोजल बिहेवियर एंड अवेयरनेस : ए वर्ल्डवाइड ओवरव्यू विद स्पेशल फोकस ऑन इंडिया।
4. सीबीएस न्यूज (निदेशक) (2008)। फॉलोइंग द ट्रेल ऑफ टॉक्सिक ई-वेस्ट (मोशन पिक्चर)।
5. सीआरबी एंड द ग्रीन इलेक्ट्रॉनिक्स काउंसिल (2008)। गैप एनालिसिस ऑन रेस्पॉन्सिबल ई-वेस्ट मैनेजमेंट एफर्ट्स इन इंडिया।
6. पर्यावरण संरक्षण विभाग (2020)। <https://www.dec.ny.gov/chemical/66872.html>
7. यूरॉपियन कमीशन (2020, मार्च 11)। ईयू की आधिकारिक वेबसाइट। https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_419
8. भारत सरकार (2016)। ई-वेस्ट प्रबंधन नियम
9. इनवेस्ट इंडिया (2020)। <https://www.investindia.gov.in/sector/electronic-systems>
10. मार्स, सी एंड (2016)। द इलेक्ट्रॉनिक्स रीसाइकिलिंग लैंडस्केप। [https://www.sustainabilityconsortium.org/wp\[1\]content/uploads/2017/03/TSC_Electronics_Recycling_Landscape_Report-1.pdf](https://www.sustainabilityconsortium.org/wp[1]content/uploads/2017/03/TSC_Electronics_Recycling_Landscape_Report-1.pdf)
11. नीति आयोग (2017, 11 30)। नीति आयोग एंड ईयू डेलिगेशन टू इंडिया रिलीज द स्ट्रेटेजी ऑन रिसोर्स एफिशिएंसी। <http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=174013>
12. संसदीय कार्यवाही, राज्यसभा (2010 7 26)। ई-कबाड़ उत्सर्जन।
13. यूएनडीपी (2020)। https://www.cn.unep.org/content/china/en/home/ourwork/our_campaigns/e-waste.html
14. यूएनईपी (2007)। खंड 2 : ई-वेस्ट मैनेजमेंट मैनुअल।
15. संयुक्त राष्ट्र (2015 और 2016)। ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर।
16. संयुक्त राष्ट्र आईटीयू और आईएसडब्ल्यूए (2020)। ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर।

हमारी पत्रिकाएं

योजना, कुरुक्षेत्र, आजकल, बाल भारती

में विज्ञापन देने हेतु

संपर्क करें :

गौरव शर्मा, संपादक
प्रकाशन विभाग

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दूरभाष : 011-24367453, मोबाइल : 7503716820
ई मेल : pdjuicr@gmail.com



7 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2019

Heartiest Congratulations

from various programs of VISION IAS

to all successful candidates



लाइव / ऑनलाइन व ऑफलाइन कक्षाएं



कोई क्लास न छूटे

रिकॉर्डेड क्लासेस, मिनी टेस्ट,
डेली असाइनमेंट और अध्ययन
सामग्री के साथ पूर्णतः
रिवीजन करें



PT 365

संपूर्ण वर्ष के करेंट अफेयर्स को
सिर्फ 60 घंटों में कवर करती
कक्षाओं से ऑनलाइन जुड़ें

प्रारंभ: 7 अप्रैल | 5 PM

फाउंडेशन कोर्स

सामान्य अध्ययन 2022

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा

UPSC के सामान्य अध्ययन
पाठ्यक्रम का व्यापक कवरेज

दिल्ली:

3 जून | 1:30 PM | 3 मार्च | 1:30 PM

जयपुर: 17 अप्रैल | 4 PM



व्यक्तित्व परीक्षण कार्यक्रम

सिविल सेवा परीक्षा 2020

★ पूर्व-प्रशासनिक अधिकारियों / शिक्षाविदों के
साथ मॉक इंटरव्यू सेशन

प्रवेश प्रारंभ



**अभ्यास ही सफलता
की चाबी है**

VisionIAS प्रारंभिक/मुख्य टेस्ट
सीरीज हर 3 में से 2 सफल
उम्मीदवारों द्वारा चुना गया

⊗ सामान्य अध्ययन ⊗ निबंध ⊗ दर्शनशास्त्र



अभ्यास 2021

ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स मॉक
टेस्ट सीरीज (ऑनलाइन)

25 अप्रैल | 9, 23 मई

पंजीकरण करें: www.visionias.in/abhyaas



**सभी द्वारा पढ़ी गई एवं
सभी द्वारा अनुशंसित**

VisionIAS मासिक करेंट
अफेयर्स पत्रिका

DELHI • 1st Floor, Apsara Arcade, Near Metro Gate 6, 1/8 B, Pusa Road, Karol Bagh
• Contact : 8468022022, 9019066066

JAIPUR | **PUNE** | **HYDERABAD** | **LUCKNOW** | **AHMEDABAD** | **CHANDIGARH** | **GUWAHATI**
9001949244 | 8007500096 | 9000104133 | 8468022022 | 9909447040 | 8468022022 | 8468022022

प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल को प्रोत्साहन

डॉ दीपक कोहली

ऊर्जा बास्केट में जीवाश्म ईंधन की औसत वैश्विक हिस्सेदारी 84 प्रतिशत है जो भारत के लिये और भी अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। कोयले और तेल पर निर्भरता को कम किये जाने की आवश्यकता है तथा इसके लिये कोयले और तेल के स्थान पर गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा के अलावा प्राकृतिक गैस को अधिक-से-अधिक उपयोग में लाना अच्छा विकल्प होगा।

भा

रत के विभिन्न बुद्धिजीवी और विशेषज्ञ, जलवायु वार्ताकार, कॉरपोरेट और पर्यावरण संबंधी एजेंसियां एवं संगठन 'शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन' की अवधारणा और इसे प्राप्त करने के उपयुक्त लक्ष्य वर्ष पर विचार कर रहे हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के संदर्भ में वैश्विक सर्वसम्मति प्राप्त करने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में भारत को सबसे पहले अपने जीवाश्म ईंधन बास्केट को 'हरित ईंधन बास्केट' के रूप में परिवर्तित करना होगा। ऊर्जा उपयोग में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को बढ़ाकर यह कार्य किया जा सकता है। यद्यपि प्राकृतिक गैस अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक गैस मूल्य शृंखला के सभी क्षेत्रों-उत्पादन (घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय) से बाजारों (वर्तमान

एवं उभरते हुए) तक परिवहन (पाइपलाइन एवं एलएनजी) और वाणिज्यिक (मूल्य निर्धारण, कराधान) तथा विनियामक मुद्दों के संदर्भ में नीतिगत सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

प्राकृतिक गैस: एक बेहतर विकल्प के रूप में

वैविध्यपूर्ण और प्रचुरता: प्राकृतिक गैस के कई उपयोग हैं और यह सभी जीवाश्म ईंधनों में 'सबसे नया' है। इसके अलावा, यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

सरल संक्रमण ऊर्जा विकल्प: प्राकृतिक गैस का उपयोग एक व्यवहार्य संभावना है क्योंकि यह कोयला खदानों को बंद करने पर विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होने देगी। इसके अलावा, उद्योगों



लेखक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन में संयुक्त सचिव हैं। ईमेल: deepakkohli64@yahoo.in

को अपनी प्रणाली के पुनः स्थापन में भारी निवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, यह पर्यावरण को प्रदूषित किये बिना सभी को सुरक्षित और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगी।

जीवाश्म ईंधन का अतिरिक्त उपयोग: ऊर्जा बास्केट में जीवाश्म ईंधन की औसत वैश्विक हिस्सेदारी 84 प्रतिशत है जो भारत के लिये और भी अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। कोयले और तेल पर निर्भरता को कम किये जाने की आवश्यकता है तथा इसके लिये कोयले और तेल के स्थान पर गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा के अलावा प्राकृतिक गैस को अधिक-से-अधिक उपयोग में लाना अच्छा विकल्प होगा।

प्राकृतिक गैस क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियां

मूल्य निर्धारण संबंधी विकृतियां: प्राकृतिक गैस के मूल्य का निर्धारण कई अलग-अलग सूत्रों पर आधारित होता है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और निजी कंपनियों द्वारा घरेलू क्षेत्रों से उत्पादित गैस के मूल्यों में अंतर पाया जाता है। इसी तरह, गहरे पानी के अपतटीय क्षेत्रों तथा उच्च तापमान वाले क्षेत्रों के तहत में किये गए उत्पादन के आधार पर भी मूल्यों में अंतर पाया जाता है। यह प्रतिस्पर्द्धी मूल्य निर्धारण में समस्याएं पैदा करता है।

प्रतिगामी कराधान प्रणाली: यह एक व्यापक संरचना है जिसके चलते गैस के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवाहित होने पर कर की दरों में वृद्धि होती है। इसका तात्पर्य यह है कि गैस के स्रोत से दूर स्थित ग्राहक, स्रोत के निकट वाले ग्राहक की तुलना में अधिक कीमत चुकाते हैं। परिणामस्वरूप मांग में कमी होती है। इसके अलावा, गैस क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में भी नहीं आता है।

हितों के टकराव की स्थिति: वर्तमान में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) गैस के उत्पादन, परिवहन और विपणन में संलग्न है।

इसके परिणामस्वरूप गेल अपने प्रतिद्वंद्वियों को बाजार तक पहुंच से वंचित करने के लिये गैस पाइपलाइनों के संदर्भ में अपने स्वामित्व का लाभ उठा सकता है। अधिकांश देशों ने परिवहन से अपस्ट्रीम (उत्पादन/आयात) और डाउनस्ट्रीम (विपणन) हितों को अलग कर इस संघर्ष की स्थिति को निपटान कर लिया है।

केंद्र और राज्यों का मुद्दा: भूमि अधिग्रहण, पाइपलाइन मार्ग तथा रॉयल्टी भुगतान जैसे मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के कारण राष्ट्रीय पाइपलाइन ग्रिड का निर्माण प्रभावित हो रहा है।



केंद्र तथा राज्यों के बीच व्याप्त मतभेदों के कारण आयात सुविधाओं के निर्माण तथा गैस बाजारों के सृजन में भी देरी हुई है।

आगे की राह :

मूल्य निर्धारण के विनियमन में ढील: घरेलू स्तर पर उत्पादित गैस के लिये मूल्य निर्धारण के विनियमन में ढील, गैस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के संदर्भ में बाजार सुधारों को सुनिश्चित करने का एक प्रमुख पहलू हो सकती है। यह कदम घरेलू गैस की कीमतों के निर्धारण तथा विपणन में स्वतंत्रता प्रदान करेगा, जिससे घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा तथा निवेशकों के लिये निवेश करना अधिक व्यवहार्य हो जाएगा।

इसके अलावा, बाजार-आधारित और किफायती मूल्य निर्धारण से औद्योगिक विकास एवं आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा को भी बढ़ावा मिलेगा।

अवसंरचना विकास: इन बाजारों को बुनियादी ढांचे तक खुली पहुंच, सिस्टम ऑपरेटर, विच्छिन्न विपणन और परिवहन कार्य, बाजार-अनुकूल परिवहन तक पहुंच तथा टैरिफ के अलावा मजबूत पाइपलाइन अवसंरचना जैसे कारकों से बहुत लाभ हुआ है।

साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय हेतु संस्थागत तंत्र स्थापित किए जाने से भी लाभ होगा।

मुक्त गैस बाजार: प्राकृतिक गैस हेतु मूल्य बेंचमार्क सुनिश्चित करने से यह मूल्य शृंखला में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देगा और डाउनस्ट्रीम बुनियादी ढांचे के साथ इसके अन्वेषण एवं उत्पादन में निवेश को प्रोत्साहित करेगा।

निष्कर्ष:

यदि भारत वृद्धिशील रूप से आगे बढ़ता है तो इसके पास स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली के गंतव्य तक पहुंचने का एक बेहतर अवसर है। इसके लिये भारत को अपनी ऊर्जा यात्रा में प्राकृतिक गैस को 'अगला पड़ाव' बनाने और इसे प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

प्राकृतिक गैस का उपयोग एक व्यवहार्य संभावना है क्योंकि यह कोयला खदानों को बंद करने पर विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होने देगी। इसके अलावा, उद्योगों को अपनी प्रणाली के पुनः स्थापन में भारी निवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा यह पर्यावरण को प्रदूषित किये बिना सभी को सुरक्षित और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगी।




योग (सचित्र)

लेखक : धर्मवीर सिंह महीडा

प्रकाशन विभाग की पुस्तक योगा इलस्ट्रेटेड का हिंदी संस्करण

अनुवादक : अरुण प्रकाश



तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोधिकः।

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन॥

योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है। वह परम सत्य को पा लेने वालों से भी श्रेष्ठ है। धर्मग्रंथों को कर्म में ढालने वालों से भी वह श्रेष्ठ है। अतः हे अर्जुन, तुम योगी के मार्ग का ही अनुसरण करो।

— भगवद्गीता, छठा अध्याय, 46

योग भारतीय सभ्यता की अनुपम उपलब्धि है। अब इसका प्रचार विश्व के कोने-कोने में हो चला है। योग का शाब्दिक अर्थ संयोग है। आम तौर पर इस शब्द का उपयोग आत्मा और ब्रह्म के मिलन, उनके संयोग को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब यह संयोग हो जाता है तो उसे ही ईश्वर का प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। लेकिन यह कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राज योग के सम्मिलित अभ्यास से ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः योग व्यापक अर्थों में आत्मिक अनुशासन ही है।

राज योग पर लिखा गया सुव्यवस्थित और आधिकारिक ग्रंथ पतंजलि का 'योग सूत्र' ही है। पतंजलि की विधि सांख्य पर आधारित है। 'योग सूत्र' का महत्व इतना रहा है कि महर्षि व्यास ने इसकी टीका को लिखना जरूरी समझा। वेदांत में संपूर्ण भक्ति है तो सांख्य में सौंदर्य की तरफ झुकाव है। 'योग सूत्र' दोनों के बीच की शाखा है। न्याय और वैशेषिक शाखा में योग साधना का जिक्र आता है। प्रसिद्ध ग्रंथ 'योग वाशिष्ठ' में महर्षि वशिष्ठ योग के बारे में भगवान राम को विस्तार से बतलाते हैं। उपनिषद और वेदों में भी सांख्य योग की

चर्चा है। सांख्य योग पर भगवद्गीता में भी एक महत्वपूर्ण अध्याय है।

योग की परिभाषा

इस शब्द के कई अर्थ हैं लेकिन हमारा सरोकार सिर्फ इस अर्थ से होना चाहिए कि योग का अर्थ है शरीर को मस्तिष्क से और फिर दोनों को आत्मा से जोड़ना।

योग को एक दर्शन पद्धति भी कहा गया है, हमें उस पर भी विचार करना चाहिए।

महर्षि पतंजलि ने अपने 'योग सूत्र' में योग की 'वृत्ति निरोध' कहा है। यानी योग वित्तवृत्ति कहते हैं और सचेतावस्था में प्रयास करके इस विचार प्रवाह को रोकना निरोध कहलाता है। योग से चित्तवृत्ति नियंत्रित हो जाती है और मस्तिष्क शांत हो जाता है। चेतना में होने वाले उतार-चढ़ाव भी संतुलित हो जाते हैं। सरल शब्दों में कहें तो योग हमारे मन के गहरे स्तरों को स्पर्श करता है—पहले ऊपरी स्तर पर, फिर बहुत सूक्ष्म स्तर पर।

योग की स्थिति पर कैसे पहुँचें?

महर्षि पतंजलि के अनुसार इसे 'अष्टांग योग' यानी योग की स्थिति के आठ अंगों—यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास कर प्राप्त किया जा सकता है।

योग के आठ अंग

यम : इसमें पांच संयम बताए गए हैं—

अहिंसा : मन, वचन और कर्म में हिंसा का परित्याग।

सत्य : मन, वचन और कर्म में सत्य का पालन।

अस्तेय : चोरी की प्रवृत्ति का त्याग। किसी के पास कुछ है तो इसकी लालसा भी नहीं करें।

ब्रह्मचर्य : मन, वचन और कर्म से ऐसा आचरण हो जो ब्रह्म की ओर उन्मुख हो।

अपरिग्रह : संग्रह-वृत्ति का परित्याग।

नियम : इन पांच नियमों का पालन होना चाहिए—

शोध - बाह्य और आंतरिक शुद्धिकरण, संतोष, तपस - अभ्यास के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति।

स्वाध्याय - 'स्व' को समझने के विज्ञान का अध्ययन, ईश्वर प्रणिधान - ईश्वर के समक्ष समर्पण।

इस तरह हम देखते हैं कि यम और नियम योगाभ्यास की आधारभूमि है। उसका पालन हर क्षण होना चाहिए। इन नियमों के पालन से होने वाले लाभ के बारे में 'योग-सूत्र' वाले अध्याय में विस्तार से बताया गया है।

जो अध्यात्म के मार्ग से विमुख हैं, वे भी यदि योग के साथ-साथ इन आचरण संबंधी नियमों का पालन करें तो उनका चरित्र निखर सकता है; उनके मस्तिष्क से भ्रम की धुंध छंट सकती है और वे उचित-अनुचित में अंतर करने का विवेक प्राप्त कर सकते हैं। इन नियमों के पालन से मनुष्य मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है तथा उसमें एकाग्रता बढ़ती है जिससे वह किसी भी कार्य में सफलता अर्जित कर सकता है।

आसन

एक आसन शरीर के विशेष भाग की जागृत कर देता है जिससे

कि उस भाग की कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। इससे संवेदनशीलता बढ़ जाती है जिससे पूरी शरीर प्रणाली के साथ उस भाग का संतुलन बन जाता है। आसन के चलते हमारे शरीर का कल्प हो जाता है, शरीर और मन में सुंदर तालमेल बन जाता है जिससे मन आंतरिक लय को सुचारू रूप से संचालित करने लगता है।

मनुष्य की शारीरिक प्रणाली बहुत जटिल है और इसलिए इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई आसनों का अभ्यास करना पड़ता है।

जिस तरह की संवेदनशीलता हमारी तर्जनी उंगली में होती है, उसी स्तर की संवेदनशीलता एक योगी के पूरे शरीर में आ जाती है। लेकिन हमें बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पर शुरुआत करनी होगी। यहां आसनों से संबंधित अन्य बातों का विस्तार से लिखना अनावश्यक होगा क्योंकि उन पर विस्तृत चर्चा इस पुस्तक में की गई है।

प्राणायाम

इसका अर्थ है श्वास अथवा प्राण-वायु का नियंत्रण। प्राण का अर्थ होता है जीवनी शक्ति या उसके विभिन्न रूप। यम का अर्थ है नियंत्रण करना, विस्तार करना और नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त कर लेना। मनुष्य तभी तक जीवित रहता है जब तक उसका श्वास चल रहा होता है। इसलिए प्राण ही है जो श्वास और जीवन पर नियंत्रण रखता है।

प्राणायाम में प्राणवायु का विस्तार किया जाता है। इसमें श्वास लेने, श्वास छोड़ने और उसे रोकने की अवधि को बढ़ाने का अभ्यास किया जाता है।

जब श्वास को रोका जाता है तो मन और चित्त दोनों स्थिर हो जाते हैं। मन और प्राण घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। इसलिए जब प्राण को नियंत्रित किया जाता है तो मन अप्रत्यक्ष रूप से अपने आप नियंत्रित हो जाता है। भगवद्गीता तक में कहा गया है कि चंचल मन को नियंत्रित करना कठिन है लेकिन इसे अभ्यास तथा अनासक्ति से नियंत्रित किया जाता है।

प्रत्याहार

इसका अर्थ होता है इंद्रियों का नियंत्रण अथवा उन्हें उदासीन करना। जब बाह्य जगत के प्रति उदासीनता आ जाती है तो मनुष्य 'स्व' के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाता है। इंद्रियों की आसक्ति विषय से वैसे ही होगी जैसे दृष्टि रंग से या श्रवण स्वर से आकर्षित होता है। बहरहाल, प्रत्याहार के स्तर पर साधक तभी पहुँच सकता है जब यम, नियम, आसन तथा प्राणायाम का कठोर अभ्यास किया जाता रहा हो।

महर्षि पतंजलि के अनुसार प्रत्याहार पर आकर बहिरंग साधना संपन्न हो जाती है।

धारणा

यह एकाग्रता की वह स्थिति होती है जिसमें सारी ऊर्जा पर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। भविष्य, अतीत और वर्तमान एक हो जाते हैं। धारणा, ध्यान और समाधि को अंतरंग साधना कहा गया है।

ध्यान

धारणा की निरंतरता जब बढ़ती है तब उसे ध्यान कहा जाता है। धारणा की निरंतरता की परिणति ही ध्यान में होती है। ध्यान में एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब साधक पूर्ण रूप से चैतन्य हो जाता है जिसकी परिणति समाधि या सर्व चैतन्य स्थिति में होती है। ■

योजना - सही विकल्प

बहुविकल्प प्रश्नों का स्तंभ 'योजना-सही विकल्प' में चार विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले प्रतिभागियों के लिए अपना ज्ञान एवं स्मरण शक्ति परखने का यह अच्छा अवसर है। यदि उत्तर समझ न आए तो 'योजना' को उलट कर सही उत्तर जाना जा सकता है।

- 1. 'बायो-रिमेडिएशन' से संबद्ध कथनों पर विचार कीजिए:**
 - 1) इस प्रौद्योगिकी के माध्यम से पर्यावरण से प्रदूषकों को दूर किया जाता है।
 - 2) इसके तहत प्रदूषित स्थलों को एक नया रूप दिया जाता है।
 - 3) जापान में वैज्ञानिक बड़े पैमाने पर बायो-रिमेडिएशन' प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे हैं।

निम्न कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें।

क) 1 और 2 ख) 2 और 3
ग) 1 और 3 घ) 1, 2 और 3
- 2. सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है-**
 - क) कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)
 - ख) कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂)
 - ग) नाइट्रोजन (N₂)
 - घ) ऑक्सीजन (O₂)
- 3. निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए:**

कभी-कभी समाचारों उनका मूल स्रोत में देखे जाने वाले शब्द

 - 1) एनेक्स-देश कार्टाजेना प्रोटोकॉल।
 - 2) प्रमाणित उत्सर्जन कटौतियाँ (सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस): नागोया प्रोटोकॉल।
 - 3) स्वच्छ विकास क्रियाविधि (क्लीन डेवलपमेंट, मेकेनिज्म): क्योटो प्रोटोकॉल

उपर्युक्त में से कौन-सा/से युग सही सुमेलित है/हैं?

क) केवल 1 और 2 ख) केवल 2 और 3
ग) केवल 3 घ) 1, 2 और 3
- 4. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) से भिन्न है?**
 - 1) एन.जी.टी. का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है जबकि सी.पी.सी.बी. का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है।
 - 2) एन.जी.टी. पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है जबकि सी.पी.सी.बी. झरनों और कुंओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

क) केवल 1 ख) केवल 2
ग) 1 और 2 दोनों घ) न तो 1, न ही 2
- 5. निम्नलिखित में से कौन-से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं?**
 - 1) आर्सेनिक
 - 2) सारबिटॉल
 - 3) फ्लूओराइड
 - 4) फार्मैल्डिहाइड
 - 5) यूरेनियम

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

क) केवल 1 और 3 ख) केवल 2, 4 और 5
ग) केवल 1, 3 और 5 घ) 1, 2, 3, 4 और 5
- 6. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?**
 - क) इसकी स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी।
 - ख) यह पर्यावरण संरक्षण तथा वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान में शामिल है।
 - ग) यह व्यक्तियों और सम्पत्तियों को हुई हानि के लिए रात और मुआवजा देने पर विचार कर सकता है।
 - घ) यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं से बंधा है।
- 7. विटामिन 'डी' में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है?**
 - क) एस्कार्बिक अम्ल
 - ख) कैल्सिफेरॉल
 - ग) फॉलिक अम्ल
 - घ) रेटिनाॅल
- 8. हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षरकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है, वह है-**
 - क) फॉस्फोरस
 - ख) सोडियम
 - ग) पोटैशियम
 - घ) कैल्शियम
- 9. भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?**
 - 1) यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है।
 - 2) यह एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

क) केवल 1 ख) केवल 2
ग) 1, 2 दोनों घ) न तो 1 और न ही 2
- 10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**
 - 1) फ़ैक्टरी एक्ट, 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी निश्चित करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था।
 - 2) एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आन्दोलन संगठित करने में अग्रगामी थे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

क) केवल 1 ख) केवल 2
ग) 1, 2 दोनों घ) न तो 1 और न ही 2



योजना

विकास को समर्पित मासिक
(हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू व 10 अन्य भारतीय भाषाओं में)

आजकल

साहित्य एवं संस्कृति का मासिक
(हिंदी तथा उर्दू)



प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

रोज़गार समाचार

साप्ताहिक
(हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू)

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास पर मासिक
(हिंदी और अंग्रेजी)

बाल भारती

बच्चों की मासिक पत्रिका
(हिंदी)

घर पर हमारी पत्रिकाएं मंगाना है काफी आसान...

आपको सिर्फ नीचे दिए गए 'भारत कोश' के लिंक पर जा कर पत्रिका के लिए ऑनलाइन डिजिटल भुगतान करना है-
<https://bharatkosh.gov.in/Product/Product>

सदस्यता दरें

प्लान	योजना, कुरुक्षेत्र, आजकल (सभी भाषा)		रोज़गार समाचार		सदस्यता शुल्क में रजिस्टर्ड डाक का शुल्क भी शामिल है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर नए ग्राहकों को अब रोज़गार समाचार के अलावा सभी पत्रिकाएं केवल रजिस्टर्ड डाक से ही भेजी जाएंगी। पुराने ग्राहकों के लिए मौजूदा व्यवस्था बनी रहेगी।
	वर्ष	रजिस्टर्ड डाक	रजिस्टर्ड डाक	मुद्रित प्रति (साधारण डाक)	
1	₹ 434	₹ 364	₹ 530	₹ 400	
2	₹ 838	₹ 708	₹ 1000	₹ 750	
3	₹ 1222	₹ 1032	₹ 1400	₹ 1050	

ऑनलाइन के अलावा आप डाक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर से भी प्लान के अनुसार निर्धारित राशि भेज सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर 'अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय' के पक्ष में नई दिल्ली में देय होना चाहिए। रोज़गार समाचार की 6 माह की सदस्यता का प्लान भी उपलब्ध है, प्रिंट संस्करण रु. 265/-, ई-संस्करण रु. 200/-, कृपया ऑनलाइन भुगतान के लिए <https://eneversion.nic.in/membership/login> लिंक पर जाएं। डिमांड ड्राफ्ट 'Employment News' के पक्ष में नई दिल्ली में देय होना चाहिए। अपने डीडी, पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर के साथ नीचे दिया गया 'सदस्यता कूपन' या उसकी फोटो कॉपी में सभी विवरण भरकर हमें भेजे। भेजने का पता है- संपादक, पत्रिका एकांश, प्रकाशन विभाग, कक्ष सं. 779, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.

अधिक जानकारी के लिए ईमेल करें- pdjuicir@gmail.com

हमसे संपर्क करें- फोन: 011-24367453, (सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रातः साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक)

कृपया नोट करें कि पत्रिका भेजने में, सदस्यता शुल्क प्राप्त होने के बाद कम से कम आठ सप्ताह लगते हैं, कृपया इतने समय प्रतीक्षा करें और पत्रिका न मिलने की शिकायत इस अवधि के बाद करें।


सदस्यता कूपन (नई सदस्यता/नवीकरण/पते में परिवर्तन)

कृपया मुझे 1/2/3 वर्ष के प्लान के तहत पत्रिका भाषा में भेजें।
नाम (साफ व बड़े अक्षरों में)
पता :
..... जिला पिन
ईमेल मोबाइल नं.
डीडी/पीओ/एमओ सं. दिनांक सदस्यता सं.

यू.पी.एस.सी सिविल सेवा परीक्षा


आपके तैयारी हेतु सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें

संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के पाठ्यक्रम को समाविष्ट करती हुई अभूतपूर्व पुस्तकें



ISBN: 9789390185184

₹245




ISBN: 9789390185351

₹315




ISBN: 9789390185955

₹315



ISBN: 9789390185931

₹230



ISBN: 9789390219025

₹240

Scan QR code to purchase-



Toll free number: 18001035875 | support.india@mheducation.com | www.mheducation.co.in

हल्के/बिना लक्षण वाले कोविड-19 के मरीजों के होम आइसोलेशन के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हल्के/बिना लक्षण (एसिम्प्टोमेटिक) वाले कोविड-19 मरीजों के लिए होम आइसोलेशन के संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

1. कोविड-19 के हल्के/बिना लक्षण वाले मामलों में लैबोरेटरी मरीज के शरीर में कोरोना वायरस की पुष्टि करती है, लेकिन मरीज में कोरोना के लक्षण नहीं होते और कमरे की हवा में मरीज का ऑक्सीजन स्तर भी 94 प्रतिशत से अधिक होता है।
2. नैदानिक जांच के आधार पर प्रमाणित कम लक्षण वाले कोविड के मामलों में मरीज को ऊपरी श्वसन तंत्रिका संबंधी लक्षण (अपर रेस्पिरैटरी ट्रेक्ट सिम्प्टम) (और/अथवा बुखार) होते हैं, मगर उसे सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होती और कमरे की हवा में मरीज का ऑक्सीजन स्तर भी 94 प्रतिशत से अधिक होता है।
3. इलाज कर रहे चिकित्सा अधिकारी द्वारा मरीज को नैदानिक जांच के आधार पर कम लक्षण/बिना लक्षण वाले मरीज के तौर पर प्रमाणित किया जाना चाहिए। ऐसे सभी मामलों में मरीज के घर पर सेल्फ-आइसोलेशन और परिवार के लोगों को क्वारंटीन करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।
4. मरीज की देखभाल करने वाले व्यक्ति को 24x7 आधार पर उपलब्ध रहना चाहिए। होम आइसोलेशन की अवधि के लिए मरीज की देखभाल करने वाले व्यक्ति और अस्पताल के बीच टेलीफोन के माध्यम से नियमित आधार पर संपर्क बने रहना एक अनिवार्य शर्त है।
5. कमजोर फेफड़े/यकृत/गुर्दे की बीमारी, सेरेब्रो-वास्कुलर आदि बीमारी वाले मरीजों को चिकित्सा अधिकारी द्वारा इलाज और पर्याप्त जांच के बाद ही होम आइसोलेशन की अनुमति दी जाएगी।
6. मरीज स्वयं को परिवार के अन्य सदस्यों से अलग कर ले, एक निर्धारित कमरे में ही रहे और घर के अन्य सदस्यों विशेष रूप से बुजुर्ग और उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, गुर्दे की बीमारी जैसे रोगों से ग्रस्त सदस्यों से उचित दूरी बनाकर रखें।
7. मरीज को अच्छे हवादार क्रॉस वेंटिलेशन वाले कमरे में रहना चाहिए और कमरे की खिड़कियों को हमेशा खुला रखना चाहिए ताकि कमरे में स्वच्छ हवा आ सके। मरीज को हमेशा तीन परतों वाला चिकित्सा मास्क का उपयोग करना चाहिए। मास्क को प्रत्येक 8 घंटे के बाद, या गीला अथवा गंदा होने की स्थिति में 8 घंटे से पहले ही नष्ट कर देना चाहिए। मरीज की देखभाल करने वाले व्यक्ति के कमरे में प्रवेश करते समय, मरीज और देखभाल करने वाले व्यक्ति इन दोनों को ही एन 95 मास्क का उपयोग करना चाहिए।
8. शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा बनाए रखने के लिए मरीज को आराम करना चाहिए और तरल पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए।
9. साबुन और पानी से कम से कम 40 सेकेंड तक थोड़ी-थोड़ी देर बाद हाथ धोएं अथवा हाथों को एल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र से साफ करें।
10. घर के किसी भी सदस्य के साथ अपने वैयक्तिक सामानों को साझा न करें। कमरे में सामान्यतः छुए जाने वाले सामान/स्थान (टेबल, दरवाजे का हल्का, हैंडल्स आदि) को 1 प्रतिशत हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन के साथ अच्छे से साफ करें।
11. पल्स ऑक्सीमीटर की मदद से ब्लड ऑक्सीजन के स्तर की नियमित तौर पर स्वयं निगरानी अवश्य करें। मरीज दैनिक स्तर पर शरीर के

तापमान की जांच के साथ अपने स्वास्थ्य की स्वयं-निगरानी करेगा और नीचे दिए गए लक्षणों में से किसी में स्थिति बिगड़ती हुई नज़र आती है तो तुरंत इसकी सूचना देगा।


देखभाल करने वाले व्यक्ति के लिए निर्देश

12. देखभाल करने वाले व्यक्ति को ट्रिपल-लेयर मास्क पहनना चाहिए। बीमार व्यक्ति के साथ एक ही कमरे में होने की स्थिति में एन95 मास्क पहनना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल करने के दौरान मास्क के सामने वाले हिस्से को नहीं छूना चाहिए।
13. स्वयं अपने चेहरे, नाक और मुंह को छूने से बचना चाहिए।
14. मरीज के संपर्क में आने अथवा उसके आस-पास से गुज़रने के बाद हाथों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। खाना बनाने से पहले और बाद में, खाना खाने से पहले, शौचालय का उपयोग करने के बाद हाथों को अच्छी तरह से साफ करना अनिवार्य है। हाथों को कम से कम 40 सेकेंड तक अच्छे से धोने के लिए साबुन और पानी का उपयोग करें। साबुन और पानी से हाथों को धोने के बाद, हाथों को सुखाने के लिए डिस्पोजेबल पेपर का उपयोग कर सकते हैं। डिस्पोजेबल पेपर उपलब्ध न होने की स्थिति में, कपड़े के तौलिये का उपयोग करें और गीला होने पर इस तौलिये को तुरंत बदल दें। दस्ताने पहनने से पहले और उतारने के बाद, हाथों को अच्छी तरह से साफ करें।
15. मरीज/मरीज के आस-पास के माहौल के संपर्क में आने की स्थिति में मरीज के शरीर के तरल पदार्थ, विशेष रूप से मौखिक या श्वसन स्राव के सीधे संपर्क में आने से बचें। मरीज की देखभाल करते समय डिस्पोजेबल दस्तानों का उपयोग करें।
16. मरीज के आस-पास के वातावरण में मौजूद संभावित रूप से दूषित वस्तुओं के संपर्क में आने से बचें हाथों से दस्ताने उतारने अथवा इस्तेमाल किए गए सामान को रखने के बाद हाथों को अच्छे से साफ करें। मरीज के द्वारा इस्तेमाल किए गए कपड़ों अथवा चादर और आस-पास की सतहों को साफ करने के दौरान ट्रिपल-लेयर मेडिकल मास्क और डिस्पोजेबल दस्तानों का उपयोग करें।
17. मरीज को इलाज कर रहे डॉक्टर के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहना चाहिए और तबीयत बिगड़ने की स्थिति में तुरंत सूचना देनी चाहिए। इलाज कर रहे डॉक्टर से परामर्श के बाद अन्य बीमारियों (कोविड के अतिरिक्त शरीर में पहले से जो भी बीमारी हो, जिसकी दवा पहले से ले रहे हैं) की दवा को नियमित रूप से लेते रहें।
18. मरीज/देखभाल करने वाला व्यक्ति मरीज के स्वास्थ्य पर निगरानी रखेगा। गंभीर लक्षण दिखने पर तत्काल मेडिकल अटेंशन (चिकित्सा सहायता) की ज़रूरत होगी। इन लक्षणों में शामिल हैं - सांस लेने में तकलीफ, ऑक्सीजन के लेवल में गिरावट (कमरे की हवा में एपीओ2 का 94 प्रतिशत से नीचे जाना), छाती में दर्द/दबाव का लगातार बने रहना, शारीरिक रूप से उठने में अक्षमता अथवा मानसिक भ्रम की स्थिति।
19. होम आइसोलेशन का पालन कर रहे मरीज कोविड लक्षणों (बिना लक्षण वाले मरीज कोविड की पुष्टि होने की तिथि के बाद) की शुरुआत के बाद कम से कम 10 दिन बीत जाने के बाद और पिछले तीन दिन के दौरान बुखार न आने की स्थिति में होम आइसोलेशन को समाप्त कर सकता है। होम आइसोलेशन की अवधि समाप्त होने के बाद दोबारा जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ■

स्रोत : पत्र सूचना कार्यालय

अब प्रिंट संस्करण और ई-बुक संस्करण उपलब्ध

भारत 2021



भारत के प्रांतों, केंद्रशासित प्रदेशों,
भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों तथा
नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की
आधिकारिक जानकारी देने वाला
वार्षिक संदर्भ ग्रंथ

मूल्य: प्रिंट संस्करण ₹ 300/- ई-बुक संस्करण ₹ 225/-

पुस्तकें खरीदने के लिए प्रकाशन विभाग की
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in पर जाएं

ई-बुक एमेज़ॉन और गूगल प्ले पर उपलब्ध

देश भर में प्रकाशन विभाग के विक्रय केन्द्रों और
पुस्तक विक्रेताओं से भी खरीद सकते हैं



ऑर्डर के लिए संपर्क करें :

फोन : 011-24365609

ई-मेल : businesswng@gmail.com

हमारी पुस्तकें ऑनलाइन खरीदने के लिए

कृपया www.bharatkosh.gov.in पर जाएं।

प्रकाशन विभाग

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,

भारत सरकार

सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स,

लोधी रोड नई दिल्ली -110003

वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in

ट्विटर पर फोलो करें



@DPD_India

प्रकाशक व मुद्रक: मोनीदीपा मुखर्जी, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा
प्रकाशन विभाग के लिए चन्दु प्रेस, डी-97, शंकरपुर, दिल्ली-110092 द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन,
सी.जी.ओ. परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। वरिष्ठ संपादक: कुलश्रेष्ठ कमल